स्वदेशी पत्रिका

वर्ष-16, अंक-1, पौष-माघ 2064, जनवरी, 2008

संपादक
विद्यानंद आचार्य

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर-8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली-110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011-26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 से मुद्रित।

टंकण एवं सज्जा : **प्रेम जोया**

आवरण लेख - 4

बढ़ती वैश्विक उष्णता के कारण जो खतरे दिखाई पड़ रहे हैं उन्हें नजरअंदाज करना आत्मघाती हो सकता है। सभी देश इस मुद्दे पर एक समान एवं सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर ही इस समस्या का निकट भविष्य में समाधान ढूंढ सकते हैं।

कॅवर पेज

अनुक्रम

आवरण लेख
बाली का समझौता उत्साहवर्धक नहीं
- जगमोहन 4
गरमाती धरती से प्रलय के संकेत
- निरंकार सिंह 6
पर्यावरण, बाजारीकरण और पिसती मानवता
- डॉ. अश्विनी महाजन 8

समाज
विस्थापन एवं पुनर्वास हेतु केन्द्रीय कानून की आवश्यकता
- विष्णुकांत 11

कृषि
भविष्य की खेती - जैविक खेती
- अरुण के. शर्मा 13

विश्व
दोहा दौर को बर्बाद करने वाला अमरीकी दस्तावेज
- सचिन चतुर्वेदी 15

जानकारी
इस तरह करें सूचना के अधिकार कानून का उपयोग
- स्वदेशी संवाद 17

पुस्तक लोकार्पण
अंग्रेजों द्वारा भारत को प्रज्ञाहत करने का प्रयास
- स्वदेशी संवाद 19

रपट
विसंगतियों भरा आर्थिक विकास राष्ट्रवाद का संपोषक नहीं
- मुरलीधर राव 20

आन्दोलन
बाजारवाद के विरुद्ध लड़ाई का नाम स्वदेशी है
- गोविन्दाचार्य 26

श्रद्धांजलि
पर्यावरण की सुरक्षा में किंकरी देवी का योगदान अनुकरणीय
- स्वदेशी संवाद 27

स्मृति
दत्तोपंत ठेंगड़ी स्मृति व्याख्यान
बिहार की आर्थिक स्थिति : चुनौती एवं लक्ष्य
- स्वदेशी संवाद 28

मीडिया
नारी का चित्र और समकालीन मीडिया का चरित्र
- आशुतोष 29

राष्ट्र
भयावह तस्वीर पेश करता किशोर वर्ग
- डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल 31

परिचर्चा
स्वत्व के आधार पर राष्ट्र का निर्माण हो.....
- स्वदेशी संवाद 33

युवा
आत्मगौरव की खोज में भारतीय युवा
- सुनील आंबेकर 35

आस्था
राम भारतीय अस्मिता के प्रतीक हैं - अशोक सिंघल 37

पाठकनामा 2

समाचार परिक्रमा, आँकड़े 40 - 44

पाठकनामा

सूचना का अधिकार कानून – 2005

विगत दिसम्बर 2006 से ''स्वदेशी'' का अमृतमयी अंक पढ़ने को मिल रहा है। केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को दिया गया ''सूचना का अधिकार कानून 2005'' मूल अधिकारों की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार को पूर्ण करता है। आप के द्वारा पत्रिका में उक्त विषय के सम्बन्ध में जानकारी देकर आम लोगों को प्रकाशमयी मार्ग दिखाया गया है। मांग की उक्त अधि. के तहत मैने राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग व अन्य विभागों की तमाम जानकारी की है। उक्त अधि. के माध्यम से सूचनायें मांगने पर जनता को सूचना देने के लिए पूर्व विभागीय अधिकारी अपनी तमाम कमियां दूर कर लेते हैं तथा अधिनियम में निश्चित समय सीमा तय होने के नाते प्रत्येक स्तर पर प्रभावी कार्यवाही होती है। सूचना के अधिकार की भांति न्यायालयों व विभिन्न कार्यालयों में प्रशासनिक पटलों पर कार्य निष्पादन की समय सीमा तय करके तमाम बुराइयों पर निजात पायी जा सकती है। उक्त अधि. के पालन में अधिकारियों द्वारा नकद रुपया न लेकर तथा सीधे आवेदन पत्र न प्राप्त करके आवेदन का ड्राफ्ट व रजिस्ट्री करने के नाम पर अभी भी परेशान कर खर्चीला बनाया जाता है, इन पर आयोग को विचार करना चाहिए।

एस.एल. शुक्ला (एडवोकेट) मनकापुर, गोण्डा

❐❐❐

समान राष्ट्रीय औद्योगिक नीति की जरूरत

संपादक महोदय, नम्र निवेदन यह है कि अगस्त 2007 की स्वदेशी पत्रिका में, ''भारतीय उद्यमी वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम'' रपट पढ़ी है। ''इस देश का उद्यमी ... पहले उसे देश के भीतर ही औद्योगिक नीतियों के मामले में प्रतिद्वन्दियों के समान समतल अवसर मुहैया कराया जाना चाहिए। दिल्ली से केरल तक एक समान नीतियां बने।'' मान्यवर श्री मुरलीधर राव का यह कहना सही नहीं है। क्योंकि वे स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं वे कह रहे हैं, ''दिल्ली से केरल तक एक समान नीतियां बने।'' दिल्ली के इस पार हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू–कश्मीर के राज्य भी भारत के क्षेत्र हैं, उन्हें इन क्षेत्रों की अनदेखी नहीं करनी चाहिये थी। उन्हें जम्मू–कश्मीर से केरल तक एक समान औद्योगिक नीतियों की मांग करनी चाहिए थी। श्री मुरलीधर राव का यह कहना सही है कि सुधार केवल विदेशी कम्पनियों तथा विदेशी लोगों के हितों का ध्यान रखकर ही नहीं करने चाहिए अपितु स्वदेशी कम्पनियों तथा देश का हित सामने रखकर करना चाहिए।

देवेन्द्र पाल, बटाला, पंजाब

(राष्ट्रीय संयोजक जिन नीतियों की बात कर रहे थे उसका व्याप कश्मीर से केरल तक ही अभिष्ट था। शब्द चयन भले ही अलग रहा हो – संपादक)

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
दूरभाष : 26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com
अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क ***'स्वदेशी पत्रिका'*** दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।
वार्षिक सदस्यता शुल्क : 100 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्क: 1,000 रुपए
यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।
(ध्यानार्थ : कृपया अपना नाम व पता साफ अक्षरों में लिखें)

उन्होंने कहा

मैं शिक्षा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ, और प्रत्येक स्त्री, पुरुष, लड़का–लड़की को आधुनिक शिक्षा से लाभान्वित होते देखना चाहती हूँ।

श्रीमती प्रतिभा पाटील
(राष्ट्रपति, भारत)

वामपंथी उग्रवाद देश की अकेली सबसे बड़ी चुनौती है। जब तक हम इस वायरस को समाप्त नहीं कर देते, हम चैन से नहीं रह सकते।

डॉ. मनमोहन सिंह
(प्रधानमंत्री, भारत)

रामसेतु का सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक महत्त्व ही नहीं है बल्कि यह सेतु राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। सरकार रामसेतु तोड़कर करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट कर रही है।

अटल बिहारी वाजपेयी
(पूर्व प्रधानमंत्री)

भारत हिन्दू राष्ट्र है, और हिन्दुत्वनिष्ठ मूल्यों के आधार पर ही इस राष्ट्र का और इसके माध्यम से पूरे विश्व का उत्थान होगा, इसमें किसी भी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए।

मोहनराव भागवत
(सरकार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ)

समाजवाद की परिकल्पना साकार होना अब संभव नहीं है। औद्योगिक विकास के लिए पूँजीवाद भविष्य की मजबूरी है।

ज्योति बसु
(वरिष्ठ वामपंथी (मार्क्सवादी) नेता)

इस्लाम और कुरान की व्याख्या अनपढ़ और जाहिल मौलवियों के हाथ में है, जबकि असल में इस्लाम और कुरान भाईचारे की बात करता है।

अरुसा आलम
(वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान)

यदि अमरीका ने बेरोजगारी की दर को नियंत्रित नहीं किया तो अमरीका आर्थिक मंदी के व्यापक जाल की ओर अग्रसर हो सकता है।

वारन बफेट
(प्रख्यात निवेशक)

संपादकीय

जलवायु परिवर्तन के खतरे से उपजी चिंता

वर्ष 2007 के अंतिम महीने में इंडोनेशिया के बाली में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन ने पूरी दुनियाँ में एक प्रकार के नए भू–राजनैतिक मुद्दे एवं बहस को जन्म दिया। बाली सम्मेलन जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर दो दशक पूर्व उपजी चिंता को और अधिक कारगर ढ़ंग से उठाने वाली कड़ी का अगला पड़ाव साबित हुआ है। 1988 में जब विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन के कारण अनेक प्रकार की अनिष्टकारी घटनाओं का क्रम शुरू हुआ एवं वैज्ञानिकों ने इसके बारे में आगाह करना शुरू किया तब कहीं जाकर पश्चिमी औद्योगिक देशों की नींद खुली। बावजूद इसके उन देशों ने ईमानदारी से अपने दोषों को सुधारने का कार्य नहीं किया अपितु इसे भू–राजनैतिक मुद्दा बनाकर विकासशील देशों को भी इसमें लपेटने का प्रयास किया। इस हेतु 1988 में ही जलवायु परिवर्तन पर अन्तरशासकीय परिषद का गठन कर दिया गया। इस परिषद द्वारा हमेशा जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणामों की चेतावनी देने का क्रम शुरू हुआ। माहौल एसा बनाया गया कि यदि समय रहते हम नहीं चेते तो प्रलय निश्चित है। इस परिषद ने अभी तक चार रपटें प्रकाशित की हैं। चौथी और अंतिम रपट 2007 में प्रकाशित हुई जिसके लिए भारत के श्री आर.के. पचौरी एवं अमरीका के पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोर को विश्व शांति का नोबल पुरस्कार 2007 में दिया गया। पर्यावरण चर्चा का विषय बने इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित होने वाली वर्ष 2007/08 की मानव विकास रपट भी जलवायु परिवर्तन एवं विभाजित विश्व के सामने उत्पन्न खतरे पर केंद्रित रही। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव वान की मून ने बाली में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इसकी अनदेखी के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उपर्युक्त पृष्ठभूमि में खतरे को कम किए जाने वाले प्रयासों पर यदि नजर डालते हैं तो निराशा हाथ लगती है। स्टॉकहोम सम्मेलन से लेकर मांट्रियल एवं बाद में क्योटो सहमति के इतिहास को देखें तो विकसित देश खासकर अमरीका ने कभी भी गंभीरता एवं जिम्मेदारी से अपना दोष स्वीकार नहीं किया। यह स्थापित सत्य है कि अमरीका विश्व में प्रदूषण फैलाने वाला सबसे बड़ा देश है। लेकिन 1997 में क्योटो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने से उसने परहेज किया। क्योटो सहमति में पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने वाले मानवीय एवं कृत्रिम उत्सर्जनों पर 2009 तक एक तय सीमा से नीचे तक कटौती करने की बाध्यता थी। लेकिन अमरीकी रुख ने समझौते की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बाली सम्मेलन के शुरूआत में अमरीकी रुख से एकबार फिर लगा कि वार्ता असफल हो जाएगी। लेकिन अंतिम समय में क्योटो सहमति की तय समय सीमा 2009 से पूर्व बाली सम्मेलन के अनुसार एक प्रभावी कार्ययोजना बनाने पर सहमति हो गई। वार्ता के स्तर पर लगभग 190 सदस्य देशों के लिए यह हर्ष का विषय था। आगामी 2050 तक विकासशील देशों को अपने उत्सर्जन में 1990 के स्तर में पचास प्रतिशत तक की कटौती अपेक्षित है। यदि ये विकासशील देश कटौती के रास्ते पर चलते भी हैं तो वर्तमान औद्योगीकरण की गति के कारण अगले 10–20 वर्षों तक कटौती के बदले उत्सर्जन में इजाफा ही होगा। इसलिए 2020 तक उन्हें छूट मिली है। लेकिन जनसंख्या की वृद्धि दर एवं विकसित देशों द्वारा औद्योगीकरण के लिए दिए गए तकनीक हस्तांतरण के अनुभवों को देखते हुए लगता है कि 2020 के बाद भी विकासशील देश उत्सर्जन बढ़ाते रहेंगे जो उनकी आर्थिक आवश्यकता के अनुसार उचित ही होगा। इसलिए विकासशील देश यदि विकसित देशों के दबाव में अपेक्षा से अधिक औद्योगिक बंदी को अपनाते हैं तो उनके यहां भीषण सामाजिक संघर्ष जन्म ले सकता है। दूसरी ओर औद्योगीकरण की शुरूआत जब आज के विकसित देशों में शुरू हुई थी तो पूरी दुनियाँ के संसाधनों का शोषण–भक्षण इनके उद्योगों ने किया। इन देशों ने विकास की गलत प्रणाली अपनाकर पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंचायी है। इसलिए दोषी को अन्तरराष्ट्रीय मंच पर सर्वाधिक सजा का प्रावधान होना चाहिए। इतना ही नहीं न्यूनतम उत्सर्जन हेतु विकसित तकनीक का हस्तातंरण, जिस मुद्दे को भारत ने बाली में जोरदार तरीके से उठाया था, उसे विकासशील देशों को समय पर एवं सब्सिडी के साथ मिलना चाहिए। भारत जैसे विकासशील देश एवं अल्प विकसित देशों में विकास दर भले ही बढ़ी हो लेकिन जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अभी भी जीवन की मौलिक आवश्यकताओं से अछूता है। अभी भी हर गांव में बिजली की उपलब्धता नहीं है, फिर बिजली उत्पादन संयंत्र तो लगाने ही होंगे। अभी भी कपड़े की उपलब्धता मानक स्तर तक नहीं पहुंच पायी है, फिर तो कपड़ा उत्पादन उद्योग लगाना पड़ेगा। गरीबी निवारण योजनाओं, स्वास्थ्य, परिवहन एवं अन्य उद्योगों के साथ भी यही प्रश्न जुड़ा हुआ है। बाली में यदि डब्ल्यूटीओ की तरह विकासशील देशों के समूह एक मंच पर आकर विकसित देशों को उनके समझौतानुसार तय प्रतिबद्धताओं को अमल में लाने के लिए दबाव डालने की रणनीति बनायी होती तो परिणाम और भी सकारात्मक हुआ होता। हमारी गैस उत्सर्जन में कटौती की बाध्यता नहीं है फिर भी दुनियाँ के सामने उत्पन्न खतरे को देखते हुए एक जिम्मेदार देश की भांति अपने दायित्वों से हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जो देश दोषी होने के बाद भी दोष सुधार के लिए तैयार नहीं हैं उनके खिलाफ अभियान चलाने की आवश्यकता है। ''क्षिति, जल, पावक, गगन समीरा'' सभी के लिए प्रकृति ने बनाया है। इस पर मानव मात्र का ही नहीं अपितु इस चराचर जगत के सभी जीवों, अजीवों का एक समान अधिकार है। मानव ने स्वार्थ एवं भोग की लिप्सा पूर्ति हेतु इसका भक्षण किया है। परिणाम हमारे सामने है। विकास की वर्तमान पद्धति ने हमें प्रलय के किनारे ला खड़ा किया है। प्रलय और सृजन प्रकृति में चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन जो संकेत दिखायी दे रहे हैं वे विकास की विसंगतियों के परिणाम हैं। भारतीय जीवन दर्शन में इन समस्याओं का समाधान उपलब्ध है। उस पर अध्ययन एवं अमल करने की आवश्यकता है।

बाली का समझौता उत्साहवर्धक नहीं

पर्यावरण सुधार के लिए आयोजित बाली सम्मेलन की निरर्थकता इसी बात में निहित है कि समझौते पर पहली असहमति अमरीका ने प्रदर्शित की है।

■ **जगमोहन***

पर्यावरण परिवर्तन पर बाली में हुए सम्मेलन में एक नई कार्ययोजना तैयार की गई है। 190 देशों ने 2009 तक संयुक्त राष्ट्र के दिशा–निर्देशों के तहत एक नया प्रोटोकाल तैयार करने पर सहमति जताई है, जो 2012 में क्योटो समझौता (1997) का स्थान लेगा।

इन देशों ने 2009 तक की यात्रा की कार्यसूची में चार सिद्धांतों को शामिल करने पर भी रजामंदी व्यक्त की है। ये सिद्धांत हैं – ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना, विकासशील देशों को पर्यावरण परिवर्तन के अनुकूल तकनीकों का इस्तेमाल करना तथा उक्त कार्यों के लिये वित्तीय मदद उपलब्ध कराना। ऊपर से देखने पर यह समझौता और उसके सिद्धांत ऐतिहासिक और पर्यावरण परिवर्तन का सामना करने की राह में मील का पत्थर नजर आते हैं, लेकिन दूसरे कोण से देखें तो यह सब एक सामान्य कवायद से अधिक नजर नहीं आयेगा – ऐसी कवायद जिसके लिए आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र के ऐसे सम्मेलन आयोजित ही किये जाते रहते हैं। यदि अतीत में पर्यावरण, आश्रयहीन आबादी और टिकाऊ विकास जैसे संबंधित विषयों पर हुए सम्मेलनों के नतीजों पर निगाह डालें तो बाली सम्मेलन में किया गया समझौता कोई उत्साह नहीं जगाएगा।

पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का एक विशाल सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में हुआ, जिसे बहुत अधिक चर्चा मिली। सम्मेलन में सभी देशों तथा संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने मानव, पर्यावरण के संरक्षण और संवर्द्धन का संकल्प व्यक्त किया, लेकिन आज स्थिति क्या है? समग्र पर्यावरण 1972 की अपेक्षा आज कहीं अधिक बदहाल स्थिति में है। प्रत्येक वर्ष विश्व 24 अरब टन मृदा गंवा रहा है, दस अरब एकड़ कृषि योग्य भूमि नष्ट हो रही है, 4 करोड़ 40 लाख एकड़ वन नष्ट हो रहे हैं, डेढ़ करोड़ एकड़ नए रेगिस्तान बन रहे हैं, जरूरत से 160 अरब टन अधिक पानी का दोहन हो रहा है, वातावरण में बड़े पैमाने पर कार्बन डाई–ऑक्साइड भरी जा रही है। विश्व की दस बड़ी नदियां, जिनमें गंगा और नील भी शामिल हैं, खतरे का सामना कर रही हैं। लगभग 60 प्रतिशत पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और करीब 2000 प्रजातियां प्रति माह नष्ट हो रही हैं। वैंकूवर में 1976 में संयुक्त राष्ट्र मानव स्थापना सम्मेलन में सरकारों ने इस पर सहमति व्यक्त की थी कि झुग्गी–झोंपड़ियों और मलिन बस्तियों में निवास कर रहे लोगों की स्थिति में सुधार किया जाएगा, उन्हें मूलभूत नगरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और ऐसा वातावरण तैयार किया जाएगा जिसमें मानव समाज सम्मानजनक जीवन जी सके।

यदि आज हम अपने आस–पास की दुनिया पर निगाह डालें तो यह पाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं हो सका। विकासशील दुनिया का एक बड़ा भाग मलिन, अर्द्धमलिन बस्तियों तथा झुग्गी–झोंपड़ियों में जीवन बिताने के लिए अभिशप्त है। एक अनुमान के मुताबिक करीब ढाई लाख ऐसी बस्तियां हैं, जिनमें लगभग एक अरब लोग रहते हैं। 2030 तक झुग्गी–झोपड़ियों में

*लेखक पूर्व केंद्रीय मंत्री है।

रहने वालों की आबादी 2 अरब हो जाएगी। इन बस्तियों में नागरिक सुविधाओं के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज दुनिया के हर दस लोगों में से चार के पास एकल पिट का शौचालय तक नहीं है और दस में से दो लोगों के लिए सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। ये ऐसी जरूरतें हैं जिनके बिना सम्मानजनक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विडंबना है कि वैंकूवर सम्मेलन के 35 वर्ष बाद भी ये सुविधाएं विश्व आबादी के एक बड़े भाग की पहुंच से दूर हैं। रियो डि जेनेरियो सम्मेलन (1992) की कहानी भी कोई अलग नहीं। प्रतिभागिता और प्रचार के मामले में इस सम्मेलन ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। सम्मेलन में मौजूद हर किसी ने टिकाऊ विकास के गीत गाए। महत्त्वूपर्ण मुद्दों पर समझौते भी हुए और विस्तृत एजेंडा 21 अपनाया गया। व्यवहार में इस टिकाऊ विकास की अवधारणा पर कितना अमल किया गया, इसे कुछ तथ्यों से समझा जा सकता है।

वर्तमान में पृथ्वी की 11.2 अरब हेक्टेयर की वैश्विक जैव क्षमता के सामने 14.1 अरब हेक्टेयर का इस्तेमाल वार्षिक रूप से किया जा रहा है, जिससे प्रति वर्ष लगभग 2.9 अरब हेक्टेयर का वैश्विक पर्यावरण घाटा हो रहा है। आज मानव उससे कहीं अधिक प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर रहा है जितना कि धरती बर्दाश्त कर सकती है। वह बारिश की अपेक्षा अधिक पानी का इस्तेमाल कर रहा है, उगने वाले वृक्षों की अपेक्षा अधिक वन काट रहा है और जमीन की सतह इस तरह नष्ट कर रहा है कि उपरी सतह फिर से तैयार नहीं हो सकती। समस्या यह है कि ऐसे सम्मेलनों में प्रस्तावों और घोषणाओं के जरिए जो कुछ कहा जाता है वह वास्तविकता के धरातल पर नहीं उतरता।

ऊपर जिन सम्मेलनों का जिक्र किया गया है वे जब आयोजित हुए तो उन्हें ऐतिहासिक बताया गया, लेकिन आज यह सामने आ रहा है कि वे सब खोखली कवायदें थीं। वर्तमान विश्व व्यवस्था को संचालित करने वाली तथा लोगों की जीवनशैली तय करने वाली मूल शक्तियों ने इतिहास को विपरीत दिशा में ही मोड़ दिया है।

विकासशील दुनिया का एक बड़ा भाग मलिन, अर्द्धमलिन बस्तियों तथा झुग्गी–झोंपड़ियों में जीवन बिताने के लिए अभिशप्त है। एक अनुमान के मुताबिक करीब ढाई लाख ऐसी बस्तियां हैं, जिनमें लगभग एक अरब लोग रहते हैं। 2030 तक झुग्गी–झोपड़ियों में रहने वालों की आबादी 2 अरब हो जाएगी। इन बस्तियों में नागरिक सुविधाओं के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज दुनिया के हर दस लोगों में से चार के पास एकल पिट का शौचालय तक नहीं है और दस में से दो लोगों के लिए सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। ये ऐसी जरूरतें हैं जिनके बिना सम्मानजनक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

क्योटो प्रोटोकाल का ही उदाहरण लें। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना था। इस प्रोटोकाल के तहत देशों को दो वर्गों–विकसित और विकासशील में बांटा गया। विकसित देशों ने ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने की अपनी प्रतिबद्धता स्वीकार की थी, जबकि विकासशील देशों की ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं थी। विकसित देशों को सामूहिक रूप से अपने उत्सर्जन को 1990 के स्तर से पांच प्रतिशत के कम पर लाना था। विकासशील देशों के मामले में यह महसूस किया गया कि उनमें गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विकास आवश्यक है और इसके लिए बड़े पैमाने पर ऊर्जा के इस्तेमाल की जरूरत होगी। बाली सम्मेलन में किसी ने गंभीरता से यह सवाल नहीं उठाया कि विकसित देशों ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 1997 से अब तक क्या किया? यदि यह सवाल किया जाता तो यही सामने आता कि कार्बन उत्सर्जन में कमी करना तो दूर, यह प्रत्येक देश में व्यावहारिक रूप से बढ़ गया है।

बाली रोड मैप के आगे की राह आसान नहीं होगी। कार्बन उत्सर्जन से संबंधित बोझ बांटने के तौर–तरीके पर तीखे विवाद की आशंका है। यह तय करना होगा कि उत्सर्जन में कमी लाने की जिम्मेदारी देशों पर किस आधार पर डाली जाए – प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के आधार पर या कुल उत्सर्जन के आधार पर या फिर अन्य तरीके से? एक तर्कसंगत फार्मूला दो सिद्धांतों के आधार पर तय किया जा सकता है। पहला तो यह कि विकसित देशों को 2050 तक 50 से 75 प्रतिशत तक उत्सर्जन कम करने पर सहमत होना और दूसरे, विकासशील देशों को इसी अवधि तक 10 से 25 प्रतिशत तक कमी पर हामी भरना। इसके लिए उन्हें नव विकसित तकनीक उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादित करने के लिए नई तकनीक विकसित करने में काफी सफलता मिली है। इसका विश्व स्तर पर प्रयास करना चाहिए। अभी इन तकनीकों पर कतिपय बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकाधिकार है, जो बौद्धिक संपदा अधिकारी की आड़ लेकर उन्हें दूसरों तक नहीं पहुंचने देतीं। यह स्थिति बदलनी चाहिए। ❖

गरमाती धरती से प्रलय के संकेत

आधुनिक विकास की विसंगतियों के रूप में उभरकर आने वाला जलवायु परिवर्तन का भस्मासुर अब मानव सभ्यता को निगलने की और अग्रसर है।

■ **निरंकार सिंह**

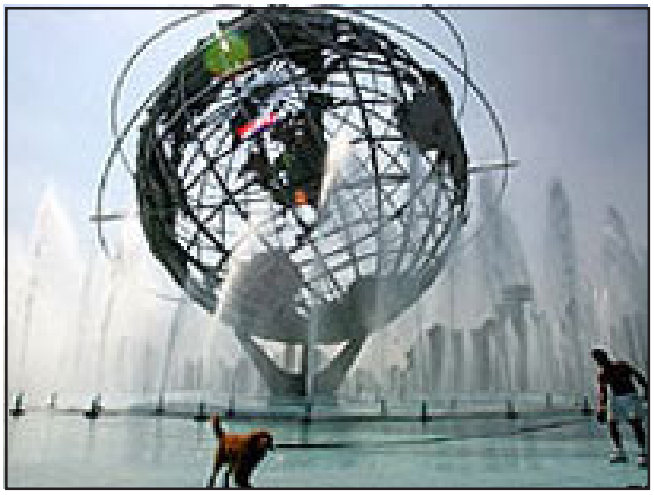

नोबल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि धरती के गरमाने और जलवायु में असमान्य परिवर्तन से मानव जीवन को जबर्दस्त खतरा है। इस आशय की रपट स्पेन से जारी करते हुए वैज्ञानिकों ने कहा कि धरती के तापमान में लगातार बढ़ोतरी से भीषण गर्मी, मूसलाधार वर्षा और समुद्री तूफानों का वेग बढ़ेगा। जिससे कई देशों का अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा। उधर धरती के गरमाने से ग्रीनलैंड के पहाड़ों पर बर्फ पिघलने लगी है। अंटार्कटिका के पास समुद्र में तैरता बर्फ का 1200 वर्गमील का टापू देखते ही देखते पिघल गया। इस बर्फीले टापू के पिघलने की घटना से फिलहाल कोई संकट अभी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम इसमें भयावह भविष्य का चेहरा देखते हैं तो प्रलय की आंशका से मन कांप उठता है। समुद्र का जल स्तर 7 मीटर तक बढ़ सकता है। इससे ग्रीनलैंड सहित दुनिया के कई देश और द्वीप जलमग्न हो जायेंगे। भारत, बंग्लादेश सहित एशिया के सात देशों के सामने जलवायु परिवर्तन का खतरा पैदा हो गया है। राष्ट्रसंघ से जुड़े वैज्ञानिकों ने दुहनिया को चेताया कि ''ग्लोबल वार्मिंग'' की मौजूदा रफ्तार इक्कीसवीं सदी के आखिर में हमें प्रलय के नजारे दिखा सकती है। इन वैज्ञानिकों के अनुसार बाईसवीं सदी के शुरू होने तक हमारी पृथ्वी के तापमान में लगभग छह डिग्री वृद्धि हो जायेगी और उससे प्राकृतिक संतुलन इस कदर बिगड़ जायेगा कि उसे सुधारना असंभव हो जायेगा। धरती के गरमाने और जलवायु में परिवर्तन के ही कारण आज अफ्रीका महाद्वीप का एक बहुत बड़ा भाग अकाल की चपेट में है। सोपालिया, इथोपिया, सूडान आदि देश विनाश की ओर जा रहे हैं। एशिया के वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया में पर्यावरण के विनाश के कारण ही स्थिति डांवाडोल है।

इस समस्या से निपटने के लिए सन् 2009 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र मौसम समझौते की वार्ता की औपचारिक शुरूआत इण्डोनेशिया के बाली शहर में आयोजित सम्मेलन में हो चुकी है। इसमें 190 देश शामिल हुए हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के प्रमुख डी. बोएर के अनुसार ''जलवायु परिवर्तन पर कोई भी बैठक तब तक प्रभावी नहीं हो सकती जब तक उसमें विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाई–ऑक्साड उत्सर्जनक देश अमरीका शामिल न हो। विश्व के तमाम देश ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने की वकालत तो करते हैं लेकिन इसमें कटौती के लिए अपनी हिस्सेदारी तय करने के मामले में उनमें सहमति नहीं बन पाती। अमी तक 36 औद्योगिक देशों ने ग्रीन हाउस गैसों के निस्तारण पर वर्ष 2012 तक कमी लाने से सम्बन्धित क्योटो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।'' वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि सन् 2015 तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन स्थिर रखने का प्रयास करना होगा और उसके बाद उसमें कमी के बारे में सोचा जायेगा ताकि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटा जा सके।

वाशिंगटन के वर्ल्ड वाच इंस्टीट्यूट के अनुसार मोटर गाड़ियों और कल कारखानों से निकलने वाली गैसों से पृथ्वी गरमा रही है। इन गैसों से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है जिससे पृथ्वी के दोनों ध्रुवों और पवर्त मालाओं पर बिछी हिम चादर तेजी से पिघलने लगी है। पर्वतों पर जमी यह बर्फ सूर्य किरणों को वापस अन्तरिक्ष में भेजकर हमारी पृथ्वी को ठंडा रखती है। कई किलोमीटर मोटी और लाखों वर्ग मिलीमीटर क्षेत्र में फैली इस हिम चादर के पिघलने से महासागरों का जल स्तर कई फिट ऊँचा उठ जाने का अर्थ होगा, दुनिया की आधी से अधिक

यह निर्विवाद तथ्य है कि वायुमण्डल का संतुलन गड़बड़ा गया है। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा अन्यथा लाखों लोग पर्यावरण की मार से त्रस्त हो उठेंगे। एशिया के सात देशों के सामने जलवायु परिवर्तन के कारण संकट पैदा हो गया है। इन देशों की एक चौथाई आबादी विनाश और तबाही के कगार पर है। यह खतरा पर्यावरण के विनाश से पैदा हुआ है।

आबादी को शरण देने वाले तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा पैदा हो जाना उत्तरी ध्रुव के पास अटार्कटिक क्षेत्र के हिमचादर की मोटाई साठ दशक के मुकाबले 40 फीसदी कम हो चुकी है। पृथ्वी की कुल बर्फ का 91 प्रतिशत हिस्सा अपने पास रखने वाला अंटार्कटिक हिम क्षेत्र पिछले पांच सालों में 3000 वर्ग किलोमीटर सिकुड गया है। ध्रुवों से दूर महासागरों में भी तैरते विराट हम खंड पतले होकर टूट रहे हैं। अंटार्कटिका के अलावा भी ग्लोबल वार्मिंग के खतरे प्रकट हो रहे हैं। किलिमंजारों पर्वत की बर्फीली चोटियों का 90 सालों में 75 प्रतिशत पिघलना और गंगोत्री ग्लेशियर आठ मीटर पीछे खिसकना इसी बात के लक्षण है। 1972 के बाद से बेनेजुएला स्थित छह हिमनदियों में चार का गायब हो जाना कोई मामूली घटना नहीं है। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। पहले यह तापमान 15.20 डिग्री सेंटीग्रेड था और अब यह 15.32 डिग्री सेंटीग्रेड है अनुमान लगाया गया है कि हर वर्ष में 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा है। अब यह वृद्धि 0.3 से 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकती है। इस हिसाब से अगले 40 वर्षो में पृथ्वी का तापमान 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जायेगा। तापमान की इस वृद्धि से दुनिया के अधिकांश हिस्से तबाह हो जायेंगे। बेहिसाब बढ़ती इस गर्मी का कारण वायुमण्डल में कार्बन डाई–ऑक्साइड पहले की अपेक्षा 26 प्रतिशत बढ़ गयी । हर साल वायुमंडल में शामिल होने वाली 1.8 अरब टन कार्बन डाई ऑक्साइड कल–कारखानों और मोटर गाड़ियों के धुंआ–धक्कड़ों से पैदा होती है। वायुमण्डल की गर्मी बढ़ाने वाली अन्य गैसों में मीथेन प्रमुख है। इसकी वृद्धि का कारण धान की खेती और पशुओं की बढ़ती हुयी संख्या है।

प्रकृति से खिलवाड़ करने का परिणाम कितना भयानक होगा, इसकी कल्पना करना कठिन है, लेकिन मौसम में बदलाव के इस खतरे को नजरअंदाज किया गया तो हम भीषण तबाही से बच नहीं सकते हैं। उधर जेनेवा में विश्व मौसम विज्ञान संघ के अध्यक्ष ओ.पी. ओवासी ने कहा है। कि हम सामान्य रवैया नहीं अपनाये रह सकते हैं। यह निर्विवाद तथ्य है कि वायुमण्डल का संतुलन गड़बड़ा गया है। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा अन्यथा लाखों लोग पर्यावरण की मार से त्रस्त हो उठेंगे। एशिया के सात देशों के सामने जलवायु परिवर्तन के कारण संकट पैदा हो गया है। इन देशों की एक चौथाई आबादी विनाश और तबाही के कगार पर है। यह खतरा पर्यावरण के विनाश से पैदा हुआ है। वाशिगटन के 'क्लाइमेट इंस्टीट्यूट' की रपट में एशिया में जलवायु परिवर्तन के बारे में यह चेतावनी दी गयी है। आठ देशों के सरकारी और निजी संस्थानों के 60 से भी अधिक मौसम विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इण्डोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और फिलीपीन जलवायु परिवर्तन के दुश्चक्र में फंस गये हैं। इन देशों के तापमान और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों के अनुसार सन् 2030 तक भारत में गर्मियों में 1 डिग्री सेंटीग्रेट और सर्दियों में 3.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि हो सकती है। तापमान में सबसे अधिक वृद्धि उत्तरी भारत में होने की संभावना है। समुद्र तटीय तापमान में विशेष वृद्धि होगी। इससे समुद्र का खारा पानी जमीन में घुस जायेगा और उन स्थानों की मिट्टी अनुपजाऊ हो जायेगी और बाढ़ का खतरा बढ़ जायेगा। भारत के उत्तर पूर्व और दक्षिणी प्रायद्वीप में गर्मियों में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होगी। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में मानसून की वर्षा में कमी आयेगी।

मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी के अनुसार भारत की उर्वर भूमिवाले उत्तरी क्षेत्र में गेहूं की पैदावार कम हो सकती है। पूर्व तटवर्ती इलाकों में तबाहइी हमचाने वाला भयावह तूफान और बाढ़ आ सकती है। जलवायु मे ंपरिवर्तन की विभिन्न भविष्यवाणियों के अनुसार धरती का तापमान बढ़ने से उर्वरक क्षेत्रों में नमी का स्तर बहुत ज्यादा घट सकता है। इससे ऐसे अनेक क्षेत्र सहारा की तरह रेगिस्तान बन सकते हैं। वनों के अंधाधुंध कटान के कारण ही भारत में भूमि की उर्वरा शक्ति के घटने की मात्रा प्रतिवर्ष विश्व भर में सबसे ज्यादा है। इसके चारागाहों पर चराई भी जरूरत से ज्यादा हुई है। इससे मिट्टी को रोके रखने वाली वनस्पति बहुत कम रह गयी है। जब वर्षा होती है तो मिट्टी बह जाती है और भूमि की उर्वरा शक्ति और अधिक घट जाती है। तेज हवाएं भी भू–क्षरण के जरिए नुकसान पहुंचाती है। इसलिए समय रहते हुए अभी जलवायु परिवर्तन के प्रकोप से बचने के कदम नहीं उठाये जाते तो हम बच नहीं सकते। इसके लिए पेट्रोल, डीजल की जगह वैकल्पिक साधनों की खोज जरूरी है। सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से भी ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। कुछ हद तक सुख सुविधाओं का त्याग भी जलवायु परिवर्तन को हमसे दूर रख सकता है। ❖

पर्यावरण, बाजारीकरण और पिसती मानवता

एक ओर पर्यावरण की समस्या गंभीर होती जा रही है तो दूसरी ओर अमरीका इसमें अपनी व्यापारिक संभावना तलाशने में जुटा हुआ है।

■ डॉ. अश्विनी महाजन*

बढ़ता प्रदूषण और वैश्विक स्तर पर बढ़ती उष्णता अब एक वास्तविकता बन चुकी है और मानवता उससे ग्रसित है। लम्बी गर्मियां, अल्प एवं बे मौसम की बरसात और कहर ढाती बाढ़ें आज मानवता के लिए बड़ा खतरा बन चुकी हैं। शहरों में तो प्रदूषण इस कदर बढ़ गया है कि ताजी हवा में सांस लेना दूभर है और ताजी आक्सीजन में सांस लेने हेतु आक्सीजन सिलेंडरों का धंधा जोर पकड़ रहा है।

पृथ्वी का औसत तापमान सन् 1800 से 0.60 सेल्सियस बढ़ा और सन् 2100 तक यह 200 तक बढ़ सकता है। तापमान में वृद्धि से समुद्र का जलस्तर भी इस कालखंड में 10 से 20 सेंटीमीटर बढ़ गया और सन् 2100 तक यह 40 सेंटीमीटर और बढ़ सकता है।

हालांकि ग्रीन हाउस गैसें कुल वातावरण का मात्र एक प्रतिशत ही हैं, फिर भी वे पृथ्वी के आसपास एक आवरण बना लेती हैं। मनुष्य की गतिविधियां गैसों के प्राकृतिक स्तर को बढ़ाते हुए इस आवरण को और अधिक मोटा कर रही हैं। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस के जलने से कार्बन डाईआक्साइड का उत्सर्जन होता है। कृषि सम्बधी गतिविधियों से मिथेन और नाईट्रोआक्साईड पैदा होती है और इन सब से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती जाती है।

दोषी कौन ?

मानव विकास रपट 2007–08 के अनुसार विकसित देशों द्वारा कार्बनडाईआक्साइड का उत्सर्जन 1990 में 10,055.4 मिलियन मिट्रिक टन से बढ़ कर 12,137.5 मिलियन मिट्रिक टन हो गया। अकेले अमरीका का ही उत्सर्जन, 1990 में 4818.3 मिलियन मिट्रिन टन से बढ़कर 2004 में 6045.8 मिलियन मिट्रिक टन हो गया। आज अमरीका अकेला विश्व के 22 प्रतिशत प्रदूषण का दोषी है जबकि अमरीका की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या मात्र 4.6 प्रतिशत ही है। भारत जो विश्व की जनसंख्या का 17.4 प्रतिशत है, इसके द्वारा कार्बनडाईक्साइड का उत्सर्जन विश्व के कुल उत्सर्जन का मात्र 4 प्रतिशत ही है।

संयुक्त राष्ट्र की पहल

संयुक्त राष्ट्र ने पहल करते हुए बढ़ती वैश्विक उष्णता और इसके दुष्प्रभावों के अध्ययन हेतु जलवायु परिवर्तन पर अन्तरशासकीय पैनल (आईपीसीसी) बनाया और इस पैनल द्वारा 1990 में अपनी पहली रपट दी गई। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर कार्ययोजना सम्मेलन पहली बार 1994 में हुआ तदुपरान्त विभिन्न बैठकों और चर्चाओं के बाद 1997 में क्योटो (जापान) में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में एक समझौते को एकमत से अपनाया गया और 16 फरवरी 2005 से यह अमल में लाया गया।

इस समझौते की धारा 'तीन' के अनुसार सदस्य देशों द्वारा अपने कुल उत्सर्जन को 2012 तक 1990 के स्तर से 5 प्रतिशत नीचे लाना है। देशों को उनके औद्योगीकरण के स्तर, वर्तमान कार्बन उत्सर्जन, भौगोलिक स्थिति, अभी तक के आर्थिक विकास एवं वातावरण सम्बन्धी परिस्थितियों के आधार पर बांटकर उनके लिए लक्ष्य तय किए गए हैं। कई विकासशील देशों को जैसे चीन, भारत, ब्राजील इत्यादि को पहले प्रतिबद्धता चरण में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इन देशों ने अपने राष्ट्रीय आर्थिक हितों के संदर्भ में विकसित देशों के इस प्रयास का प्रतिवाद किया कि वे अपने उत्सर्जन में कमी लायें।

अमरीका बनाम शेष विश्व

यह महत्त्वपूर्ण है कि अमरीका 2001 में क्योटो संधि से बाहर आ गया। उसका तर्क था कि इस संधि में रहने से उसको आर्थिक हितों पर चोट पहुंचेगी। अमरीका का कहना है कि सदस्य देशों को उत्सर्जन में प्रतिशत के आधार पर नहीं बल्कि कुल उत्सर्जन में कमी लानी चाहिए। इसका मतलब यह होगा कि भारत, चीन, ब्राजील एवं अन्य विकासशील देशों को अपने उत्सर्जन के स्तर को कम करना होगा। इस प्रकार के बन्दोबस्त से विकासशील देशों के हितों पर कुठाराघात होगा क्योंकि इन देशों को अपने उत्पादन स्तर की प्रक्रियाओं को बदलना होगा और ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाना होगा जो उनके पास नहीं हैं। यानी इन्हें उन तकनीकों को उन्हीं विकसित देशों से मंगाना होगा जिनके पास वे तकनीकें हैं। गौरतलब है कि इस प्रकार के बन्दोबस्त से उन्हीं विकसित देशों को लाभ होगा जो पहले से ही भारी उत्सर्जन के दोषी हैं और वर्तमान पर्यावरण प्रदूषण उन्हीं के कारण से है। यही नहीं, इस प्रकार की कार्यवाही से विकासशील देशों द्वारा अपने अपने देश में गरीबी और असमानताओं को कम करने के प्रयासों को धक्का लगेगा।

दूसरी ओर भारत सहित विकासशील देशों का यह कहना है कि उत्सर्जन में कमी के लिए प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन आधार होना चाहिए। जैसा कि उपर उल्लेख

*लेखक : पीजीडीएवी महाविद्यालय दिल्ली में अर्थशास्त्र के उपाचार्य हैं।

किया गया है कि भारत द्वारा वैश्विक स्तर पर कुल उत्सर्जन का मात्र 4 प्रतिशत ही होता है, जबकि अमरीका जिसकी जनसंख्या भारत से एक–तिहाई से भी कम है, वह कुल वैश्विक उत्सर्जन का 22 प्रतिशत का दोषी है। प्रतिव्यक्ति आधार पर अमरीका का उत्सर्जन 20.6 मिट्रिक टन है जबकि भारत का उत्सर्जन मात्र 1. 2 मिट्रिक टन है। इसका मतलब यह है कि अमरीका द्वारा औसत प्रति व्यक्ति उत्सर्जन भारत के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन से 17 गुना अधिक है। इसलिए समानता के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो प्रति व्यक्ति आधार का मापदंड सामूहिक आधार से बेहतर है।

उत्सर्जन व्यापार

सदस्य देशों को यह विकल्प दिया गया है कि वे अपने द्वारा उत्सर्जन में कमी के बदले वातावरण में कार्बनडाइआक्साइड की मात्रा कम करने वाले विकल्प जैसे – वृक्षारोपण और – भूमि संरक्षण के कार्य करें अथवा इस प्रकार के विकल्पों के लिए राशि प्रदान करें जो ग्रीन हाउस गैसों को कम करती हैं। ऐसा वे अपने देश में अथवा दूसरे देश में कहीं भी कर सकते हैं। इन देशों द्वारा वातावरण में कार्बन कम करने के प्रयासों की एवज में क्रेडिट बिन्दु मिलेंगे, जिसके फलस्वरूप उनका स्वयं का कार्बन उत्सर्जन कम करने का दायित्व घट जाएगा।

क्योटो संधि के अनुसार परिशिष्ट एक के देशों को अपने उत्सर्जन स्तर को कम करने की बाध्यता है लेकिन संधि में ही उपलब्ध छूट के अनुसार ये देश अपने हिस्से की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के क्रेडिट खरीद कर अपने दायित्व को कम कर सकते हैं। ऐसे देश जिनको वर्तमान से अधिक गैस उत्सर्जन करने की अनुमति है, अथवा जो ऐसे देश उत्सर्जन को कम कर पा रहे हैं अपनी क्रेडिट अधिक प्रदूषणकारी देशों को बेच सकते हैं। ऐसे क्रेडिट खरीदकर ये प्रदूषणकारी देश अपने उत्सर्जन कम करने के अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। अगर व्यष्टि स्तर पर देखें तो अधिक उत्सर्जन करने वाली कंपनियां उन लोगों से क्रेडिट खरीद सकती हैं जो कम प्रदूषणकारी हैं। इस प्रकार के लेन देन को उत्सर्जन व्यापार कहा जाता है।

स्पष्ट है कि क्योटो संधि के अन्तर्गत पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए सिंकिंग एवं उत्सर्जन व्यापार जैसे बाजार उपकरणों का सहारा लिया गया है। ध्यातव्य है कि अमरीका यूरोपीय समुदाय में पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए उत्सर्जन व्यापार पहले से ही चल रहा है। क्योटो संधि के बाद उत्सर्जन व्यापार को बल मिला है और उत्सर्जन व्यापार में संलग्न लोग अमीर होते जा रहे हैं। लंदन वित्तीय बाजार में उत्सर्जन व्यापार सन् 2007 तक 60 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच चुका है।

उत्सर्जन व्यापार का समाधान

वे लोग जो उत्सर्जन व्यापार के पक्ष में हैं उनका कहना है कि इसके माध्यम से कम लागत पर कार्बन उत्सर्जन में कमी की जा सकेगी। जबकि आलोचकों का कहना है कि इसके द्वारा समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उत्सर्जन में कमी करने वाले लोगों द्वारा उत्सर्जन अधिक करने वालों को कार्बन क्रेडिट अधिक से अधिक कीमत पर बेचने से समस्या का समाधान नहीं होता। वास्तव में उत्सर्जन में कमी तभी लाई जा सकती है जब सरकारी नियंत्रण और सामाजिक प्रयासों के द्वारा उत्सर्जन कम किया जाए। हाल ही में कुछ सरकारों द्वारा अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वालों को मुफ्त में क्रेडिट बांटे जाने से इस व्यवस्था की पोल खुल चुकी है। वास्तव में विकसित देशों की सरकारें प्रदूषणकारियों को दंडित करने के बजाय संरक्षण दे रही हैं। उत्सर्जन व्यापार के आलोचकों का यह कहना है कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निपटने का हल उत्सर्जन व्यापार नहीं बल्कि प्रदूषणकारियों पर कर लगाने से होगा। इसके अतिरिक्त उत्सर्जन व्यापार के लालच में पुराने वनों को काट–काट कर उनके स्थान पर जल्दी उगने वाली वनस्पतियों को लगाया जा रहा है। इससे वास्तव में कार्बन उत्सर्जन तो बढ़ ही रहा है और स्थानीय समुदायों को नुकसान भी हो रहा है।

भारत पर उभरते खतरे

हाल ही में संपन्न संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित बाली (मलेशिया) सम्मेलन में विकसित देशों को बाध्य होकर यह मानना पड़ा कि वे अपने द्वारा हो रहे उत्सर्जन में भारी कमी करेंगे। इस कारण से बाली सम्मेलन से एक आशा का माहौल है। लेकिन हमें समझना होगा कि विकसित देशों ने इस हेतु न तो कोई प्रतिबद्धता दिखाई है और न कोई समय सीमा निर्धारित हुई है। दूसरी ओर अमरीका और उसके सहयोगी देशों द्वारा यह दबाव बनाया जा रहा है कि भारत और चीन जैसे विकासशील देश अपने उत्सर्जन को कम करें। क्योटो संधि को पूर्णतया ठुकराते हुए अमरीका, अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए तैयार नहीं है। ध्यातव्य है कि सन् 1900 से 2004 के बीच भारत द्वारा कार्बन उत्सर्जन लगभग दोगुना हो गया।ऐसे में यदि अमरीका भारत को अपने उत्सर्जन कम करने के लिए बाध्य कर दे तो हमारे विकास की प्रक्रिया अवरूद्ध होगी। और इस क्रम में यदि अपने द्वारा उत्सर्जन बढ़ने के कारण भारत को शेष विश्व से कार्बन क्रेडिट खरीदने पड़े तो विकास के लाभ बहुत बड़ी मात्रा में शेष विश्व को चले जाएंगे। ऐसे में भारत को कूटनीतिक और राजनीतिक प्रयास करने होंगे और अमरीका सहित विकसित देशों पर दबाव बनाना होगा। और साथ ही साथ एक वातावरण बनाना होगा कि सर्वाधिक प्रदूषणकारी देश अपने द्वारा कार्बन उत्सर्जन को कम करें ताकि भारत सहित अन्य विकासशील देशों का विकास निर्बाध रूप से हो सके।

देश की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही पर्यावरण नीति विकसित हो

बाली में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के मौसम सम्मेलन को लेकर जलवायु परिवर्तन विषय पर स्वदेशी विचार केन्द्र दिल्ली की ओर से आयोजित सामूहिक परिचर्चा में इस बात पर चिंता व्यक्त गई कि विकसित देश अपनी नैतिक जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा रहे हैं।

स्वदेशी जागरण मंच के केन्द्रीय कार्यालय दिल्ली में 26 दिसम्बर 2007 को आयोजित इस परिचर्चा में शामिल हुए दिल्ली तथा राजधानी क्षेत्र के अनेक प्रमुख विद्वानों ने बाली सम्मेलन को पूरी तरह से विफल बताते हुए इस बात पर ऐतराज किया कि अमरीका सहित अन्य विकसित देशों ने अपने निजी स्वार्थ के तहत विकासशील देशों की परवाह नहीं करने की जो रणनीति तैयार की है अगर उसे समय रहते नहीं रोका गया तो भारत सहित अन्य विकासशील देशों के लिए घातक परिणाम होंगे।

परिचर्चा में श्री जितेन्द्र बजाज ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर हमें बहुत अधिक चिंतित होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि विश्व की समस्याओं से हमारी समस्या भिन्न है। यह हमारा मिथ्या भ्रम है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या भारत को अधिक प्रभावित करेगी। श्री बजाज ने कहा कि ऐसा समय आएगा जब ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा भी बंद हो जाएगा, इसलिए प्रलय की चिंता करना हमारा काम नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की समस्या प्रदूषण नहीं है, यह पूरे राष्ट्र की समस्या भी नहीं है। हां, दिल्ली, मुम्बई की हो सकती है। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या ऊर्जा की है, जिसमें साधारण गांवों की चिंता होनी चाहिए।

ऊर्जा की समस्या से निपटने के लिए श्री जितेन्द्र बजाज का सुझाव था कि हमें इस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए कि कोयले से काम करने वाली चीजों का उपयोग ठीक से करें एवं विश्वसनीय तथा संभव विकल्पों की तलाश करें।

परिचर्चा बैठक के अध्यक्ष श्री स्वदेश शर्मा ने श्री जितेन्द्र बजाज के मत से अपना भिन्न मत व्यक्त करते हुए कहा कि समस्याओं में से ही चर्चाएं उपजती हैं, इसलिए जो होनेा है, सो होना है, यह सोचकर हम बैठे नहीं रह सकते। प्रकृति ने नियम बना रखें हैं जो अपना संतुलन खराब नहीं होने देते। प्रकृति को खराब तो हम करते हैं। अध्यक्ष ने कहा कि मानव की समस्या स्वदेशी के विचार से जुड़ी समस्या है। विकास के मामले में हम अभी भी अमरीका से कोसों दूर हैं,लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। प्रकृति में अजीब चीजें हो रही हैं वातावरण में अजीब चीजें हो रही हैं। लेकिन अमरीका अपने जीवन स्तर के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। आतंकवाद आज अमरीका का विषय नहीं है, पश्चिमी देशों की समस्या आतंकवाद नहीं है, यह समस्या तो हम झेल रहे हैं, इसलिए हमें सोचना है कि क्या किया जाए। अमरीका हर चीज को ट्रेड में बदलता है, व्यापार से जोड़कर देखता है, जिसमें भी उसका फायदा हो इसलिए भारत को इसके विकल्प की चिंता होनी चाहिए। अमरीका को यूरोप के साथ क्रम वर्क सम्मान करना पड़ेगा। अमरीका भी कोशिश कर रहा है क्योंकि अमरीका के पास सेंसर का लेबल है।

इस मौके पर स्वदेशी जागरण मंच दिल्ली प्रांत के संयोजक डॉ. अश्विनी महाजन ने कहा कि प्रदूषण, लम्बी गर्मियां मानव को खत्म करने वाले विषय हैं, जिन्हें विकसित देश कर रहे हैं। गैस उत्सर्जन की समस्या निरंतर बढ़ रही है। डॉ. महाजन ने कहा कि विकसित देशों द्वारा प्रदूषण का खतरा बाली सम्मेलन में विकासशील देशों की उम्मीदों पर खराब साबित नहीं हुआ प्रयास है। उन्होंने कहा कि अमरीका का निहित स्वार्थ है। कार्बन मार्केट के माध्यम से वह पर्यावरण का व्यापारीकरण करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अमरीका पर दबाव बढ़ाने की भारत की कोशिश बहुत धीमी है।

स्वदेशी पत्रिका के संपादक एवं स्वदेशी विचार केन्द्र के संचालक विद्यानंद आचार्या ने चिंता व्यक्त की कि जलवायु परिवर्तन का हल अगर बहुत शीघ्र नहीं ढूंढा गया तो इसका खामियाजा गरीब देशों को भुगतना पड़ेगा। श्री आचार्य ने कहा कि अमरीका की चिंता यह नहीं है कि क्योटो में कैसे बढ़ा जाए, इसलिए जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव कम होने वाले नहीं, बल्कि इसका असर भयानक पड़ने वाला है। स्वास्थ्य की समस्या बढ़ रही है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करने का दबाब हमारे उपर बढ़ रहा है। जबकि अमरीका पर दबाव बढ़ाने की कोशिश नहीं हो रही। स्वदेशी जागरण मंच उत्तर क्षेत्र के संगठक श्री कश्मीरी लाल जी ने कहा कि वाली सम्मेलन की कोई खास उपलब्धि नहीं रही लेकिन यह उपलब्धि जरूरत है कि पहली बार अमरीका फंसा है, जो उसे हां करनी पड़ी। अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यकत करते हुए कहा कि दोहा सम्मेलन से सीख लेने के बाद हमें बहुत अधिक सजग रहने की आवश्यकता है। ❖

विस्थापन एवं पुनर्वास हेतु केन्द्रीय कानून की आवश्यकता

विकास के पाश्चात्य एवं वर्तमान स्वरूप के कारण ही विस्थापन संपूर्ण विश्व के लिए विकट समस्या बन चुकी है।

■ विष्णुकांत*

देश में लगभग 90 प्रतिशत जनजातीय लोग कृषि एवं इससे जुड़े कार्यों पर निर्भर हैं। जनसंख्या वृद्धि और अन्य बाह्य दबावों के कारण वे जंगल और भूमि को खेती योग्य बनाने लगे। वनभूमि की प्रचुरता एवं सहज उपलब्धता के कारण प्रारम्भिक काल में उसके लिए यह कोई कठिन कार्य नहीं था।

भू–प्रबंध व्यवस्था

जनजातीय क्षेत्र सूदूरिता के कारण लम्बे समय तक भू–प्रबंध की आधुनिक व्यवस्था के बाहर रहा। इसी कारण जनजाति समुदायों ने भू–प्रबंध की अपनी परम्परागत व्यवस्था को विकसित किया। इस परम्परागत व्यवस्था में भू–स्वामित्व मोटे तौर पर तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :–

अ सामुदायिक भूमि जो सम्पूर्ण गांव की होगी,

ब किसी एक वंश की भूमि जिस पर स्वामित्व उस वंश का हो एवं

स व्यक्तिगत भूमि

ब्रिटिश शासन के विरुद्ध देश के विभिन्न जनजाति क्षेत्रों में हुए सशस्त्र विद्रोहों के मूल में भी भूमि और वनों पर अंग्रेजों की मनमानी, औपनिवेशिक नीति और उनके सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप प्रमुख कारण रहे हैं। परिणामस्वरूप ब्रिटिश शासन को भी जनजाति क्षेत्र में भू–प्रबंध व्यवस्था को गंभीरता से लेना पड़ा। उन्हें देश के शेष भाग में लागू निजी भूमि अधिकारों के विपरीत कुछ क्षेत्रों में सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देनी पड़ी। अन्य क्षेत्रों में एजेंसी एरिया (मद्रास प्रेसिडेंसी) और वर्जित एवं आंशिक रूप से वर्जित क्षेत्र का प्रावधान कर वहां जनजाति समुदाय/व्यक्तिगत की भूमि गैर जनजातियों–अप्रवासियों के पक्ष में स्थानांतरण अथवा भूमि धारण करने के अधिकारों पर पाबंदी लगादी गई।

बस्तर जैसे क्षेत्र में शासकीय अधिकारियों पर यह पाबंदी लगाई गई तो संथाल परगना जैसे क्षेत्र में भूमि का स्थानांतरण उन्हीं लोगों को हो सकता था जिनके पास पूर्व से ही भूमि (अर्थात भूमि रखने का अधिकार) हो।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 राज्य को निर्देश देता है कि वह अनु. जातियों, जनजातियों एवं अन्य दुर्बल वर्गो के लोगों के विकास हेतु विशेष प्रयास करे और उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से बचाए। इसी क्रम में अनुच्छेद 15 (4) (धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव) एवं 16 (4) – (रोजगार के अवसरों की समानता) के मूलभूत अधिकारों पर भी अपवाद रूप से इन वर्गों के विकास एवं सुरक्षा की दृष्टि से पाबंदी लगाई गई है।

इसी के परिणामस्वरूप देश के सभी राज्यों के कृषि/राजस्व भूमि कानूनों में जनजातियों की कृषि भूमि के गैर जनजातियों को स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है।

अवैध भूमि हस्तांतरण

अशिक्षा, जागृति के अभाव, जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि की मांग में अत्याधिक वृद्धि, औद्योगिकरण और नगरीय सीमाओं के विस्तार जैसे अनेक कारणों से ऐसे प्रतिबंधों के होते हुए भी जनजातियों के हाथों से उसकी भूमि–जो उसके जीवन निर्वाह का नैसर्गिक एवं शास्वत साधन है, निकलती जा रही है।

निर्धनता, जटिल एवं महंगी न्याय व्यवस्था एवं प्रशासन की यथास्थितिवादी मानसिकता के कारण शक्तिशाली–संगठित अतिक्रमियों के विरुद्ध वनवासी हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है। एक आंकलन के अनुसार दर्ज मुकदमों में आधे लोगों की भी भूमि वापस नहीं मिलती।

परिणामस्वरूप उसकी आर्थिक एवं शारीरिक स्थिति बद से बदतर हो जाती है। मेलघाट (विदर्भ) और जकार जिला ठाणे (महाराष्ट्र), बारां (राजस्थान के सहरिया), पोसीना (बनासकांठा) और पंचमहाल (दोनों गुजरात) में गत वर्षों से बड़ी संख्या में हो रही बाल मृत्यु के मूल में भी वहां की जनजातियों के हाथों से जमीन का निकल जाना अन्य कारणों के साथ एक बड़ा कारण है।

इस स्थिति से उबरने के लिए पूरे देश में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 (ख) की तरह ही बाकी राज्यों को भी ऐसा प्रावधान करना चाहिए। साथ ही पंचायत (अनु. क्षेत्रों में विस्तार (पीईएसए) कानून, 1996 के प्रावधानों को प्रभावी बनाना पड़ेगा जिसकी चर्चा आगे की गई है। प्रस्तावित राष्ट्रीय जनजाति नीति के पैरा 6 में भी इस आशय के कई संकल्प व्यक्त किये गये हैं।

विस्थापन एवं पुनर्वास

(क) विकास के पाश्चात्य एवं वर्तमान स्वरूप के कारण सम्पूर्ण विश्व के लिये विस्थापन एक विकराल समस्या बन गई है। देश का 2/3 वन क्षेत्र जनजाति क्षेत्र में है। योगायोग से जनजाति एंव वनक्षेत्र का मानचित्र भी देश के खनिज मानचित्र

*लेखक : अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम से संबंद्ध हैं।

के साथ–साथ चलता है और इसी क्षेत्र में विकास की बड़ी परियोजनाएं – खनन, खनिज उद्योग, सिंचाई, ताप एवं जलविद्युत परियोजनाएं भी स्थित हैं। इसी कारण इन परियोजनाओं से विस्थापित लोगों में 45 से 50 प्रतिशत भाग जनजातियों का है जबकि देश की कुल जनसंख्या में इसका भाग मात्र 9 प्रतिशत है

स्थिति की गंभीरता का अनुमान इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा में 1951 से 1990 के बीच 2.13 करोड़ लोग विस्थापित हुए, जिनमें 85.4 लाख (40 प्रतिशत) वनवासी थे। इनमें से 2004 के अंत तक केवल 21.2 लाख (25 प्रतिशत) का ही पुनर्वास हो पाया।

योजना आयोग द्वारा 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में जनजातियों के लिए गठित कार्यदल का आकलन भी यही था।

(ख) शासन किसी परियोजना हेतु कोई भूमि अधिग्रहीत करता है तो यह कार्य भूमि अधिग्रहण कानून, 1894 के अंतर्गत किया जाता है। एक शताब्दी पूर्व के इस कानून का उद्देश्य स्वामी और गुलामी की मानसिकता से समझा जा सकता है। इसमें परिवर्तन के प्रस्ताव राष्ट्रीय जनजाति नीति के पैरा 8 में संकल्प व्यक्त किये गये हैं।

इसमें दिये गये शब्द लोक हित को भी आज के संदर्भ में पुनर्भाषित करने की आवश्यकता है। औद्यौगिक परियोजनाओं के लिए पहले लोकहित का बहाना कर भूमि अधिग्रहण करना और बाद में इन परियोजनाओं का विनिवेश–ऐसे में लोकहित कहां दिखता है? ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। रेल, सड़क, सैन्य सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आदि विषय लोकहित में आ सकते हैं। सिंचाई, विद्युत परियोजनाओं के लिए भी यदि विस्थापन होता है तो प्रभावित लोगों को सिंचित क्षेत्र में भूमि के बदले भूमि अनिवार्य हो। अन्य लोकहितकारी परियोजनाओं के

स्थिति की गंभीरता का अनुमान इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा में 1951 से 1990 के बीच 2. 13 करोड़ लोग विस्थापित हुए, जिनमें 85.4 लाख (40 प्रतिशत) वनवासी थे। इनमें से 2004 के अंत तक केवल 21.2 लाख (25 प्रतिशत) का ही पुनर्वास हो पाया।

लिए भूमि के बदले भूमि अनिवार्य शर्त हो। इसी प्रकार क्षतिपूर्ति राशि–भूमि का मूल्य निर्धारित करते समय माप दंड का उपयोग किया जाए।

उदाहरण

1. माही एवं कडाना डेम 2. सरदार सरोवर एवं नर्मदा सागर परियोजना 3. राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों से भी अधिकतम मात्रा में जनजाति समुदाय के लोगों का प्रभावित होना, 4. कलिंग नगर प्रकरण 5. सिंगूर एवं नंदी ग्राम (प. बंगाल)

घटना के विस्तार में जाने के बजाय इसके परिणामों पर विचार करना उचित होगा।

ए – पूरे देश का ध्यान न केवल विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) परियोजनाओं पर गया बल्कि शासन–सत्ता द्वारा बंदूक के बल पर भूमि अधिग्रहण के तरीकों पर भी गया।

बी – सम्पूर्ण देश में सेज की प्रक्रिया रोक देनी पड़ी और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही मंत्रियों के समूह (जीओएम) को यह घोषणा करनी पड़ी कि सेज के लिए भूमि अधिग्रहण शासन नहीं करेगा बल्कि सेज स्थापित करने वाले उद्यमियों को ही अपने स्तर पर भूमि की व्यवस्था करनी पड़ेगी और कृषि भूमि का एतदर्थ उपयोग नहीं किया जाएगा।

सी – केन्द्र सरकार ने 17 फरवरी 2004 को राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति (एनपीआरआर–2003) घोषित की। इसके पूर्व विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अपनी–अपनी नीति होती थी।

महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, और उड़ीसा राज्यों ने भी अपनी–अपनी नीति बनाई हुई है। शेष राज्यों को अभी अपनी नीति अधिसूचित करनी है। राज्यों की ये नीतियां केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित नीति से न्यूनतर नहीं हो सकती हैं।

डी – सिंगूर–नंदीग्राम की घटना के बाद ही केन्द्र के अधिकृत सूत्रों के आधार पर समाचार प्रकाशित हुए कि केन्द्र अपनी नीति को कानून का रूप देने जा रही है। पुनर्वास की नीति संविधान के नीति निर्देशक तत्वों की तरह ही है, जिसकी कानूनन अनुपालना नहीं कराई जा सकती, केवल नैतिक दबाव बनाती है।

परन्तु इस समाचार प्रकाशन के बाद केन्द्र सरकार की तरफ से इस विषय पर कोई हलचल दिखाई नहीं देती। इसे शीघ्र ही कानून का रूप दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही विस्थापन एवं पुनर्वास पर निगरानी रखने के लिए केन्द्र एवं राज्य स्तर पर एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया जाए।

ई – कलिंग नगर की घटना के पश्चात कोरियाई स्टील कम्पनी पोस्को ने प्रस्ताव किया कि वह पारादीप क्षेत्र में प्रस्तावित अपनी परियोजनाओं से प्रभावित लोगों को कम्पनी में शेयर देकर हिस्सेदारी दे सकता है। ऐसे प्रस्तावों पर भी सभी पहलुओं से विचार कर शासन एवं अध्ययन केन्द्रों, स्वयंसेवी संगठनों और स्वयं जनजाति नेताओं को इस पर अपना विचार प्रकट करना चाहिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं किया जाए। मुआवजे एवं पुनर्वास की मुकेश अम्बानी समूह की नीति भी गौर करने योग्य है। ❖

भविष्य की खेती-जैविक खेती

आने वाले दिनों में जैविक खेती का वर्चस्व बढ़ेगा जिसमें धन की अपेक्षा ज्ञान की उपयोगिता महत्त्वपूर्ण होगी।

■ **अरूण के शर्मा**

जैविक खेती और जैविक भोजन की आवश्यकता आज कृषक से लेकर उपभोक्ता तक सभी महसूस कर रहे हैं। सरकारी व सहकारी स्तरों पर इसके बढ़ावे के लिए कई योजनायें आ रही हैं जिनमें अनुदान का प्रावधान भी है ताकि किसान को प्रोत्साहन मिल सके। अनुदान से निश्चय ही जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा लेकिन यदि अनुदान के लिये जैविक खेती की जायेगी तो इसमें संदेह लगता है कि सफलता से जैविक खेती लम्बे समय तक चल पायेगी, क्योंकि 50 वर्ष पूर्व शुरू की गयी रासायनिक खेती अनुदान से शुरू हुई और आज अनुदान की बैसाखी होने के बावजूद चल पाने में असमर्थ हो रही है।

ऐसे समय में जैविक खेती को एक आशा की किरण मान आज इसे बढ़ावा दिया जा रहा है जो बहुत हद तक सही है। लेकिन इसके साथ जैविक खेती की मूल भावना यानी आत्मनिर्भर खेती को भी प्रचारित किया जावे ताकि भविष्य की खेती सबको भोजन देने के साथ ही पानी, पड़ौसी और पर्यावरण को भी संरक्षित/सुरक्षित करने वाली हो।

जैविक खेती में धन से ज्यादा ज्ञान की जरूरत होती है, यह धीरे–धीरे सिद्ध होता जा रहा है। इसका एक सटीक उदाहरण है वर्मीकम्पोस्ट का निर्माण।

वर्मीकम्पोस्ट नहीं केंचुऐ की जरूरत

वमीकम्पोस्ट को पिछले 10–15 वर्षों में जैविक खेती के लिए वरदान के रूप में प्रसारित किया गया जो कुछ हद तक सही लगा, क्योंकि इसमें उपलब्ध पोषक तत्व तुरन्त पौधों को मिलते हैं और किसानों को इसका प्रभाव यूरिया/डी.ए.पी. जैसा दिखता है। इसके प्रभाव से प्रेरित होकर कई संस्थाएं 5 से 10 रुपये किलो तक वर्मीकम्पोस्ट का विक्रय कर रही हैं। सरकार भी 2000 से दो लाख रुपये तक का अनुदान देने को तैयार है। किन्तु नतीजे विपरीत नजर आ रहे हैं, जैसे

1. बाजार में मिलावटी व कम गुणवत्ता वाले वर्मीकम्पोस्ट की भरमार है। 'प्लास्टिक के बोरों में पैक की गयी वर्मीकम्पोस्ट की गुणवत्ता में भारी कमी हो जाती है।

2. अनुदान से बने सीमेंट व टिन शेड में गर्मी की अधिकता व जल निकास ठीक न होने से केंचुऐ पनप नहीं पाते हैं। कुछ किसानों ने पक्के ढांचे के गोदाम बनाकर, वर्मीकम्पोस्ट घास–फूंस के छप्परों में जमीन पर वर्मीकम्पोस्ट बनाना शुरू कर दिया है और वे सफल हो रहे हैं। कई किसानों को विक्रय में समस्या आ रही है।

3. खेती की लागत में कमी नहीं आयेगी यदि किसान यूरिया–डी.ए.पी. के कट्टे की बजाय वर्मीकम्पोस्ट कम्पोस्ट का कट्टा खरीदेगा।

4. विदेशी केंचुऐ हमारी मृदा में लम्बे समय में क्या प्रभाव डालेंगे इसका कोई अध्ययन उपलब्ध नहीं है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे रासायनिक खेती में उर्वरक व कीटनाशक का असर 10–15 वर्ष के बाद मालुम होता है।

ऐसे में एक तकनीकी विशेष के कारण जैविक खेती संदेह के घेरे में आ सकती है।

धन नहीं ज्ञान की जरूरत

उपरोक्त वर्मीकम्पोस्ट की तकनीक व उसको बढ़ावा देने की योजनायें रासायनिक खेती की मानसिकता पर आधारित हैं, जिससे जैविक खेती लम्बे समय तक सफल नहीं हो पयेगी। अतः आवश्यकता सम्पूर्ण व उचित ज्ञान की है, जो थोड़ा तो पुस्तकों एवं पत्र – पत्रिकाओं से मिलता है व अधिकांश स्वयं के अनुभव से मिलता है। जैसे वर्मीकम्पोस्ट डालने के बजाय यदि जमीन में जहरीले रसायन डालना बन्द कर दिया जाये और पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद डाली जाये तो प्राकृतिक केंचुए पनपेंगे और इस वर्मीकम्पोस्ट से कई गुना लाभकारी सिद्ध होंगे। जैसे :–

1. भूमि के अन्दर ही वर्मीकम्पोस्ट मुफ्त में बन जायेगी।
2. भूमि की जुताई वायु संचार ठीक हो सकेगा–ट्रेक्टर की मंहगी जुताई से छुटकारा मिलेगा।
3. जमीन के ऊपर वर्मीकम्पोस्ट बनाने में

लगी लागत, मेहनत व जल बचेगा।

इस एक उदाहरण से सिद्ध हो गया कि जैविक खेती में ज्ञान व अनुभव का जितना सहारा लिया जाये उतनी ही इसकी सफलता बढ़ेगी।

ज्ञान का अर्थ यह कदापि नहीं है कि जैविक खेती में किसी आदान जैसे खाद, बीज की आवश्यकता ही नहीं होती है या बाहर से कुछ भी आदान लाना ही नहीं पड़ेगा जैसा कि कुछ जगह शून्य या जीरो खेती के नाम से प्रचार भी किया जा रहा है। जितना खेती की उपज और चारे के रूप में खेती से बाहर निकाला जा रहा है उसका 50–60 प्रतिशत खाद के रूप में वापस देना ही पड़ेगा। शेष प्रकृति की व्यवस्था से पूरा हो जायेगा। हां बाहर से आदान लाने का अर्थ गांव या जिला स्तर पर उपलब्ध खाद का प्रयोग करने से है। लेकिन ज्ञान इससे भी ज्यादा आवश्यक आदान है। ज्ञान की आवश्यकता है – खाद, बीज, कीट नियंत्रक बनाने में, इनके समय पर सदुपयोग करने में, खेती के मित्र व शत्रु पहचानने में, सही समय पर कृषि कार्य करने में सही ज्ञान व अनुभव बहुत जरूरी है। रासायनिक खेती में बीज, उर्वरक, कीटनाशक सभी बाहर से आते हैं, अतः ज्ञान की बजाय धन की जरूरत ज्यादा होती है और किसान इनके लिए कर्ज लेकर कंगाली के दुष्चक्र में फंसकर जमीन व जीवन दोनों को गंवा देता है। इसके विपरीत जैविक खेती ज्ञान व अनुभव पर आधारित है। ज्ञान आधारित होने से जैविक खेती में सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें नकल करके कोई न तो आगे बढ़ सकता है और न ही दूसरे को गलत जानकारी देकर नुकसान पहुंचा सकता है। रासायनिक खेती में नकल व भेड़चाल से बड़े किसानों, पड़ौसी की देखादेखी ज्यादा उर्वरक, कीटनाशक आदि का प्रयोग करने से हजारों छोटे किसान बर्बाद हो गये हैं। जबकि जैविक खेती में पूंजी तो ज्ञान है जिसे दूसरे की खेती देख, अपने में प्रयोग करने के लिए समझदारी की

खाद, बीज, कीट नियंत्रक बनाने में, इनके समय पर सदुपयोग करने में, खेती के मित्र व शत्रु पहचानने में, सही समय पर कृषि कार्य करने में सही ज्ञान व अनुभव बहुत जरूरी है। रासायनिक खेती में बीज, उर्वरक, कीटनाशक सभी बाहर से आते हैं, अतः ज्ञान की बजाय धन की जरूरत ज्यादा होती है और किसान इनके लिए कर्ज लेकर कंगाली के दुष्चक्र में फंसकर जमीन व जीवन दोनों को गंवा देता है।

जरूरत है यानी नकल में अक्ल की जरूरत होती है।

बेशक जैविक खेती में सफल किसानों के खेत देखकर व उनके अनुभवों का लाभ उठाकर जैविक खेती की शुरूआत की जा सकती है किन्तु सही अर्थों में लाभकारी जैविक खेती के लिए स्वयं की समझबूझ से भूमि, जल व जलवायु के अनुसार जैविक व्यवस्था तैयार करने पर ही सफलता निश्चित हो पायेगी। इस संदर्भ में निम्न बिन्दु विचारणीय हैं:

1. जैविक खेती का ज्ञान बढ़ाने के लिए जैविक खेतों का भ्रमण, पत्र–पत्रिकायें, इन्टरनैट का उपयोग अच्छा है।
2. इस उपलब्ध ज्ञान को आधार बनाकर, आत्मनिर्भर व्यवस्था बनाई जावे।

प्रत्येक खेत विशेष–दूसरे खेत से अलग

प्रत्येक खेती भूमि के ढलान, वृक्षों की संख्या, फसल, क्रम, जल की उपलब्धता व गुणवत्ता, खाद की प्रयोग की गयी मात्रा के कारण दूसरे खेत से अलग होता है। अतः सभी खेतों में समान तकनीक का प्रयोग उपयोगी सिद्ध नहीं होता या लाभकारी नहीं होता। उदाहरण के लिये यदि एक खेत में फसलचक्र में दलहनी फसल को शामिल किया जाता है तो जैविक खाद की कम मात्रा से ही अगली फसल अच्छी मिलेगी जबकि यदि कपास–गेहूं जैसा फसल चक्र को अपनाया गया है तो खाद की मात्रा डेढ़ गुना हो सकती है। जल संरक्षण भी प्रत्येक खेत में अलग होता है। अर्थ यह है कि उपलब्ध जानकारी को ज्ञान व अनुभव के आधार पर यदि किसान भाई अपने खेत के अनुकूल बनाने हेतु छोटे–छोटे प्रयोग कर सम्पूर्ण खेत में अपनावें तभी खेती लाभकारी हो सकेगी।

यहां ज्ञान एवं कुछ हद तक तकनीकी व आर्थिक सहायता हेतु दो संस्थाओं का संदर्भ दिया जा रहा है जिनसे सम्पर्क कर विश्वसनीय तकनीकी ज्ञान, जैविक किसान, सहायक योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी, प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है।

1. राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र (भारत सरकार की संस्था)
   204, सी.जी.ओ., परिसर–2, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद–201002
   यहां से जैविक खेती में प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण व अन्य कई सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
2. भारतीय सजीव कृषि समाज (ओएफएआई) (स्वयं सेवी संस्था)
   जी–8, सेंट ब्रिटो अप्रार्टमेंटस, फायरा आल्टा, मापूसा – 403507 गोवा

स्वयं का बीज, खेत में उपलब्ध कचरे से अच्छी खाद व कीट–रोग के नियंत्रण की बजाय बचाव, में किसान भाई ज्ञान व अनुभव का जितना ज्यादा उपयोग करेंगे उतनी ही जैविक खेती की सफलता बढ़ती जायेगी। इस प्रकार जैविक खेती में धन की बजाय ज्ञान को प्राथमिकता देने से इस खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है व कृषक एवं समाज दोनों आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकते हैं।

अमरीकी कृषि विधेयक - 2007

दोहा दौर को बर्बाद करने वाला अमरीकी दस्तावेज

अमरीका का यह विधेयक विकासशील एवं अल्प विकसित देशों सहित विश्व बाजार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा

■ **सचिन चतुर्वेदी**

विश्व व्यापार संगठन में लंबे समय से अवरोध उत्पन्न है। वार्ता का दौर आगे बढ़ नहीं रहा। दोहा विकास दौर को सदस्य देश येन–केन प्रकारेण पटरी पर वापस लाना चाहते हैं। लेकिन अमरीकी कांग्रेस द्वारा हाल ही में पास अमरीकी कृषि विधेयक–2007 पटरी पर वापस आ रही दोहा दौर की वार्ता को पटरी से उतारने का दस्तावेज बन गया है।

नकारात्मक प्रभाव

अमरीका ने इस विधेयक के मार्फत अपने किसानों को मिलने वाली सब्सिडी की मात्रा एवं मृदा में काफी बढ़ोतरी करने की व्यवस्था की है। इस बढ़ोतरी के बाद वार्ताकार देशों के बीच बहस करने की नई ऊर्जा पैदा हो गयी है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विकासशील देशों के हितों की रक्षा समाप्त हो जाएगी। क्योंकि विकासशील देशों ने पहले ही मात्रात्मक प्रतिबंध समाप्त कर दिया है और उरूग्वे दौर के समझौतानुसार अपने बाजार में विकसित देशों को बाजार पहुंच का लाभ दे रखा है। एक तरह अमरीकी कृषि विधेयक–2007 अमरीकी अर्थव्यवस्था को संरक्षण देने वाला है, जो अमरीका की इस धारणा के विपरीत है जिसके तहत वह मुक्त एवं उचित व्यापार की डींगें हांकता रहता है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार का सबसे बड़ा व्यापारी होने के नाते अमरीका को यह समझना चाहिए कि उसके इस निर्णय से विकासशील एवं अल्प विकसित देशों सहित विश्व बाजार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।

पिछले कई वर्षों से अमरीकी कृषि विधेयक की पहचान अमरीकी कृषि एवं उसके उत्पादों को विश्व भर में प्रतिस्पर्धी बनाने में एक महत्त्वपूर्ण कारक के रूप में उभरा है। कानकुन बैठक से पूर्व सभी विकासशील देशों ने अमरीका द्वारा दी जा रही उच्च कृषि सब्सिडी को केंद्रित करते हुए इसका विरोध किया था एवं वैश्विक व्यापार व्यवस्था के लिए इसे अवरोधक भी बताया था। 2002 में अमरीका द्वारा दी जाने वाली 22.5 बिलयन डॉलर की कृषि सब्सिडी में कटौती कर 11 बिलयन डॉलर के स्तर पर लाने से अमरीका की मनाही के कारण विकासशील देशों ने अमरीका को आड़े हाथों लिया था। उस समय डब्ल्यूटीओ का कृषि दस्तावेज जो फाकनर के द्वारा जारी किया गया था उसमें अमरीका को सब्सिडी में कटौती कर उसे 13–16.4 बिलयन डॉलर के बीच रखने का सुझाव दिया गया था। लेकिन अमरीका ने ऐसा नहीं किया। उलटे उसने वर्तमान विधेयक के द्वारा सब्सिडी में कटौती के बजाय बढ़ाने का पर्याप्त इंतजाम कर लिया है।

मुख्य बिन्दु

अमरीकी कांग्रेस की प्रतिनिधि सभा ने कृषि विधेयक–2007 (एच.आर. 2419) को 30 जुलाई को 191 के मुकाबले 231 मतों से अनुमोदित कर दिया। यह निर्णय इसलिए किया गया कि अमरीका को भय था कि कृषि विधेयक 2002 कहीं समाप्त न हो जाए। अनुमान है कि 5 वर्षों में विधेयक का खर्चा लगभग 286 डॉलर होगा। 2002 के विधेयक की अमरीका में खासी किरकिरी हुई थी। क्योंकि यह विधेयक विश्व बाजार में कृषि उत्पादों के मूल्यों का पूर्वानुमान लगाने में असफल रहा था। लगभग यही हाल वर्तमान विधेयक का भी है। पिछले विधेयक में कपास सब्सिडी को बदलने में वर्तमान

विधेयक नाकामयाब रहा है। लगभग आधे से अधिक अमरीकी किसान जिसमें फल और सब्जी उत्पादक अधिक हैं, परंपरागत सब्सिडी का लाभ नहीं उठाते हैं। 70 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ केवल 10 प्रतिशत किसान उठा ले जाते हैं। भुगतान सीमा भी इतनी सख्त है कि 10 लाख डॉलर से कम की आय करने वाले किसान कृषि योजना एवं संरक्षण भुगतान का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अनुमानतः लगभग 51 लाख किसानों को प्रति मजदूर 63,428 अमरीकी डॉलर का भुगतान प्राप्त होता है। 2004 में विशेष कृषि उत्पादों के लिए किए गए 10 बिलयन अमरीकी डॉलर के भुगतान में 60 प्रतिशत (4.5 बिलयन डॉलर) मक्का एवं कपास (1.6 बिलयन डॉलर) के लिए भुगतान किया गया। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि अमरीका ने कहा था कि वह अपने सभी प्रकार की व्यापार अवरोधी सब्सिडी को घटाकर 22. 7 बिलयन डॉलर के स्तर पर ले आएगा।

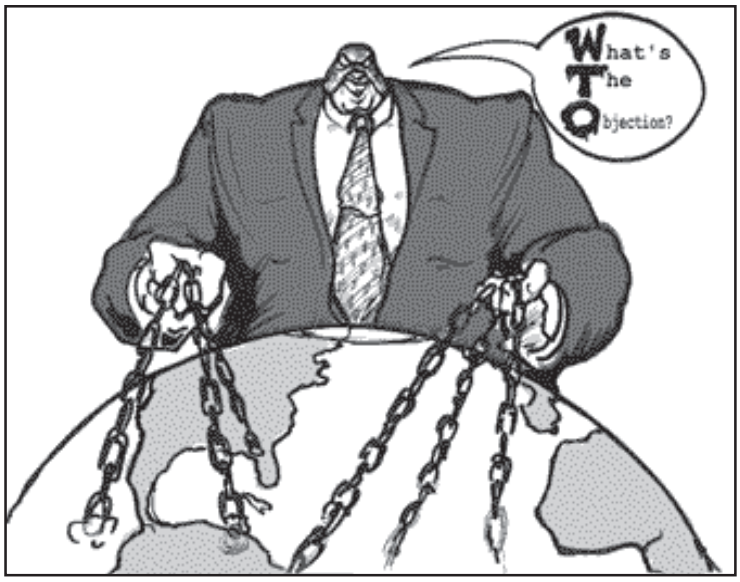

अमरीकी कृषि विधेयक 2007 में अमरीकी किसानों को विश्व व्यापार में कृषि उत्पादों के मूल्य में गिरावट आने की स्थिति में सुरक्षा कवच प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। विधेयक स्थायी आपदा प्रबंधन योजना की व्यवस्था एवं संरक्षण, पोषण और चक्रीय उर्जा स्त्रोतों हेतु जारी अर्थ सहायता में वृद्धि करने हेतु भी अधिकृत करता है।

अमरीकी कृषि विधेयक 2007 में अमरीकी किसानों को विश्व व्यापार में कृषि उत्पादों के मूल्य में गिरावट आने की स्थिति में सुरक्षा कवच प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। विधेयक स्थायी आपदा प्रबंधन योजना की व्यवस्था एवं संरक्षण, पोषण और चक्रीय उर्जा स्त्रोतों हेतु जारी अर्थ सहायता में वृद्धि करने हेतु भी अधिकृत करता है।

पिछले कुछ वर्षों में अमरीका ने गैर प्रशुल्क अवरोधों को काफी मजबूत कर लिया है। इससे पड़ोसी देशों से अमरीका में आने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाने में आसानी हो जाएगी। 1996–2007 तक के सभी कानूनों द्वारा अमरीका ने यह व्यवस्था सुनिश्चित कर ली है जिसमें फल, सब्जी, मांस एवं अन्य उत्पादों में उत्पादक देशों का उल्लेख पत्रक लगाना बाध्यकारी किया जा सकेगा। 2007 का कृषि विधेयक अमरीका में जैव ईधन के उत्पादन की अनुमति केवल मक्का से नहीं अपितु अन्य पदार्थों से करने की इजाजत देता है। इससे इन क्षेत्रों में उर्जा उत्पादन के नाम पर एवं उस हेतु उद्योग लगाने के नाम पर अपेक्षित मात्रा में सब्सिडी प्रदान की जा सकेगी।

विस्तार एवं संरक्षण

दोहा दौर की शुरूआत से ही विकसित देशों द्वारा जारी कृषि क्षेत्रों को दी जाने वाली घरेलू सहायता, विवाद एवं चिंता का विषय रहा है। ओईसीडी के सदस्य देश सामान्यतः 360 बिलयन डॉलर की घरेलू सहायता देते है जबकि अमरीका अकेला 15 बिलयन डॉलर की सब्सिडी आपातकाल सहायता के नाम पर अपने किसानों को देता है। एडिलेड विश्वविद्यालय के अध्ययन के अनुसार यदि अमरीका द्वारा जारी सब्सिडी वापस ले ली जाए तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पाद की कीमतों में 5 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि अमरीका ने 1933 के बाद से अब तक केवल 1985 को छोड़कर, सभी कृषि बिल द्वारा अपने यहां सब्सिडी में बढ़ोतरी की है। 1985 में अमरीका भयानक मंदी के दौर से गुजर रहा था। उसी समय से वह बाजार में अपने कृषि उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु नए–नए प्रकार की सब्सिडी की घोषणा करता रहा है। कभी घाटा सहयोग के नाम पर तो कभी अकाल के नाम पर, कभी विपणन के नाम पर तो कभी प्राकृतिक आपदा से क्षतिपूर्ति के नाम पर अमरीका अपने किसानों को सब्सिडी के नाम पर भारी भरकम राशि का भुगतान करता आया है। सच्चाई यह है कि अमरीका का कृषि विधेयक का इतिहास 80 के दशक से अभी तक नहीं बदला है। वर्तमान कृषि कानून–2007 भी इसका ताजा उदाहरण है। यदि अमरीका का यही रवैया आगे भी जारी रहा और अमरीकी सरकार दृढ़ता से इस पर अमल करती है तो दोहा विकास वार्ता के साथ–साथ विश्व व्यापार संगठन के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। ❖

पिछले अंक का शेष

इस तरह करें सूचना के अधिकार कानून का उपयोग

जनता को मिले सूचना के अधिकार कूानन का उपयोग बहुत बड़ा लोकतांत्रिक हथियार बन गया है। यह कानून 12 अक्तूबर, 2005 को लागू हुआ था। कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश सरकारी विभागों के ब्यौरे अब सिर्फ एक आवेदन से जाने जा सकते हैं। यानी सरकारी कामकाज की सच्चाई जानने का अधिकार अब आम आदमी को मिला है। जाहिर है इससे भ्रष्टाचारी बाबुओं की मनमानी कम हुई है, तमाम कार्रवाइयां भी उनके खिलाफ हुई हैं। देश में इस कानून से बहुत उम्मीदें बंधी हैं और लोगों ने इसका सदुपयोग करके हजारों अर्जियां दायर की हैं।

आखिर यह 'सूचना का अधिकार' क्या है और यह एक आम आदमी के लिए क्या करता है, क्या नहीं करता है? किस तरह की सूचनाएं किस प्रक्रिया से प्राप्त की जा सकती हैं? सरकार के ढेरों विभागों की हजारों योजनाओं और उनमें लगे जनता के पैसे का क्या किया जा रहा है? इस सबकी जानकारी सीधी–सरल भाषा में पुस्तक 'सूचना का अधिकार' से मिलती है। प्रभात खबर (रांची) के स्थानीय सम्पादक विष्णु राजगढ़िया और मैगसेसे पुरस्कार विजेता सूचना अधिकार के अग्रगामी अरविंद केजरीवाल द्वारा लिखित तथा हरिवंश द्वारा संपादित इस व्यावहारिक मार्गदर्शिका में हर बिन्दु का बारीक विश्लेषण तो है ही, सूचना के अधिकार को पाने के पीछे संघर्ष की दास्तान भी है। पुस्तक के अंश पाठकों के लिए प्रस्तुत है।

पत्रिका के पिछले अंक में हमने सूचना का अधिकार विषय पर जानकारी आदान–प्रदान करने की श्रृंखला शुरू की थी यह इस श्रंखला का भाग है। प्रथम भाग छपने के बाद मेरे पास पत्रों के आने का क्रम शुरू हुआ। साथ में प्रकाशित पत्र को सर्वोत्कृष्ट मानते हुए इन्हें हम स्वदेशी पत्रिका की एक प्रति एक वर्ष तक निःशुल्क भेज रहे हैं। आप से भी आग्रह है कि आपने यदि इस कानून का प्रयोग किया है और उसका उत्तर यदि मिला है तो अपनी जानकारी हमें भेजें जनउपयोगी प्रश्नों को हम पत्रिका में अवश्य प्रकाशित करेंगे। जनहित में पूछे गये सर्वोत्तम प्रश्नकर्ता को स्वदेशी पत्रिका की एक प्रति एक वर्ष तक निःशुल्क भेजी जाएगी – सम्पादक

सवाल : क्या जनसूचना अधिकारी कोई सूचना देने से इनकार कर सकते हैं?

जवाब : अधिनियम में सूचीबद्ध 11 विषयों में सूचना देने से वह इनकार कर सकता है। ये विषय हैं – विदेश की सरकारों से प्राप्त गोपनीय समाचार, जो इस विश्वास के साथ हमें बताए गए हैं कि इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, देश की सुरक्षा, कूटनीति, वैज्ञानिक और आर्थिक महत्त्व वाले समाचार, विधायकों द्वारा विशेषाधिकार का उल्लंघन आदि। इस सूचना के द्वितीय उपबन्ध में 18 एजेंसियों की सूची है जिन पर सूचनाधिकार की धारा लागू नहीं होती। जो हो, यदि मामला भ्रष्टाचार या मानवाधिकार के उल्लघन का हो, तब उन्हें सूचना देनी होगी।

सवाल : सूचना का आवेदन जमा करने का तरीका क्या होगा?

जवाब : आप व्यक्तिगत रूप से जाकर या अपने किसी व्यक्ति को जनसूचनाधिकारी अथवा सहायक जनसूचनाधिकारी के कार्यालय में भेजकर सूचना का आवेदन जमा करा सकते हैं। सूचनाधिकारी अथवा सहायक सूचनाधिकारी के पते पर डाक से भी जमा कर सकते हैं। केन्द्र सरकार के सभी विभागों के लिए 6219 डाकघरों में एक–एक अधिकारी को केन्द्रीय सहायक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। जी.पी.ओ. में ऐसे अधिकारी के पास आप अपना आवेदन तथा शुल्क जमा कर सकते हैं। वे आपको एक रसीद और पावती–पत्र देंगे और उस डाकघर का दायित्व है कि सही जनसूचनाधिकारी को आवेदन भिजवा दें।

सवाल : यदि जनसूचना अधिकारी या सम्बंधित विभाग आवेदन को स्वीकार न करे, तब क्या करना चाहिए?

जवाब : आपके पास कई रास्ते हैं। पहला यह कि आप

पुरस्कृत पत्र

मेरे द्वारा अपने जन सूचना अधिकार कानून के अन्तर्गत भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निम्न सूचनायें चाही गयी हैं।

1. **यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा फाँसी की सजा पाये किन–2 व्यक्तियों की जीवन दान क्षमायाचिकायें किन–किन पटलों पर लम्बित हैं।**
2. **यह कि लम्बित उक्त विषयक याचिकाओं में कौन–कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें राष्ट्रद्रोहात्मक कार्यों के सिद्ध पाये जाने पर फाँसी की सजा शीर्ष न्यायालय द्वारा दी गयी है।**
3. **यह कि उक्त विषयक याचिकायें कितने समय तक लम्बित रखने की संवैधानिक व्यवस्था है।**
4. **यह कि शीर्ष न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध फांसी की सजा पाये आतंकी अफजल गुरू की याचिका किस पटल पर और क्यों लंबित है।**

उक्त सूचना हेतु विहित शुल्क जरिये पोस्टल आर्डर लगा कर पंजीकृत डाक के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को भेजा गया। 'उत्तर' महामहिम राष्ट्रपति के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री फैज अहमद किदवई द्वारा इस पत्र को सूचना विषयक जानकारी केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी गृह मंत्रालय नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली – 110001 को हस्तांतरित किया गया है। तथा अपने पत्र के माध्यम से मुझे भविष्य में उक्त विषयक जानकारी हेतु उपरोक्त से पत्राचार करने को कहा गया है। (अगले उत्तर की प्रतीक्षा है।)

श्याम लाल शुक्ल (एडवोकेट)

इसे डाक से भेज सकते हैं। इसके अलावा, आप सम्बंधित सूचना आयुक्त के पास सूचनाधिकार कानून की धारा 18 के अन्तर्गत शिकायत भी दर्ज करा दें। सूचना आयुक्त को उस अधिकारी पर 25,000 रुपये का दंड लगाने का अधिकार है।

सवाल : यह कानून पहले किन राज्यों में लागू हुआ?

जवाब : वर्ष 2005 में केन्द्रीय कानून लागू होने से पहले नौ राज्य सरकारें कानून बना चुकी थीं। ये राज्य हैं–तमिलनाडु, गोवा, असम, जम्मू एवं कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इनमें से कुछ राज्यों के कानून गत पांच वर्षों से अस्तित्व में हैं और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं।

सवाल : केन्द्रीय कानून के दायरे में कौन आता है?

जवाब : केन्द्रीय कानून, जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर, पूरे देश में लागू है। सारी संस्थाएं जिनका संगठन संविधान के तहत या किसी भी कानून के अनुसार या सरकारी अधिसूचना के द्वारा हुआ है या फिर गैर–सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) सहित सारे उपक्रम जो सरकारी हैं, सरकार के अधीन हैं या पर्याप्त सरकारी वित्तीय सहायता पाते हैं, इस कानून की परिधि में आते हैं।

सवाल : क्या निजी संस्थाएं इसके दायरे में आएंगी?

जवाब : ऐसी सभी निजी संस्थाएं, जो सरकार द्वारा पोषित, संचालित हैं या पर्याप्त वित्तीय सहायता पाती हैं, प्रत्यक्षतः इस कानून के दायरे में आती हैं।

सवाल : क्या शासकीय गोपनीयता कानून कोई रुकावट नहीं पैदा करता?

जवाब : नहीं, सूचना कानून की धारा 2/2 में स्पष्ट उल्लेख है कि यह कानून शासकीय गोपनीयता कानून सहित ऐसे सारे वर्तमान कानूनों के ऊपर होगा।

सवाल : क्या यह कानून आंशिक स्पष्टीकरण की सुविधा देता है?

जवाब : हां, सूचनाधिकार कानून की धारा 10 के अन्तर्गत दस्तावेज के उस भाग की जानकारी दी जा सकती है, जिसमें ऐसी सूचना नहीं है जो इस कानून के अनुसार सार्वजनिक किए जाने से मुक्त है।

सवाल : क्या फाइल–नोटिंग भी मिलेगी?

जवाब : हां, फाइल पर की गई टिप्पणियां सरकारी फाइल का अविभाज्य हिस्सा हैं और इस कानून के अन्तर्गत उन्हें सार्वजनिक किया जा सकता है।

सवाल : सूचना कितने दिनों में मिलेगी?

जवाब : आवेदन के 30 दिनों के भीतर आपको सूचना मिल जानी चाहिए। यदि आपने सहायक सूचना अधिकारी के पास आवेदन जमा किया है, तब 35 दिनों के भीतर सूचना मिलगी। यदि सम्बन्धित सूचना किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता को प्रभावित करती है तो ऐसी सूचना 48 घंटे के भीतर उपलब्ध करा दी जानी चाहिए।

सवाल : क्या किसी अधिकारी को सजा मिली है?

जवाब : हां, केन्द्र एवं राज्य के सूचना आयुक्तों ने कई अधिकारियों को सजा दी है।

सवाल : सूचना न मिले तो क्या करें?

जवाब : यदि सूचना न मिले या प्राप्त सूचना से आप संतुष्ट नहीं हैं तो प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपील दायर कर सकते हैं। ❖

अंग्रेजों द्वारा भारत को प्रज्ञाहत करने का प्रयास

■ स्वदेशी संवाद

पुस्तक का लोकार्पण करते हुए कु.सी.सुदर्शन एवं रिनपोछे

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक कुप्प सी. सुदर्शन का कहना है कि आजादी के बाद भी 'इण्डिया' 'इण्डिया' ही रहा, भारत को कभी प्रधानता नहीं मिली। गत 21 दिसम्बर को नई दिल्ली में विख्यात गांधीवादी चिन्तक स्व. धर्मपाल द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक के हिन्दी अुनवाद 'धर्मपाल : समग्र लेखन' का लोकार्पण करने के बाद अपने विचार व्यक्त करते हुए। श्री सुदर्शन ने कहा कि भारत के जनमानस को समझने के लिऐ धर्मपाल जी ने गांवों का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि भारत दो हिस्सों में बंटा है – इण्डिया और भारत। इंडिया की भावनाएं, इंडिया की सोच और इंडिया के विचार अंग्रेजी पढ़ा–लिखा वर्ग प्रदर्शित करता है। यह वर्ग सोचता है कि जो कुछ ज्ञान–विज्ञान है, वह पश्चिम की देन है। भारत के पास तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे यहां ऐसी सोच मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के कारण पैदा हुई। अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को तोड़ने के भरसक प्रयत्न किए और भारत की प्रज्ञा को मारने की कोशिश की।

श्री सुदर्शन ने कहा कि अंग्रेज कहा करते थे कि भारत के पास जितनी भाषाएं हैं और जो साहित्य है उनमें काम की कोई बात है ही नहीं। यदि कुछ ज्ञान है भी तो वह यूरोप के किसी पुस्तकालय की एक आलमारी में समा जाने लायक है।

श्री सुदर्शन ने कहा कि स्वराज प्राप्ति के बाद भारत में अनेक विद्वान हुए, उनकी प्रथम पंक्ति में धर्मपाल जी भी शामिल थे। उन्होंने विद्वानों का पुरोधा बनकर काम किया। उन्होंने अपने अध्ययनों से सिद्ध किया कि भारत समृद्ध था और इस कारण अंग्रेज यहां आए।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री श्री सोंमदोंग रिनपोंछे ने कहा कि जगद्गुरू का दायित्व भारत के पास ही है, पर इसका बोध होना जरूरी है। यह बोध प्राप्त करने में धर्मपाल जी की पुस्तकें सहायक सिद्ध हो सकती हैं।

चीन की कथित प्रगति के संबंध में उन्होंने कहा कि हमारे यहां चीन–भक्तों की कमी नहीं है। ये लोग बात–बात पर चीन की प्रगति की दुहाई देते हैं। किन्तु चीन की असलियत कुछ और है। चीन के नगर तो बहुत साफ–सुथरे हैं और वहां ऊंची–ऊची अट्टालिकाएं खड़ी हैं। किन्तु शहर से मात्र 10 कि.मी. की दूरी पर भयानक गरीबी दिखती है।

कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय साहित्य परिषद् ने किया था। धर्मपाल सम्रग का प्रकाशन अहमदाबाद के पुनरूथान ट्रस्ट ने किया है। ट्रस्ट की सचिव श्रीमती इन्दुमती काटदरे ने बताया कि समग्र में 10 पुस्तकें हैं। कृपया बॉक्स देखें।

'भारतीय चिति, मानस एवं काल' , '18वीं शताब्दी में भारत में शिक्षा', 'पंचायत राज और भारतीय राज्यतंत्र', 'भारत में गोहत्या का अंग्रेजी मूल', 'भारत की बदनामी एवं दुरूपयोग', 'गांधी को समझें', 'भारत की परम्परा', अंग्रेजों से पहले का भारत और 'भारत का पुनर्बोध'।

धर्मपाल जी ने सारी पुस्तकों की रचना अंग्रेजी में की थी। पुनरूत्थान ट्रस्ट ने पहले गुजराती और अब हिन्दी में इनका प्रकाशन किया है। इस समग्र की कीमत 2000 रुपये है।

सम्पर्क

पुनरुत्थान ट्रस्ट, वसुंधरा सोसायटी, आनंद पार्क, कांकरिया, अहमदाबाद – 380028

विसंगतियों भरा आर्थिक विकास राष्ट्रवाद का संपोषक नहीं : मुरलीधर राव

■ स्वदेशी संवाद

स्वदेशी जागरण मंच का आठवां अखिल भारतीय सम्मेलन दिनांक 7 – 8 एवं 9 दिसम्बर, 2007 को देवी अहिल्याबाई होल्कर की महिमा से विभूषित प्रसिद्ध ऐतिहासिक व वाणिज्यिक नगर इंदौर (मध्य प्रदेश) में एक भव्य एवं उल्लासपूर्ण और प्रेरक वातावरण में संपन्न हुआ। इंदौर लोहा व्यापारी एसोसिएशन विद्यालय, स्नेहनगर (इंदौर) परिसर के अंदर विशाल मैदान के भव्य एवं सुसज्जित सभा मंडप के अंदर 7 दिसम्बर 2007 को ठीक 11.00 बजे पूर्वाह्न में भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन कर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सह सरकार्यवाह माननीय मदन दास देवी ने सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन किया।

सम्मेलन के स्थानीय स्वागताध्यक्ष श्री मधु वर्मा के द्वारा देश भर से एकत्र हुए प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत – भाषण संपन्न हुआ। सभा–मंडप संपूर्ण देश से तीन दिनों तक के लिए सम्मेलन में भाग लेने आए 833 प्रतिनिधियों के द्वारा लगाए गए गगनभेदी नारों के उद्घोष से गुंजायमान हो रहा था। 'भारत माता की जय', 'जय स्वदेशी – जय जय स्वदेशी', आदि के गगनभेदी नारे लगाए जा रहे थे। उद्घाटन सत्र में इंदौर नगर के भी गणमान्य नागरिक एकत्र हुए।

सर्वप्रथम उद्घाटन–सत्र में विगत एक वर्ष की आंदोलनात्मक व अन्य गतिविधियों का एक संक्षिप्त प्रतिवेदन मंच के राष्ट्रीय संचालक श्री अरूण ओझा के द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्री ओझा ने कहा कि इंदौर में इतिहास की गाथाएं रची गई हैं। इसलिए स्वदेशी जागरण मंच का यह सम्मेलन भी कई मायनों में एतिहासिक होने वाला है।

दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का उद्घाटन करते मदनदास देवी, अरूण ओझा, मुरलीधर राव

खुदरा व्यपार पर स्वदेशी जागरण मंच द्वारा अलख जगाने का परिणाम रॉचीं एवं इंदौर में इसमें आनेवाली कंपनियां देख चुकी हैं। मंच ने इसी प्रकार अन्य मुद्दों पर अपना संघर्ष अभियान चला रखा है। आने वाले दिनों में यह अभियान और प्रबल एवं यशस्वी होगा। नंदीग्राम की घटनाओं (मार्क्सवादी क्रांति या क्रूरता?) की निंदा एवं वहां की बहादुर जनता के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए श्री ओझा ने नारा दिया – ''मेरा ग्राम, तेरा ग्राम – नंदीग्राम! नंदीग्राम''; ''मेरा नाम तेरा नाम नंदीग्राम! नंदीग्राम।।''

उद्घाटन सत्र में प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री मुरलीधर राव ने बताया कि हम सभी यह मानते आए हैं कि हम लोग दूसरी स्वतंत्रता आंदोलन के युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं। गैट के डंकल प्रस्तावों की पृष्ठभूमि में स्वदेशी जागरण मंच का आंदोलन आरंभ हुआ था। आज विश्व व्यापार संगठन के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को पहुंच रही हानि सबके समक्ष है। इसके कारण किसानों, कारीगरों, छोटे व्यापारियों तथा लघु उद्योगों को हो रही क्षति के खिलाफ मंच आंदोलनरत है।

श्री मुरलीधर राव ने कहा कि हम 8–9 प्रतिशत विकास दर, आय में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि वाले देशों में शामिल हुए हैं। लेकिन जब इस पर चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि 80 प्रतिशत आमदनी केवल बीस प्रतिशत लोगों के हाथों में गई है।

सम्मेलन में देश भर से आए प्रतिधि गण

80 प्रतिशत लोगों की आय यथावत है। यह मनमोहन – चदम्बरम के आर्थिक विकास का नमूना है कि एक व्यक्ति का वेतन 25 करोड़ प्रतिमाह। यह राष्ट्र का विकास हो सकता है राष्ट्रवाद का विकास नहीं है।

श्री राव ने कहा कि पिछले वर्षों में हुआ विकास असमानता में भारी बढ़ोतरी कर रहा है। समाज का एक बहुत ही छोटा वर्ग जहां वैभव से खेल रहा है वहीं देश की बहुसंख्यक 90–95 प्रतिशत आबादी निर्धनता एवं अभाव की ओर निरंतर अग्रसर है। इस परिस्थिति में हमें विकास की दिशा की समीक्षा करनी होगी। हमें सर्व समावेशी विकास चाहिए जो सबकी चिंता करे। ऐसी नीतियां बननी चाहिए जिससे समाज के निर्धनतम व्यक्ति का उत्थान हो सके।

श्री राव ने कहा कि हमें विकास की एक नई दिशा की खोज करनी होगी जो सचमुच में जन विकास हो, जो स्थायी और व्यापक हो, जो स्वदेशी जीवन पद्धति पर आधारित हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो मंच इस द्वितीय स्वातंत्रय संग्राम को और तेज करेगा।

उद्घाटन–सत्र में ही श्री लक्ष्मी नारायण भाला द्वारा संपादित स्वदेशी गीतों के संग्रह की एक पुस्तिका ''कदम–कदम बढ़ाए जा'' तथा राजस्थान इकाई द्वारा प्रकाशित श्री मुरलीधर राव और श्री गुरुमूर्ति के प्रेरक भाषणों की एक पुस्तिका ''विजयी भारत'' का भी विमोचन मा. मदनदास जी के द्वारा संपन्न हुआ।

अपने उद्घाटन–भाषण में श्री मदनदास जी ने स्वदेशी–भाव की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करते हुए इसे जीवन में उतारने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी, विचार मात्र नहीं है वरन जीवन का संपूर्ण आधार है। श्री मदनदास जी ने कहा कि स्वाधीनता के आंदोलन में स्वदेशी एक प्रखर विषय था, पर बाद में देश की जनता उसे भूल गई। आज का स्वदेशी जागरण मंच दत्तोपंतजी की कल्पना का एक जीवंत स्वरूप है। उन्होंने आरंभ से ही इस मंच से अपने जुड़ाव की चर्चा करते हुए कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता आज की महती आवश्यकता है। विश्व व्यापार संगठन केवल पश्चिमी बड़े देशों का हित रक्षक है। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था एकाधिकार को जन्म दे रही है तथा तकनीकी के विकास के कारण रोजगार छिन रहा है। उन्होंने एक ऐसे विकास के ढांचे की आवश्यकता जताई जो टिकाऊ हो और एक ऐसी जीवन दृष्टि से युक्त हो जो प्रकृति के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करे।

सम्मेलन के दूसरे दिन प्रथम सत्र में ही पश्चिमी तथा भारतीय अर्थशास्त्रीय मॉडल पर एक अत्यन्त ही प्रेरक संबोधन – मंच के अ.भा. सहसंयोजक श्री एस. गुरूमूर्ति के द्वारा हुआ। इस सत्र की अध्यक्षता की मंच के दूसरे अ.भा.सह संयोजक श्री सरोज मित्र ने। श्री गुरूमूर्ति ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय आर्थिक व्यवस्था जहां परिवार और समाज आधारित है, वहीं पश्चिमी व्यवस्था सरकार आधारित है। भारतीय व्यवस्था टिकाऊ एवं स्थायी है, वहीं पश्चिमी व्यवस्था विखंडित हो रही है।

सम्मेलन के दूसरे दिन इंदौर नगर में लगभग पांच किलोमीटर लंबा प्रतिनिधियों का एक शानदार जुलूस निकाला गया। जुलूस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे मंच के अ.भा. संयोजक श्री मुरलीधर राव। जुलूस प्रदर्शन के आगे – आगे अश्वारोही युवकों का एक विशाल जत्था अपने हाथों में स्वदेशी आंदोलन का झंडा थामे चल रहा था और पीछे था एक भव्य अनुशासित विराट प्रदर्शनकारी प्रतिनिधियों का हुजूम, हाथों में झंडा और वाणी से नारों का गुंजार करते हुए नारी–पुरुष। सड़कों पर असंख्य स्वागत द्वार और जगह–जगह स्थानीय नागरिकों के द्वारा प्रदर्शनकारियों के ऊपर पुष्पवर्षा अत्यन्त ही आकर्षक और भव्य परिदृश्य था।

प्रदर्शन एक सार्वजनिक सभा में परिवर्तित हो गया। सार्वजनिक सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि तथा मंच के किसान प्रकोष्ठ के प्रमुख श्री भागीरथ चौधरी, भारतीय मजदूर संघ के अ.भा. उपाध्यक्ष श्री राम प्रकाश मिश्र, देश के प्रख्यात विचारक श्री गोविन्दाचार्य तथा मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री मुरलीधर राव के ओजस्वी भाषण हुए। कार्यक्रम का संचालन किया श्री बलराम वर्मा (इंदौर) ने, तथा धन्यवाद ज्ञापन किया श्री कमलेश पालीवाल (इंदौर) ने । मंच पर मध्यक्षेत्र संयोजक श्री सुन्दर सिंह शक्रवार भी उपस्थित थे।

सम्मेलन के तीसरे दिन प्रथम सत्र में ही विकास की वैकल्पिक दिशा विषय को केन्द्रित कर श्री गोविंदाचार्य का एक अत्यन्त ही तेजस्वी संबोधन हुआ। पूरा सम्मेलन विकास की अवधारणा विषय पर ही केंद्रित था और यही सम्मेलन का मुख्य स्वर था। श्री गोविन्दाचार्य ने राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय परिदृश्य तथा परिस्थितियों की व्यापक चर्चा करते हुए जनोन्मुखी (जनवादी) विकास की विस्तृत व्याख्या की।

दूसरे सत्र में स्वदेशी आंदोलन के प्रथम बलिदानी अमर शहीद बाबू गेनू के जीवन पर आधारित एक मर्मस्पर्शी उद्‌बोधन प्रस्तुत किया मंच के उत्तर भारत तथा संपूर्ण उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के संगठक श्री कश्मीरी लाल जी ने। इसी सत्र में मंच द्वारा संचालित किए जाने वाले आगामी कार्यक्रमों का विस्तृत विवेचन राष्ट्रीय संचालक श्री अरूण ओझा ने प्रस्तुत किया।

समारोप सत्र में टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) के कलाकारों द्वारा निर्मित राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी की एक आदमकद प्रतिमा का अनावरण श्री मुरलीधर राव के द्वारा किया गया। इस अवसर पर टीकमगढ़ के उन कलाकारों को श्री राव ने पुष्प–गुच्छ प्रदान कर सम्मानित भी किया जिन्होंने मात्र चौबीस घंटे में प्लास्टर ऑफ पेरिस से उस प्रतिमा का निर्माण किया था।

समारोप में बोलते हुए श्री मुरलीधर राव ने विगत 15–16 वर्षों के उदारीकरण की प्रक्रिया की विस्तारपूर्वक समीक्षा की तथा बताया कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के समय जिन लोगों ने कहा था कि इससे देश के किसानों को विश्व बाजार में निर्यात के कारण भारी लाभ पहुंचेगा, वे आज चुप क्यों हैं? मंच ने तो उसी समय इसके कारण होने वाले नुकसान से देशवासियों को सावधान किया था। भारत आज अनाजों का आयातक देश हो गया है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, खुदरा व्यापारी बर्बाद हो रहे हैं और किसानों की जमीन 'सेज' के नाम पर हड़पी जा रही है।

श्री राव ने सुदूर दक्षिण के केरल के प्लाचीमाडा से लेकर पूर्व के नंदीग्राम तक के आंदोलनों की चर्चा की तथा प्रतिनिधियों का आह्‌वान किया कि आज सभी प्रतिनिधि अपनी प्राथमिकता तय करें यही देश की पुकार है; अन्य कार्यों को पीछे रखकर स्वदेशी आंदोलन में कूदने के लिए तैयार होवें। उन्होंने शिवाजी महाराज के जीवन का प्रसंग उद्‌धृत करते हुए नानाजी मालसूरे से प्रेरणा लेने का आह्‌वान भी किया।

अंत में श्री दिलीप केलकर के द्वारा प्रस्तुत वंदे मातरम् के साथ सभी प्रतिनिधियों ने सस्वर गायन कर कार्यक्रम का समापन किया। इस सत्र का संचालन किया श्री मनोज द्विवेदी ने। मंच पर स्वदेशी जागरण मंच के सभी केन्द्रीय पदाधिकारी तथा विविध सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इसी सत्र में इस सफल सम्मेलन की व्यवस्था में लगे सभी स्थानीय कार्यकर्त्ताओं का परिचय कार्यक्रम भी करतल ध्वनि के बीच संपन्न हुआ। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने जिस लगन के साथ स्वदेशी जागरण मंच के इस अष्टम अ.भा. सम्मेलन को सफल किया उसके लिए मंच की ओर से श्री मुरलीधर राव ने उन सबों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया तथा उनका अभिनंदन भी किया। ❖

आगामी कार्यक्रम

बैठकें

केन्द्रीय कार्यसमिति की बैठक	-	**24-25 फरवरी, 2008, वारंगल (आन्ध्र प्रदेश)**
राष्ट्रीय परिषद की बैठक	-	**31 मई - 1 जून, 2008**
केन्द्रीय संचालन समिति	-	**30 मई 2008, (स्थान - जमशेदपुर)**
राष्ट्रीय सभा	-	**अक्टूबर/नवम्बर 2008, (स्थान - पंजाब)**
स्वदेशी विचारों के विविध आयामों के देश भर में चल रहे	-	**19 - 20 अप्रैल, 2008 (स्थान- हरिद्वार)**

आंदोलनों में जुटे व्यक्तियों/संस्थाओं का जुटान / बैठक

5 स्थानों पर अर्थशास्त्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन किसान नेताओं, कार्यकर्ताओं (विविध संगठनों से संबद्ध) का सम्मेलन (विशेषतः पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश) राष्ट्रीय विचार वर्ग विचार वर्ग दक्षिण, उत्तर पश्चिम और पूर्व में लगेंगे। - **मई 2008 में,**

5. खुदरा व्यापारी सम्मेलन - **सभी प्रांतों में प्रांत सम्मेलन**

आन्दोलन : -

''सेज'' तथा खुदरा व्यापार के क्षेत्रों में आंदोलन को तेज करना -

''सेज भूमि रक्षा परिक्रमा''	-	**जहां सेज बन रहा है, वहां आंदोलन आरंभ करना।**
खुदरा बाजार	-	**बाजार बंदी तक आंदोलन को ले जाना - इसके पूर्व दूकानों में पोस्टर लगाना, दोपहर में घंटानाद करना, एक घंटे की दूकान बंदी, काला बैज धारण, इत्यादि के कार्यक्रम करना।**

प्रत्येक प्रांत में किसी - न - किसी एक समस्या को लेकर आंदोलन आरंभ करना। जनता से जुड़ी किसी भी समस्या को केंद्रित कर आंदोलन आरंभ हो सकता है। धरना, प्रदर्शन, उपवास, सामूहिक अनशन इत्यादि के कार्यक्रम लिए जाएं।

जनोन्मुखी (जनवादी) विकास की अवधारणा (भूमंडलीकरण का विकल्प) पर देश भर में वैचारिक आंदोलन की लहर उत्पन्न करने हेतु बैठकें, संगोष्ठियां, सभाएं, परिसंवाद (सेमिनार) का आयोजन - प्रांत स्तर से लेकर जिला स्तर तक।

प्रस्ताव क्र. एक

सरकारी नीतियों के कारण है कृषि की बदहाली

पिछले लगभग दो दशकों से जारी वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं भारत सरकार की नीतियों के कारण भारतीय कृषि की दुर्दशा अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। देश में किसान आत्महत्या की बढ़ती संख्या, भारतीय कृषि की बदहाली का द्योतक है । सरकारी ऑकड़ों के अनुसार देश में अभी तक डेढ़ लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं और किसानों की समस्याओं के प्रति जो सरकारी रवैया है उसके कारण यह गति निरंतर बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री द्वारा जारी किसानों के लिए राहत पैकेज भी राहत प्रदान करने वाला साबित नहीं हुआ। राहत के करोड़ों रुपयों में व्याप्त भ्रष्टाचार, किसान आत्महत्या के प्रति सरकारी बेरूखी का द्योतक है। सरकार देश में आर्थिक विकास की दर और शेयर बाजार का सूचकांक कैसे बढ़े, इस हेतु हमेशा चिन्तित एवं प्रयासरत दिखाई देती है लेकिन, किसानों की बढ़ती दुर्दशा के प्रति सरकारी उदासीनता शर्मनाक है ।

विकास के नाम पर सरकार द्वारा बड़ी कम्पनियों के लिए भूमि लूट का अभियान – विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)

निर्यात संवर्द्धन एवं विकास के नाम पर पूरे देश में सैकड़ों विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है और आने वाले दिनों में यह संख्या काफी बढ़ने वाली है। दुर्भाग्यवश इसमें केन्द्र एवं राज्य सरकारें किसानों से जबरन भूमि अधिग्रहित कर निजी कंपनियों को सौंप रही हैं। किसानों की उपजाऊ जमीनें उनकी जीविका एवं सम्मान का आधार हैं, इनकी रक्षा के लिए आज उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है । बदले में सरकारें अपनी शक्ति का दुरूपयोग करते हुए उन्हें गोली का निशाना बना रही हैं। नंदीग्राम में राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद एवं किसानों एवं ग्रामीणों का नरसंहार इसका जीता–जागता उदाहरण है । देश में पहले से ही घटता हुआ खाद्यान्न उत्पादन चिंताजनक स्तर तक पहुँच चुका है, दूसरी ओर बढ़ते हुए सेज हेतु उपजाऊ भूमि अधिग्रहण से खाद्यान्न असुरक्षा और गंभीर हो जाएगी।

कृषि पर कंपनियों का कसता शिकंजा

वायदा कारोबार, ठेका खेती, विदेशी बीज और जीन परिवर्तित बीज (जेनिटिकली मोडीफाईड सीड), मंडी कानून, खुदरा व्यापार और खाद्यान्न व्यापार में सरकार द्वारा निरंतर कंपनियों को बढ़ावा देने से भारतीय कृषि पर इन कंपनियों का शिकंजा कसता जा रहा है। जैसे प्रो–एग्रो, सिन जेंटा, मोन सेंटो और ड्यू पोंट जैसी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का धीरे–धीरे भारतीय बीज बाजार पर अपना कब्जा बढ़ता ही जा रहा है । जिन परिवर्तित बीजों एवं उत्पादों को अमेरिका एवं यूरोप के देश प्रतिबंधित कर रहे हैं, इस परिस्थिति में हमें उन बीजों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से देश में सरकारी तंत्र बिना व्यापक सर्वेक्षण एवं मापदंड के उसे पूरे देश में लागू करना चाहता है, जो उचित नहीं है । कंपनियों के दबाव में आकर सरकार जिस तरह से कृषि एवं कृषि उत्पाद के क्षेत्रों से संबंधित नीतियाँ अपना रही है, उससे कृषि में सरकारी निवेश एवं खर्च लगातार कम होता जा रहा है । दूसरी ओर निजी कंपनियों द्वारा किसानों और आम उपभोक्ताओं की लूट बढ़ती जा रही है। कंपनियों का वर्चस्व धीरे–धीरे भारतीय कृषि क्षेत्र में बढ़ता गया और छोटे किसान किसानी छोड़कर बाहर होते गये। सरकारी अनुमान के अनुसार लगभग 40 प्रतिशत किसान अब देश में खेती करना नहीं चाहते हैं।

विश्व व्यापार संगठन से भारतीय कृषि पर मंडराते खतरे

विश्व व्यापार संगठन का कृषि समझौता अमरीका और पश्चिमी यूरोप द्वारा कृषि सब्सिडी को बरकरार रखने की जिद के चलते लगभग रूक जाने की स्थिति में आ गया है । इसके बावजूद भी इन देशों द्वारा विकासशील देशों पर दबाव बनाते हुए समझौते को आगे बढ़ाने के प्रयास निरंतर जारी हैं। दूसरी ओर भारतीय वाणिज्य मंत्री द्वारा समझौते के प्रति अनावश्यक उत्साह दिखाया जाना समझ से परे है। विकसित देशों द्वारा कृषि के क्षेत्र में अपनाई जा रही संरक्षणकारी नीतियाँ यू.एस. फार्म बिल–2007 द्वारा स्पष्ट हो रही हैं। विश्व व्यापार संगठन में पूर्व में किए गए समझौतों के कारण नये पेटेंट कानून, फार्मर्स एंड ब्रीडर्स राईट्स कानून, बीज कानून इत्यादि जैसे कानूनों के द्वारा किसानों को उनके परम्परागत अधिकारों से वंचित किया जा चुका है। देश में खुले तौर पर कृषि उत्पादों के आयात बढ़ते जा रहे हैं । अमीर देशों की कृषि संरक्षणकारी नीतियाँ और भारत सरकार द्वारा कृषि के प्रति बढ़ती बेरुखी से स्थिति बद से बदतर होती जा रही है।

गेहूं आयात भारतीय किसानों के साथ सौतेला व्यवहार

भारत सरकार द्वारा विदेशों से ऊँची कीमतों पर निम्न गुणवत्ता, खरपतवार, कीटों एवं रोगाणुओं से युक्त घटिया गेहूं का आयात एवं भारत के गेहूं उत्पादक किसानों को आयातित मूल्य की तुलना में कम समर्थन मूल्य देना भारतीय किसानों के साथ सरकार का सौतेला व्यवहार है। 60 के दशक में भारत द्वारा आयातित गेहूं के साथ आई कांग्रेस घास जैसी

परेशानियों से पूरे देश के किसान अभी जूझ ही रहे हैं। उस पर आयातित गेहूं के साथ नये खरपतवारों का आना चिंता बढ़ाने वाला है। सरकार ने भारतीय किसानों के हितों की अनदेखी करते हुए विदेशी गेहूं के आयात के लिए पादप संरक्षण मापदंडों (फाइटो सेनिटरी मेजर्स) को कमजोर बना दिया। स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार के माध्यम से ही घटिया गेहूं के आयात का मार्ग देश में प्रशस्त हुआ है। इस आयातित गेहूं की गुणवत्ता इतनी घटिया है कि महाराष्ट्र के गांवों में पशुओं तक ने भी इसे खाने से इन्कार कर दिया। हाल ही में अमेरिका से आयातित सेबों में 94 प्रकार के रोगाणुओं के पता चलने की पुष्टि सरकार ने की है । यह अमरीका प्रायोजित जैव आतंकवाद का निंदनीय उदाहरण है ।

स्वदेशी जागरण मंच यह मांग करता है कि

1. सरकार 'कृषि एक जीवन पद्धति' इस सिद्धान्त को मान्यता देते हुए अपनी नीतियों का निर्माण करे ।
2. सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मोह तुरंत त्याग कर भारतीय कृषि एवं किसानों के हित में योजनाएं एवं नीतियां अपनाए। देश के कुल बजट का वर्तमान के 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत खर्च कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित किया जाए।
3. आत्महत्या कर रहे किसानों को शीघ्र राहत पहुंचाने के लिए उनके ऋणों को माफ किया जाए, साथ ही किसानों को 3 से 4 प्रतिशत ब्याज की दर पर उनके लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जाए। सब्सिडी की राशि किसानों को नकद रूपए में देने की व्यवस्था हो ।
4. किसानों को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले और उनकी कृषि लागत को कम करने के प्रावधान सुनिश्चित किए जाएं।
5. 'सेज' कानून 2005 को निरस्त किया जाए। किसानों से अधिग्रहित उपजाऊ भूमि को क्षतिपूर्ति के साथ अविलंब उन्हें वापिस किया जाए।
6. गेहूं, दलहन, तिलहन एवं अन्य मोटे कृषि उत्पादों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगे और विशेष उत्पादन योजना के तहत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ।
7. जैविक खेती एवं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए बजटीय प्रावधानों की व्यवस्था हो ।
8. छोटे एवं मझले किसानों एवं भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यापक योजना बनाई जाए और प्रभावी फसल बीमा योजना लागू की जाए। प्रस्तावित विस्थापन एवं पुनर्वास कानून देश में व्यापक सर्वेक्षण एवं सहमति के बिना लागू नहीं किया जाए ।

प्रस्ताव क्र. 2

बंद हो खुदरा व्यापार में कंपनियों का प्रवेश

सरकार द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों से देश के खुदरा व्यापार को विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के लिए खोलने की मंशा जाहिर करना अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत में सवा करोड़ छोटी–बड़ी खुदरा व्यापार की दुकानें 4 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर रही हैं। यह क्षेत्र लगभग 20 करोड़ लोगों के जीवन–यापन का साधन बना हुआ है। कृषि के बाद खुदरा व्यापार ही सर्वाधिक रोजगार दिलाने वाला क्षेत्र है। पूरे देश में छोटे बड़े दुकानदार, रेहड़ी, पटरी, खोमचा से लेकर बड़े–बड़े विभागीय स्टोरों द्वारा यह व्यापार संचालित होता है। कम पूंजी की लागत से अधिक रोजगार सृजित करने एवं जीविका उपलब्ध कराने वाला भारतीय अर्थव्यवस्था का यह महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। देश की राष्ट्रीय आय में इस क्षेत्र का योगदान 13 प्रतिशत से भी अधिक है।

सरकार द्वारा कंपनियों को खुली छूट

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में भारत सरकार पहले ही एक ब्रांड के खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दे चुकी है और इस क्षेत्र में उनका कब्जा बढ़ाने के प्रयास निरंतर जारी हैं । ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अमरीका, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया देशों एवं चीन के खुदरा व्यापार पर काबिज होने के बाद अब भारतीय खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष निवेश हेतु दबाव बनाए हुए हैं। बढ़ते जनदबाव के कारण इन कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष पूंजी निवेश में सरकारी अनुमति में देरी के चलते ये कंपनियां चोर दरवाजे से भारतीय कंपनियों के माध्यम से भारतीय खुदरा व्यापार में पैर जमाना शुरू कर चुकी हैं। देश की बड़ी निजी कंपनियां भी खुदरा व्यापार में अपना वर्चस्व बढ़ा रही हैं।

रोजगार खतरे में

मैकेन्जी की रपट 2000 के अनुसार भारत के खुदरा व्यापार में श्रम की उत्पादकता अमरीका की तुलना में मात्र 6 प्रतिशत ही है। यदि अमरीकी कम्पनियों की तर्ज पर भारतीय खुदरा व्यापार में कंपनियों का प्रवेश होता है तो उनके द्वारा एक व्यक्ति को रोजगार मिलने से 15 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस तरह खुदरा व्यापार में कंपनियों का वर्चस्व बढ़ता गया तो करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और सामान्यतः कम पढ़े–लिखे खुदरा व्यापारियों के लिए कोई वैकल्पिक रोजगार संभव ही नहीं होगा।

अन्य खतरे

खुदरा क्षेत्र में कंपनियों के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों के उत्पादन, थोक व्यापार और उपभोक्ताओं पर दीर्घ काल में भारी असर पड़ेगा। ध्यातव्य है कि अमरीका का जूता उद्योग इन कंपनियों के कारण बंद हुआ और इंग्लैंड की कोट्स कम्पनी भी इन खुदरा कंपनियों के दबाव में अपना अस्तित्व खो बैठी। एक बार वर्चस्व स्थापित होने के बाद ये कंपनियां बाजार में उपभोक्ताओं से मनमानी कीमतें वसूल करती हैं। फारच्यून पत्रिका द्वारा किए एक अध्ययन के अनुसार इंग्लैंड में इन कंपनियों के वर्चस्व के चलते इनके द्वारा संचालित बड़े स्टोरों में बिकने वाला सामान यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा 40 प्रतिशत ज्यादा महंगा होता है ।

कुछ वर्ष पूर्व देश में एक विदेशी कंपनी मैट्रो केश एंड कैरी, द्वारा थोक व्यापार के बहाने बैंगलौर में खुदरा व्यापार में प्रवेश का प्रयास किया गया। स्वदेशी जागरण मंच के नेतृत्व में खुदरा व्यापारियों के द्वारा किए गए आंदोलन के कारण इस कंपनी को अपने इस अनुचित खुदरा व्यापार को संकुचित करना पड़ा और कंपनी को अदालत में भी मुंह की खानी पड़ी। देश भर में खुदरा क्षेत्र में कंपनियों के प्रवेश के विरोध में स्वदेशी जागरण मंच के नेतृत्व में आंदोलन लगातार चल रहा है।

स्वदेशी जागरण मंच मांग करता है कि

1. करोडों लोगों की जीविका की रक्षा हेतु खुदरा क्षेत्र में भारतीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश पर रोक लगायी जाए।
2. भारत के छोटे खुदरा व्यापारियों को अपने व्यापार के विकास एवं संवर्धन हेतु 4 प्रतिशत की दर से ऋण और करों में छूट सहित, अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं।

प्रस्ताव क्र. 3

नंदीग्राम जनसंहार

डेंग जियाओ पिंग का यह कथन कि बिल्ली का रंग कोई मायने नहीं रखता, जब तक वह चूहे पकड़ पाने में सक्षम है। यह कथन पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार एवं उनके कैडरों पर पूर्णतः लागू होता है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने औद्योगीकरण के नाम पर उन्हीं ग्रामीण किसानों से उनकी उपजाऊ जमीन छीन ली जो कभी उनके साथ खड़े होते थे। नंदीग्राम में किसानों द्वारा प्रतिरोध करने पर उन्हें गोलियों का शिकार बनाया गया। नंदीग्राम की इस घटना से पूरे देश में शोक की लहर फेल गयी है, अपितु आम आदमी का भी वहां की सरकार एवं वामपंथी विचारधारा से मोहभंग हुआ हैं। बुद्धिजीविओं, कलाकारों इत्यादि सहित सभी ने नंदीग्राम में राज्य प्रायोजित किसानों के जनसंहार की भर्त्सना कड़े शब्दों में की है। इतना ही नहीं इस नरसंहार की भर्त्सना सर्वेधानिक निकायों, मसलन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री गोपालकृष्ण गांधी राष्ट्रीय घटना से बुद्धदेव भट्टाचार्य की सुधारक सह जन नेता की छवि धराशायी हो गयी है एवं वे सभी जगह क्षमा मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सशस्त्र कार्यकर्ता नंदीग्राम को घेरे हुये हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की रपट के बावजूद केन्द्र सरकार मूक दर्शक बनकर मार्क्सवादी पार्टी के गुंड़ों को उत्साह प्रदान कर रही है।

आज नदीग्राम की घटना उन छोटे सीमान्त एवं भूमिहीन किसानों द्वारा दिखाये गए विरोध एवं आंदोलन का प्रतीक बन चुकी हैं जिनके लिए खेती ही जीविका का आधार हैं। वैसे तो उड़ीसा में पोस्को, कर्नाटक में मंगलोर आदि जैसी घटनाओं द्वारा आंदोलन एवं प्रतिरोध का माहौल तो पूरे देश में बना हुआ है, लेकिन नंदीग्राम की घटना के मुद्दे पर संसद का कार्य ठप हो गया एवं आज वामपंथी पार्टियां बचाव की मुद्रा में आ गई हैं। पूरा देश पश्चिम बंगाल की इस घटना को वहां पर वामपंथ के समाप्ति की शुरूआत मान रहा हैं।

नंदीग्राम की घटना उन राज्यों के लिए एक सबक हैं जो छोटे किसानों से सेज के नाम पर उनकी उपजाऊ जमीन छीनना चाहते हैं। अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं वित्त मंत्रालय के अनुसार सेज निर्माण में कर छूट से देश को लाखों करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा। यह भी माना गया है कि सेज उद्योगों का निर्माण होगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में यह कहा गया है कि सेज को शुरू करने वाले देश चीन मे भी सेज में केवल निर्माण की गतिविधियां ही अधिक हुईं। इस संदर्भ में सेज की योजना पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

स्वदेशी जागरण मंच नंदीग्राम जन संहार की तीव्र भर्त्सना करता है एवं पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है। मंच नंदीग्राम के उन वीर किसानों एवं प्रभावित परिवारों को यह आश्वस्त करना चाहता है कि उनके संघर्ष और आंदोलन में मंच उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। नंदीग्राम की इस घटना से जहां एक ओर वामपंथियों के दोहमुहेपन का मुखौटा उतर गया है वहीं दूसरी ओर सेज के विचारों का भी अन्त निश्चित हैं।

स्वदेशी जागरण मंच का इंदौर सम्मेलन 2007

बाजारवाद के विरुद्ध लड़ाई का नाम स्वदेशी है : गोविन्दाचार्य

स्वदेशी आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता आर्थिक स्वतंत्रता आंदोलन के युद्धक्षेत्र में खड़े सेनानी हैं। उन्हें धर्मयोद्धा की भांति इस लड़ाई में गरीबों, वंचितों, पिछड़ों एवं राष्ट्रहित की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करना पर सकता है।

इंदौर के वीर सावरकर बाजार के रजवाड़ा चौक पर विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए स्वदेशी स्वाभिमान आंदोलन के प्रणेता श्री गोविन्दाचार्य ने कहा कि जैसे अहिल्याबाई के बिना इंदौर की पहचान नहीं हो सकती है ठीक उसी प्रकार से स्वदेशी जागरण मंच ने यह संदेश दिया है कि व्यक्ति से बड़ा देश है। हमारी प्रतिबद्धता देश के लोगों की पीड़ा दूर करने की है। हमारा लक्ष्य सिंहासन प्राप्ति का नहीं है।

श्री गोविन्दाचार्य ने देश–दुनिया की वर्तमान परिस्थिति की तुलना महाभारत काल से करते हुए कहा कि आज महाभारत की विसात बिछ चुकी है। सेज, खुदरा व्यापार में विदेश पूंजी निवेशी, की बात करने वाले कौरवों के पक्ष में खड़े हैं दूसरी और जो किसानों, मजदूरों, कारीगरों, गरीबों की रक्षा की लड़ाई लड़ेंगे पांडवों के पक्षधर कहलाऐंगे। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आने वाले समय में कौन अपना और कौन पराया है यह पहचान करना कठिन होगा।

श्री गोविंदाचार्य ने कहा कि देश के शासक वर्गों का स्मृति भ्रंश हुआ है। हम क्या हैं? हमारा इतिहास क्या था? हमें कौन से मार्ग पर चलना है यह आज भुलाया जा चुका है। इसलिए कभी देश को रूस, कभी स्विट्जरलैंड तो कभी अमरीका बनाने की बातें होती रहती है। कभी देश को रूस बनाने वाले आज नंदीग्राम में निर्दोषों के खून से वहां की जमीन पाट रहे हैं। जो पटना को पेरिस बनाना चाहते हैं क्या वे कभी यह सोच पाएंगे कि पटना को पाटलिपुत्र कैसे बनाया जाए?

उन्होंने कहा कि जो लोग गरीबों के हितों की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं वे हमारे साथी हैं क्योंकि स्वदेशी आन्दोलन एक मंच है। इस लड़ाई का तकाजा है कि जो स्वदेशी जीवन पद्धति से जी रहा है वही इस में टिक सकता है क्योंकि यह लड़ाई लंबी चलने वाली है। एनडीए, यूपीए एवं राज्य सरकारों सहित उद्योगपति लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। स्वदेशी के कार्यकर्ताओं की हुंकार के आगे ये टिक नहीं सकते हैं। इसलिए देश की तस्वीर बदलने एवं नई तकदीर लिखने के लिए अंतिम मानव की भलाई की लड़ाई लड़नी होगी।

उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक श्री मुरलीधर राव ने कहा कि हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारत विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरे। श्री राव ने स्थानीय लोगों एवं व्यापारियों की समस्या को रेखांकित करते हुए कहा कि इनमें से सभी की दुकाने छोटे स्तर की हैं। डब्ल्यूटीओ पर हस्ताक्षर करते समय, उदारीकरण लाते समय सरकार ने कहा था कि शुरू में थोड़ा दुख होगा लेकिन बाद में सुख होगा। लेकिन बड़ी कम्पनियां मॉल बना रही हैं। इनका दुख कम होने के बदले सरकार ने काफी बढ़ा दिया है। क्योंकि मॉल के सामने ये टिक नहीं सकेंगे। मनमोहन दिम्बरम चाहते हैं कि ये छोटे–दूकानदार देश में दिखाई नहीं देना चाहिए। क्योंकि वे बड़ी कंपनियों का हित सोचते हैं। आज समय आ गया है कि शासन को तय करना होगा कि वह मॉल वालों के साथ है या मजदूरों–छोटे व्यापारियों के साथ है? स्वदेशी जागरण मंच आने वाले दिनों में इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था एवं नीतियों के विरोध में आंदोलन तेज करेगा।

आम सभा को संबोधित करते हुए श्री भागीरथ चौधरी ने किसानों की समस्या पर प्रकाश डाला। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राम प्रकाश मिश्र ने कामगारों की समस्यओं को गंभीरता से रखा।

आज के दिन स्वदेशी जागरण मंच की विशाल शोभायात्रा इंदौर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए रजवाड़ा चौक पर आमसभा में तब्दील हो गई थी। इस आमसभा में स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व भी रहा। ❖

पर्यावरण की सुरक्षा में किंकरी देवी का योगदान अनुकरणीय

■ स्वदेशी संवाद

पर्यावरण की सुरक्षा के लिए समर्पित स्वर्गीय किंकरी देवी के सम्मान में स्वदेशी जागरण मंच के केन्द्रीय कार्यालय में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

गुरूवार 3 जनवरी 2008 को आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित अनेक विद्वतजनों ने किंकरी देवी के शौर्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि पर्यावरण की रक्षा के क्षेत्र में किंकरी देवी ने जो कार्य कि है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। श्रद्धांजलि समारोह का संचालन स्वदेशी पत्रिका हिन्दी के संपादक श्री विद्यानंद आचार्य तथा अध्यक्षता स्वदेशी पत्रिका अंग्रेजी के संपादक श्री अजय भारती ने की।

स्वदेशी जागरण मंच उत्तर भारत के संयोजक श्री कश्मीरी लाल ने कहा कि स्वर्गीय किंकरी देवी उस व्यवस्था की प्रतीक हैं कि कितने ही ऐसे लोग हैं जो काम तो करते हैं लेकिन उन्हें कोई जानता तक नहीं। उन्होंने उदाहरण के तौर पर कहा कि महलों की नींव को कौन जानता है? स्व. किंकरी देवी के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए श्री कश्मीरी लाल जी ने बताया कि वे एक बहुत ही निर्धन एवं दलित परिवार से थीं। 20 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। सफाई कर्मी परिवार से थी।

हिमालय प्रदेश में 42 खानों पर खनन खुदाई का काम हो रहा था, यह कार्य खनन माफिया करवा रहे थे। किसी तरह की चिंता किए बगैर उन्होंने खनन माफियाओं का मुकाबला किया, खनन से होने वाले पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए अकेले दम पर अभियान चलाया और इसके लिए वे सुप्रीम कोर्ट तक गई जहां उनकी जीत हुई। उन्होंने जानकारी दी कि चौथे अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन, बीजिंग में उनसे अध्यक्षता करवाई गई और अटल बिहारी वाजपेई ने प्रधानमंत्री के नाते उन्हें महारानी झांसी स्त्री शक्ति पुरस्कार प्रदान किया। श्री कश्मीरी लाल ने बताया कि किंकरी देवी का एक ही नारा था कि वृक्ष रहेंगे, तभी पहाड़ रहेंगे, और जब पहाड़ बचेंगे तभी हम रह पाएंगे। इसलिए पहाड़ों को बचाना होगा।

इससे पूर्व सामाजिक कार्यकर्त्ता श्री विक्रम जी ने कहा कि श्रीमती किंकरी देवी की तरह इस देश में असंख्य ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है। लेकिन इनका दुर्भाग्य है कि समाज ऐसे लोगों को पहचानता तक नहीं। समाज उपेक्षित इन लोगों ने अनुकरणीय कार्य किए हैं उनमें से किंकरी देवी भी एक हैं। चमोली की एक महिला गौरा देवी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए श्री विक्रम जी ने कहा कि उत्तराखंड की अनपढ़, निरक्षर इस महिला ने 1972–73 में वनसंपदा की रक्षा और जीविका को न्यायपूर्ण अधिकार दिलाया। उन्होंने बताया कि किंकरी देवी की तरह ही गौरा देवी ने चिपको आंदोलन में व्यावहारिक भूमिका निभाई थी।

इस मौके पर उपस्थित सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र यादव ने किंकरी देवी के संबंध में कहा कि जो सहज जीता है वही अविनाशी है। उन्होंने कहा कि प्रकृति का दोहन जिस प्रकार से हो रहा है सबसे बड़ी चिंता का विषय है, इसलिए किंकरी देवी को श्रद्धांजलि उन्हें स्मरण रखने का मार्ग है। इस तरह के कार्यक्रम से अच्छे भाव मन में आते हैं और जीवन से सभी को प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा पर अगर हम आरूढ़ रहेंगे तो प्रकृति की रक्षा होती रहेगी।

स्वदेशी पत्रिका हिन्दी के संपादक श्री विद्यानंद आचार्य ने कहा कि किंकरी देवी की श्रद्धांजलि के द्वारा हमें पता चला कि पर्यावरण जैसे मुख्य विषय से जुड़े मूल्यों को किस तरह से तहस–नहस किया जा रहा है। इसके खिलाफ किंकरी देवी खड़ी हुई और लोकप्रिय हुई तथा उन्हीं के प्रयास से अवैध, अवैज्ञानिक और अनैतिक खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी। किंकरी देवी वास्तव में राजस्थान की अमृतादेवी की याद दिलाती है जो वृक्ष बचाने के लिए अपने ढाई सौ से अधिक साथियों सहित शहीद हो गई थी। पर्यावरण रक्षण भारत की अद्‌भुत परम्परा रही है। जो काम सरकार अनेक सुविधाओं के बावजूद नहीं कर सकी उसे बिना किसी सहयोग व संसाधनों के ऐसे महापुरूष ही संभव कर दिखाते हैं।

कार्यक्रम के अंत में सभी का आभार व्यक्त करते हुए स्वदेशी पत्रिका अंग्रेजी के संपादक श्री अजय भारती ने कहा कि हमारे लिए सोचने का विषय है कि समाज के कार्यों में हमारा क्या योगदान रहेगा। हमें यह सोचना होगा कि प्रदूषण के कारण वातावरण बिगड़ रहा है और प्रदूषण से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ❖

दत्तोपंत ठेंगड़ी स्मृति व्याख्यान

बिहार की आर्थिक स्थिति : 21वीं सदी में चुनौती एवं लक्ष्य

स्वदेशी जागरण मंच, भागलपुर जिला इकाई की तरफ से 10 नवम्बर को भागलपुर स्थित ''अंग सांस्कृतिक भवन'' में ''राष्ट्र ऋषि श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी'' के जन्म दिवस के अवसर पर ''दत्तोपंत ठेंगड़ी स्मृति व्याख्यानमाला'' सह ''दत्तोपंत ठेंगड़ी प्रतिभा सम्मान'' का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ''दत्तोपंत ठेंगड़ी व्याख्यानमाला'' का विषय था.....''बिहार की आर्थिक स्थिति तथा 21वीं सदी में चुनौती एवं लक्ष्य।''

■ **स्वदेशी संवाद**

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता तथा स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संचालक श्री अरूण ओझा ने इस अवसर पर कहा कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर ही बिहार की तरक्की की जा सकती है। श्री ओझा ने कृषि वैज्ञानिकों के इस तर्क की आलोचना करते हुए कहा कि आधुनिक कृषि प्रणाली से कृषि की उपज बढ़ती है। उन्होंने कहा कि आज से 150 से 200 साल पहले भारत में फसल की पैदावार प्रति हैक्टेयर आज की तुलना में ढाई से तीन गुना अधिक थी। अखिल भारतीय संचालक ने कहा कि बिहार का ज्यादातर पैसा कमाई, दवाई एवं पढ़ाई में बाहर चला जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि बिहार में अच्छे–अच्छे शिक्षण संस्थान खुलें ताकि छात्रों का पलायन रुके। अच्छी चिकित्सा सुविधा के अभाव के कारण बिहार में मरीजों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तथा बिहार सरकार के नगर विकास सह भवन निर्माण मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने दत्तोपंत जी को याद करते हुए बताया कि वे 1966 ई. में प्रथम बार श्री ठेंगड़ी जी से भागलपुर में मिले थे। श्री चौबे ने स्वदेशी जागरण मंच, बिहार से आग्रह किया कि विकास के लिए मंच योजना बनाकर सरकार को सौंपें तथा वे अपने प्रभाव से इसको लागू करने का हर संभव प्रयास करेंगे। श्री चौबे ने कहा कि स्वदेशी पर चलकर ही बिहार एवं भारत का विकास संभव है। उन्होंने रासायनिक कृषि की आलोचना करते हुए कहा कि यह बीमारी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देती है।

इससे पूर्व भागलपुर के सांसद सैय्यद शाहनवाज हुसैन ने परम्परागत तरीके से दीप प्रज्ज्वलित करके तथा दत्तोपंत ठेंगड़ी के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। श्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पिछले पंद्रह वर्ष का लालू–राबड़ी का शासन काल बिहार के लिए पंद्रह सुनामी के समान था। श्री हुसैन ने कहा कि कृषि आधारित उद्योग ही बिहार में रोजगार के अवसर को बढ़ा सकता है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इतिहास के विद्वान प्रोफेसर तथा भागलपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष श्री पंचानन्द मिश्र ने कहा कि दत्तोपंत ठेंगड़ी के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। मेरी हालत तो उस गूंगे के जैसी है जो गुड़ तो खाता है, उसका स्वाद भी लेता है परन्तु उसका वर्णन नहीं कर पाता है। उन्होंने बिहार सरकार से मांग की की विक्रमशिला में स्वदेशी शोध संस्थान खोला जाए।

इससे पूर्व ''दत्तोपंत ठेंगड़ी सम्मान'' से मजदूर संगठन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्री शंकर लाल जैन, स्वदेशी कृषि के लिए श्री माहेश्वरी सिंह, शिक्षा क्षेत्र में योगदान के लिए डॉ. डी एन पाण्डेय तथा सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सामाजिक संगठन ''अंशवा'' को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में बिहार के सह–संयोजक दिलीप कुमार निराला, भागलपुर इंजीनीयरिंग कॉलेज के पूर्व प्राचार्य अभिताभ घोष, विभाग संयोजक सुरेन्द्र कुमार घोष, जिला संयोजक शेखर घोष ने भी अपने विचार रखे।

सम्मानित अतिथियों का स्वागत भागलपुर विभाग के सह–संयोजक संजीव चौधरी, पटना के जिला प्रमुख मुकुद रंजन, भागलपुर के जिला सह–संयोजक शिव शंकर तिवारी ने किया। मंच का संचालन बेगूसराय के विभाग संयोजक कमल किशोर ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन भागलपुर के जिला सह–संयोजक रंजीत राय ने किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जिला बौद्धिक प्रमुख अजीत कुमार ने बन्दे मातरम् गीत गाया। ❖

नारी का चित्र और समकालीन मीडिया का चरित्र

आज की पत्रकारिता उस मुकाम पर खड़ी है जहां नैतिक मूल्यों के लिए कोई स्थान नहीं। अमर्यादित समाचारों को प्राथमिकता देने से मूल्यों का ह्रास हुआ है।

■ **आशुतोष**

असम की राजधानी दिसपुर में जो हुआ वह सभ्यता को कलंकित करने वाला था। झारखंड से पीढ़ियों पहले चाय बागानों में मजदूरी करने के लिए आये जनजाति लोग असम में भी जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन समाप्त होते ही रैली में शामिल कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक तोड़–फोड़ शुरू कर दी। स्थानीय निवासियों ने भी हिंसक प्रतिक्रिया की, पुलिस तमाशबीन बनी रही। यहां तक का घटनाक्रम तो वही है जो हम गाहे–बगाहे देखते रहते हैं। असामान्य घटना इसके बाद हुई। रैली में शामिल लोगों को स्थानीय लोगों ने घेरकर मारना शुरू कर दिया। दर्जन भर प्रदर्शनकारी इस घटना में मारे गये। महिलाओं के साथ अभद्रता हुई। हद तब हो गयी जब असामाजिक तत्वों ने एक आदिवासी लड़की को पूरी तरह निर्वस्त्र कर दिया, उसके गुप्तांग को जूते से कुचला। मौके पर मौजूद प्रैस फोटोग्राफरों ने उसे बचाने के बजाय इस वीभत्स घटना के दुर्लभ चित्र लिये। मुहल्ले के शोहदे भी पीछे नहीं थे। वे सड़क पर निर्वस्त्र दौड़ती हुई उस लड़की के अपने मोबाईल से चित्र ले रहे थे और चुहल कर रहे थे। पुलिस की चुप्पी इसका मौन समर्थन कर रही थी। जब यह फोटो और फुटेज अखबार और चैनलों के दफ्तर में पहुंचे तो पेशेवर पत्रकारों की आंखें चमक उठीं। फोटोग्राफ 'जोरदार' थे उनमें खबर भी थी और बिकाऊपन भी। बिक्री अथवा टीआरपी बढ़ाने वाले सभी तत्व उसमें विद्यमान थे।

घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एन.ई.टी.वी. जिसके पास इस घटना के मूल फुटेज थे, उसने इनका प्रसारण नहीं किया लेकिन उसने इन्हें अन्य राष्ट्रीय समाचार चैनलों को उपलब्ध कराया। चैनलों पर बदलती शब्दावली के साथ उस लड़की के चित्र बार–बार दोहराये जाने लगे जिन पर छोटी काली पट्टी चिपका कर उसे प्रसारण योग्य बना दिया गया था। अगले दिन के समाचार पत्रों में भी इन चित्रों ने काफी जगह पाई। पत्रकारों व छायाकारों को इस अवसर पर मानवीय दायित्वों का निर्वाह करते हुए इस वीभत्स घटना को रोकने का प्रयास करना चाहिए या मानवीय संवेदनाओं को किनारे रख वे पत्रकार के रूप में वे व्यावसायिक दायित्वों का निर्वाह कर रहे थे, यह पृथक बहस का विषय है। आज पत्रकारिता उस मुकाम पर आ खड़ी हुई है जहां नैतिक मूल्य निरर्थक माने जाने लगे हैं और सनसनी और सेक्स का घालमेल बिकाऊपन की गारंटी है।

एक दशक तक जहां पीड़ित लड़की का नाम भी बदल कर छापा जाता था वहीं इस घटना के फुटेज दिखाते समय उसका चेहरा भी छिपाना जरूरी नहीं समझा गया। सिर्फ उत्तर पूर्व के समाचार पत्रों में ही नहीं बल्कि झारखंड के समाचार पत्रों ने भी इस घटना को प्रथम पृष्ठ पर फोटो सहित छापा। इसके फॉलोअप समाचार भी छपे किंतु उनमें मूल समस्या के उत्थान पर सतही चर्चा अधिक हुई। समाचार पत्रों और चैनलों द्वारा यह तर्क दिया जा सकता है कि उन्होंने घटना को यथारूप प्रस्तुत कर समाज के प्रति अपने दायित्व का

निर्वहन किया है। यह भी कहा जा सकता है कि वह इन चित्रों को दिखा कर समाज की संवेदना को झकझोरने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन यह तर्क अपने आप में अधूरे और खोखलेपन को उजागर करने वाले हैं। आरक्षण की मांग और स्थानीय और बाहरी की पहचान से उपजे सवाल केवल असम में ही नहीं अपितु देश के हर हिस्से में कभी धीमे और कभी तेज स्वर से उठते रहे हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में यह संवेदनाएं बेहद गहरी हैं। जिस तरह इस घटना को मीडिया में दिखाया गया उससे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच की दूरी को पाटने के बजाय बढ़ाने में ही मदद मिलेगी। असम की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा चाय बागानों से आता है और चाय बागानों का सारा काम–धाम बिहार, झारखंड, बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के श्रमिकों पर निर्भर है।

असम की अर्थव्यवस्था और विकास की धुरी बन चुके ये बिहार और झारखंड के श्रमिक पीढ़ियों से इन बागानों में काम कर रहे हैं। स्थानीय समाज इनके श्रम को तो आवश्यक मानता है लेकिन उनके सामाजिक या राजनैतिक वजूद को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। जब यह घटना हो रही थीं, राज्य की पुलिस तमाशा देख रही थी। उसने न इन्हें रैली निकालने से रोका और न उन्हें पलटवार करने से। पुलिस की यह रहस्यमय चुप्पी बताती है कि घटना के राजनैतिक निहितार्थ भी हैं। राज्य में बड़ी संख्या में नागरिक अधिकार पा चुके बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरूद्ध जब पिछले विधानसभा चुनावों के पहले स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा था तो सरकार द्वारा न केवल उन्हें संरक्षण दिया गया अपितु उन्हें योजनाबद्ध ढंग से बसाया भी गया और राशनकार्ड भी जारी किये गये। अपने ही देश के नागरिक जब अपनी मांगों के समर्थन में रैली की इजाजत मांगते हैं तो इजाजत नहीं मिलती। जब वे जबरन सड़कों पर आकर तोड़फोड़ करने लगते हैं तो उन्हें रोका नहीं जाता, विरोध में जब लोग उन पर हमला करते हैं तब भी पुलिस खामोश रहती है और मीडिया इस समूचे परिदृश्य पर बहस खड़ी करने के बजाय एक भयभीत निर्वस्त्र लड़की के सड़क पर भागने के चित्र दिखाकर सनसनी बेचती है और टीआरपी वसूलती है।

अपने ही देश के नागरिक जब अपनी मांगों के समर्थन में रैली की इजाजत मांगते हैं तो इजाजत नहीं मिलती। जब वे जबरन सड़कों पर आकर तोड़फोड़ करने लगते हैं तो उन्हें रोका नहीं जाता, विरोध में जब लोग उन पर हमला करते हैं तब भी पुलिस खामोश रहती है और मीडिया इस समूचे परिदृश्य पर बहस खड़ी करने के बजाय एक भयभीत निर्वस्त्र लड़की के सड़क पर भागने के चित्र दिखाकर सनसनी बेचती है और टीआरपी वसूलती है।

पत्रकारिता के इतिहास पर जिन्होंने नजर डाली है उन्हें याद है कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा की सड़क पर निर्वस्त्र भागती एक मासूम लड़की का चित्र एक छायाकर ने लिया था। अमरीका के जिस लड़ाकू जहाज ने हिरोशिमा पर एटम बम गिराया था उसमें चार पत्रकार भी थे। उन्होंने तबाही के उस दृश्य को अपनी आंखों से देखा था और अमरीकी अखबारों में उनके द्वारा दिये गये समाचार और छायाचित्र छपे भी थे। उनमें से एक पत्रकार को सर्वश्रेष्ठ रिर्पोटिंग के लिये पुरस्कृत भी किया गया था। वह पुरस्कृत किया जाने वाला पत्रकार भुलाया जा चुका है। किंतु एटम बम की आग से कपड़े जलने के बाद बदहवास हिरोशिमा की सड़क पर दौड़ रही उस लड़की का चित्र फोटो पत्रकारिता के जगत में आज भी 'यूनिक' है। उस चित्र के प्रकाशन के बाद न केवल उस चित्र को प्रतीक बनाकर विश्वशांति की चर्चा चली बल्कि आज भी वह लड़की संयुक्त राष्ट्र की आणविक हिंसा के विरुद्ध 'शांति राजदूत' है। मीडिया उच्च मानकों पर अमल करते हुए यदि ऐसे प्रतीक गढ़ता है तो निश्चय ही ऐसे किसी भी चित्र और छायाकार को पहचान मिलेगी। लेकिन यदि इन प्रयासों से नारी के आत्मसम्मान को चोट पहुंचने के अतिरिक्त कुछ भी हासिल न हो तो केवल बाजार के हित के लिए नारी अस्मिता को दांव पर लगाना अस्वीकार्य ही नहीं निंदनीय भी है। महिला स्वतंत्रता के समर्थक और मानवधिकार के रखवाले भी इस घटना पर चुप्पी साधे हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय जानता है कि उमा खुराना के साथ हुई अभद्रता के प्रसारण पर उसे पत्रकार के साथ–साथ चैनल के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी होगी क्योंकि मामला दिल्ली का है। सुदूर असम के चायबागान में रहने वाली और वहां के लिये भी बाहरी लड़की के लिये चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटी–छोटी बातों पर स्वतः संज्ञान लेने वाली न्यायपालिका के लिये भी यह महत्त्वपूर्ण नहीं है। नक्कार खाने में तूती की आवाज की तरह कुछ लोग अथवा छोटे–मोटे संगठन, जो इस घटना पर प्रेतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं विश्वास रखें कि यदि उन्होंने इस आग को जिंदा रखा तो एक न एक दिन उसकी तपिश दिल्ली तक जरूर पहुंचेगी। ❖

(हिन्दुस्थान समाचार)

भयावह तस्वीर पेश करता किशोर वर्ग

पश्चिमी देशों की नकल पर देश में कम उम्र के युवाओं में हिंसा की बढ़ती प्रवृति पर नियंत्रण के वैकल्पिक उपाय ढूंढने होंगे।

■ डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल

जिस प्रकार अमेरिकन संस्कृति की तरह सरेराह चलते दिल्ली के नजदीक गुडगांव (हरियाणा) में आठवीं कक्षा के दो किशोरों ने अपने सहपाठी की गोलियों से भून कर हत्या कर दी उससे देश सन्न रह गया। विदेशों में इस प्रकार की घटनाओं के समाचार आते रहे हैं और हम उसके लिए वहां की संस्कृति को दोष देते रहते हैं। अब जब उसी तर्ज पर हमारे यहां घटना घटी तो न सिर्फ चौंकने की बल्कि इस बात के लिए गंभीर चिन्तन करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि हमारा किशोर वर्ग हिंसा के किस अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा है? हमारी संस्कृति व नैतिकता में कौन सा कीड़ा लग चुका है? यदि समय रहते इलाज नहीं हुआ तो फिर देश, राष्ट्र व समाज की तबाही ही तबाही होगी और हमारी आर्थिक संपन्नता किसी काम की नहीं रह जायेगी।

देश के कोनों से भी ऐसी खबरें आती रही हैं। छात्रों के आपस में लड़ाई झगड़े पहले भी हुआ करते थे, लेकिन जिस तरह से अब छात्र अपने सहपाठियों के जान के दुश्मन बन बैठे हैं, उसे देखकर मन अनिष्ठ की आशंका से घबरा उठता है। अभी तक तो हिंसा की ऐसी खबरें अमरीकी स्कूलों से ही आती थीं, अब भारतीय नगरों में भी ये घटनाएं हो रही है। आज नगरों के बढ़िया व आला स्कूलों में ऐसी हिंसात्मक घटनाएं घट रही हैं तो कल कस्बों में भी फैंशन की तरह इस प्रकार की हिंसक घटनाएं पहुंच जायेंगी।

अभी कुछ दिन पूर्व ही अमरीका के ओहायों में एक छात्र ने महज लोकप्रिय होने के लिए एक मॉल में ताबड़ तोड़ गोलियां चलाकर पांच लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, बाद में स्वयं उसने भी अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। अर्द्धशहरी कस्बों में भी छात्रों की उद्दण्डता व हिंसा की प्रवृति बढ़ती जा रही है तथा पढ़ाई कम व परीक्षा में नकल की प्रवृति बढ़ रही है। छात्र अब लड़कियों से छेड़–छाड़ व सहपाठियों के साथ–साथ शिक्षकों व प्राचार्यों तक से मारपीट करने लगे हैं।

बुद्धिजीवियों का मानना है कि छात्रों का जो रूप देखने को मिल रहा है वह टीवी संस्कृति और हिंसात्मक फिल्मों का प्रभाव है। हिंसा प्रधान फिल्मों का कुप्रभाव युवाओं पर हो रहा है। कई हिंसात्मक घटनाएं फिल्मी अंदाज व स्टाइल में की गई हैं। कालेजों के कुछ प्राचार्यों का कहना है कि शिक्षित व योग्य छात्रों में बेरोजगारी से कुंठित मनोवृति व टीवी संस्कृति ने पूरा खेल ही बिगाड़ दिया है। भारत के स्कूली बच्चों में भी अमरीका व पश्चिमी संस्कृति की बंदूक संस्कृति व अपराध के प्रति सम्मोहन की भावना पैठ जमा रही है। देश की राजधानी से सटे हरियाणा के औद्योगिक व आधुनिक संस्कृति से ओतप्रोत नगर गुडगांव में घटित घटना की गूंज तो सम्पूर्ण विश्व में बड़ी आसानी से हो जाती है परन्तु कस्बे व गांवों में लगभग प्रतिदिन ही ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं और उन घटनाओं की गूंज जनपद के मुख्यालय तक भी सही तरीके से नहीं पहुंच पाती है।

गुड़गांव में घटी यह घटना अपने आप में भारत में अमरीकी स्कूलों जैसी घटी प्रथम घटना कही जा सकती है। परन्तु यह खतरे की एक ऐसी घंटी है जिसे अभिभावकों और शिक्षा से जुड़े समुदाय को गंभीरता से सुनना चाहिए। उन परिस्थितियों पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है जिनमें हमारी भावी पीढ़ी शिक्षित व दीक्षित हो रही है। छात्रों की यह हिंसात्मक प्रवृति उस माहौल की भी देन है जिसमें बच्चे नई–नई चीजें सीख रहे हैं और समाज भी उन्हें सहर्ष सीखने दे रहा है, जैसे इण्टरनेट। अभिभावकों को अपनी व्यवस्तताओं में से कुछ समय निकालकर बच्चों के स्कूली बैग व कम्प्यूटर पर इण्टरनेट पर किये गये क्रियाकलापों पर नजर रखकर तलाशी भी लेते रहना चाहिए। अपने बच्चों के दोस्तों के चालचलन पर भी कड़ी निगाह रखनी चाहिए। क्या यह सही समय नहीं है जब

इस बात पर चिंतन व मनन हो कि आखिर हम कैसा समाज बना रहे हैं? क्या कारण है कि पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति की एक के बाद एक विकृतियां हमारे देश में जड़ें जमाती जा रही हैं।

टूटते परिवार, पति पत्नी के बीच कभी न खत्म होने वाले झगड़े व तकरार, मां बापों में अपनी आय को बढ़ाने की होड़ से उपजी अत्यंत व्यस्तता, बच्चों की परवरिश में गड़बड़ी का सीधा असर समाज के विभिन्न तबकों पर पड़ रहा है और इस असंतुलन के सबसे ज्यादा शिकार बच्चे हो रहे हैं। छात्रों में दब–दबा बनाये रखने, गैरवाजिब की गयी हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त करने और समूह में अपनी पहचान स्थापित करने की सोच छात्रों में शिदद्त से सिर उठाने लगी है। योग्य होते हुए भी अपने से कम योग्य को आरक्षण के सहारे नौकरी पर लगने से कुंठित व चिड़चिड़े युवा तुरंत अपना आपा खो बैठते है व किसी से भी भिड़ जाते हैं। युवाओं में संवदेनहीनता बढ़ती ही जा रही है। बच्चे आत्मकेन्द्रित हो रहे हैं। बच्चों को कथा कहानी, अनुभवों से मानसिक रूप से सशक्त बनाने वाले बुजुर्गों, दादा व दादी का साथ नहीं लिया जा रहा है। उधर माता–पिता की अतिशय व्यस्तता और धन के पीछे भागने की प्रवृति से बच्चों व किशोरों को समझ नहीं आ रहा कि उनका कोना व स्थान कौन सा है? बच्चे न अपना भला व बुरा सोच पा रहे हैं और न दूसरों से व्यवहार का सलीका ही उन्हें मालूम हो रहा है। अपराध में लिप्त बच्चों का कोई खराब रिकार्ड भी नहीं देखा जा रहा है। अच्छी पढ़ाई और उत्तम संसाधनों की उपलब्धता के कारण उनका दिमाग तेज है, आई क्यू का स्तर उन्नत है, पर उनके व्यक्तित्व में कोई खालीपन जरूर उत्पन्न हो रहा है जिससे वे हिंसात्मक प्रवृति की ओर बढ़ रहे हैं। जब से वैश्वीकरण के कारण शहरीकरण बढ़ा है व अधिक धनोपार्जन के लिए मां–बाप घर से बाहर रहने लगे हैं तभी से समाज भी स्वार्थी हो गया है। सहिष्णुता की कमी और सम्पन्न घरों के बच्चों में आसमान से भी अधिक ऊंचाईयों से तारे तोड़ लाने का अहम भी हिंसात्मक प्रवृति का एक कारण हो गया है। मीडिया भी वैज्ञानिक सोच को दूर रखकर कुछ का कुछ दिखा व प्रचारित कर रहा है, जिसका प्रभाव युवा वर्ग पर विपरीत पड़ रहा है। ऐसे में युवा वर्ग व बच्चों की जिंदगी किधर जायेगी? इस पर समाज को सोचना चाहिए, क्योंकि यदि युवा वर्ग व बच्चे नैतिकता, सौम्यता, शिक्षा, संस्कार व सामाजिक मूल्यों से दूर चले गये तो समाज की अवनति अवश्यम्भावी है। युवा वर्ग ही कल के विकास का स्वरूप तय करता है। **(हिन्दुस्थान समाचार)**

सदस्यता सम्बन्धी सूचना

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है।

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	100/–	1000/–
अंग्रेजी	100/–	1000/–

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

स्वत्व के आधार पर राष्ट्रनिर्माण में सभी का सहयोग आवश्यक - मोहन राव भागवत

■ **स्वदेशी संवाद**

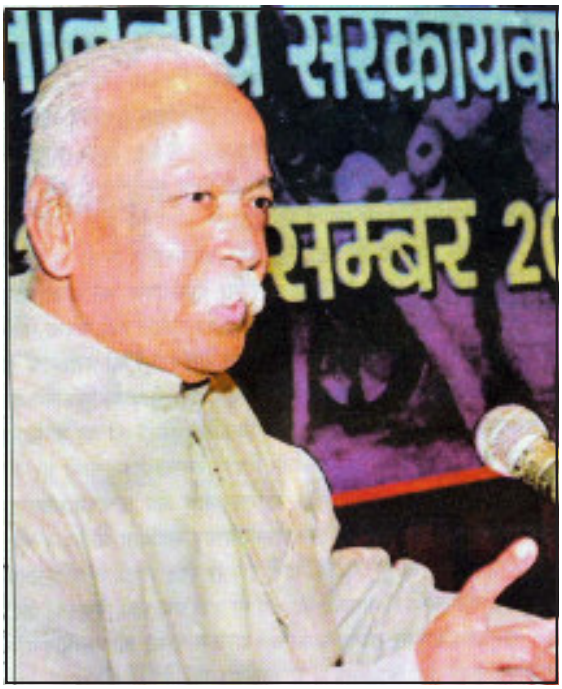

दिल्ली के विशिष्ट सीरीफोर्ट सभागार में 20 दिसम्बर की शाम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह श्री मोहनराव भागवत की उपस्थिति में प्रबुद्ध नागरिकों के साथ जो परिचर्चा कार्यक्रम हुआ वह अपने आप में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और समयानुकूल ही कहा जाएगा। इस कार्यक्रम में जहां विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखजन उपस्थित थे तो वहीं आध्यात्मिक जगत की अनेक विभूतियां भी सम्मिलित हुई थीं। श्री भागवत ने राष्ट्र जागरण और नवोत्थान की हन्दुत्वनिष्ठ संकल्पना सबके सामने रखी तो इस पथ का पाथेय भी दिया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्र जागरण, इस विषय पर रा.स्व.संघ, दिल्ली प्रान्त की ओर से इस परिचर्चा का आयोजन किया गया था। श्री मोहनराव भागवत ने विषय स्पष्ट करते हुए कहा कि राष्ट्र जागरण को अंग्रेजी में नेशनल रेनेसां कह सकते हैं और रेनेसां का अर्थ है नवोत्थान। मगर इस नवोत्थान की पूर्व शर्त यदि कोई है तो वह केवल राष्ट्र जागरण ही है। यानी उत्थान तब होगा जब राष्ट्र जागृत होगा, राष्ट्र का जन–जन अपने को पहचान कर नवोत्थान के लिए कटिबद्ध होगा। श्री भागवत ने कहा कि यह कोई नया विषय नहीं है। राष्ट्र चिन्तन करने वाले लोग सदा से इस दृष्टि से चिंतन करके ही राष्ट्र को दिशा देते आए हैं। 1857 के बाद यदि हम अपने देश के इतिहास को देखें तो स्पष्ट होगा कि हम एक–एक कदम करके आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य में राष्ट्र जागरण के संदर्भ में निराश होने का कोई कारण नहीं है। हम धीरे–धीरे उठ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। यह बहुत स्पष्ट है और इसमें किसी प्रकार की शंका की गुजाइश नहीं है। परन्तु समय की गति को देखते हुए हमारे इस उत्तरोत्तर विकास में भी एक विशिष्ट गति की आवश्यकता है। अन्यथा खतरा इस बात का है कि इस प्रक्रिया में कहीं कोई बाहरी ताकत हम पर फिर से हावी न हो जाए, हमें गुलाम न बना ले।

श्री भागवत ने देश की वर्तमान परिस्थिति का विशद चित्रण करते हुए आर्थिक उन्नति के संदर्भ में कहा कि हमने आर्थिक दृष्टि से काफी प्रगति की है मगर दूसरी ओर हमारे किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। एक ओर तो भौतिक सुख सुविधाएं, सामग्री, साधन बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ समाज का 60 प्रतिशत वर्ग इन सबसे वंचित है। इसलिए सोचना पड़ता है कि आखिर गड़बड़ कहां है।

नवोत्थान यानी क्या? नवोत्थान शब्द का अपना–अपना अर्थ हर व्यक्ति लगाता है। जिस प्रकार मनुष्य की प्रकृति के आधार पर उसके उत्थान के परिणाम तय होते हैं उसी प्रकार किसी राष्ट्र को अपनी प्रकृति के आधार पर उत्थान के परिणाम तय होने चाहिए। जब हम हिन्दुस्थान के नवोत्थान किवा जागरण की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या है? हमने अपनी प्रकृति के आधार पर क्या समझा है? हमारे यहां यह विचार हुआ है कि नहीं? हमारे यहां क्या इसका चिंतन हुआ है? सन् 1860 तक जीवन के सभी क्षेत्रों में, स्वतंत्र अथवा परतंत्र अवस्था में भी, जो देश दुनिया में सिरमौर रहा उस देश में इन सब बातों का विचार नहीं है, यह सोचना गलत है। विचार है और चल रहा है। हमने इस संदर्भ में जो विचार किया है उसके आधार पर कह सकते हैं कि विकास और नवोत्थान की हमारी एक संकल्पना है। उन्होंने बलपूर्वक कहा कि

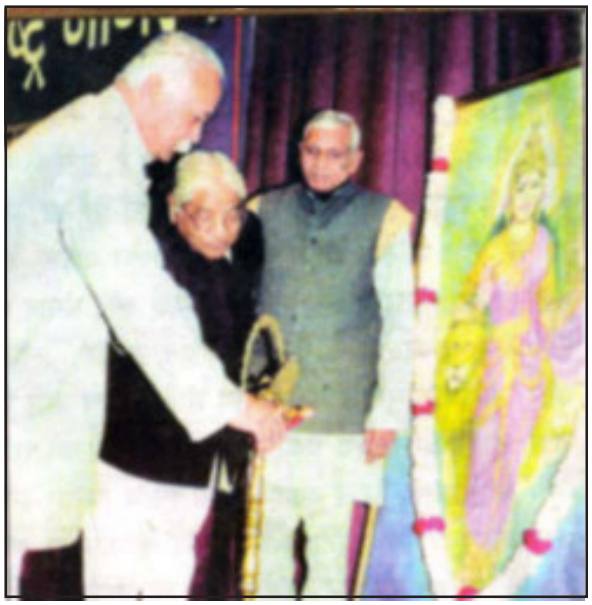

इसमें संदेह नहीं है कि जो विकास होगा वह सबके लिए होगा। इसमें सर्वाइवल आफ द फिटेस्ट नहीं है, किसी एक वर्ग का आधिपत्य नहीं है। हम सबका विचार करते हैं – सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब लोग सुखी हों सभी निरोगी हो। अधिकांश लोगों के सुख के लिए किसी और के सुख की बलि चढ़ाना आवश्यक नहीं। अतः हमारे देश के नवोत्थान की कसौटी यही होगी कि देश के सब लोगों को उसका लाभ हो रहा है कि नहीं। हमारे देश में पंक्ति में आखिरी स्थान पर खड़े व्यक्ति को इस उत्थान का लाभ मिल रहा है कि नहीं। यही हमारे विकास का मुख्य मानक होगा। जब तक अंतिम व्यक्ति दुख में है तब तक हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारा विकास हुआ है।

हमने विकास के अर्थ पर भी विचार किया है। हमने मनुष्य की समग्र परिभाषा ध्यान में रखी है। सृष्टि के आधार पर मनुष्य के जीवन को हमने समझा है और इस आधार पर जब हम नवोत्थान की कल्पना करते हैं तो कहते हैं कि इसमें चार बातें आवश्यक हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णों। नवोत्थान की यही हमारी कल्पना है, परम वैभव का स्वरूप है। हमें श्री चाहिए अर्थात् सब प्रकार का वैभव चाहिए। केवल भौतिक वैभव नहीं, उसके साथ हमें मन की अमीरी यानी मानसिक समृद्धि भी चाहिए।

श्री भागवत ने आगे कहा कि दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जो विविधता में एकता को मानता है। संघर्ष नहीं, समन्वय को मानता है। सबके प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है। त्याग और संयम की जीवन शैली का यशोगान करता है। आज दुनिया की सारी समस्याओं का उत्तर देने की क्षमता रखने वाला विचार–धन हमारे देश के पास है। हमारी ऐसी संस्कृति है जो सबको समा लेती है, अहिंसा की बात करती है। परन्तु दुर्भाग्य से कुछ लोग उस संस्कृति का नाम लेने से भी कतराते हैं। उस संस्कृति के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिन्ह लगाते हैं। जब अपने देश के इतिहास उसके तथ्यों को खोजकर सब तरह से पुष्टि कर दी गई तो उसको झुठलाने लगे।

रामसेतु के संदर्भ में सरकार्यवाह ने कहा कि रामसेतु है परन्तु अपने देश की पहचान को नकारने की एक पद्धति है कि पहले तो किसी भी बात को सिरे नकार दो कि ऐसा है ही नहीं। अगर है तो गलत है, क्योंकि यह ऐसा नहीं वैसा है। उसके बाद सबूत मांगे जाते हैं। सबूत मिलें तो उस विषय को अदालत में पहुंचा दिया जाता है ताकि वर्षों तक वह लटकता रहे। भगवान राम ने वह सेतु बनाया था। बाल्मीकि रामायण और कालीदास के रघुवंश के आधार पर उस सेतु का गणितीय आधार पर अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला है। विमान से उस सारे रास्ते को देख लिया गया है। लेकिन तब भी लोग इसे मानने को तैयार नहीं। नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे मनोहर चांसरकर कई वर्ष श्रीलंका में रहे। वे संघ के स्वयंसेवक नहीं, गांधीवादी विचारक हैं। उन्होंने रामायण काल की सभी बातों का गहन अध्ययन करके एक पुस्तक लिखी है। हमने उसका भी विचार नहीं किया। परन्तु देखने वाले को तो दिखता है, समुद्र के नीचे द्वारिका मिली है। कुछ किलोमीटर तक धरती के ऊपर सरस्वती का जल आया है। लेकिन हमारी अस्मिता, पहचान को स्थापित करने वाली, हमारी संस्कृति की मर्यादाओं को मंडित करने वाली सब बातों को नकारने का एक चलन दिखता है। अगर हम अपनी पहचान को नकारेंगे तो उत्थान कैसे संभव है?

समाधान सुझाते हुए सरकार्यवाह ने कहा कि हमारी शिक्षा पद्धति बाबूगिरी सिखाने वाली अंग्रेजों की दी हुई शिक्षा पद्धति है। हमने वही शिक्षा पद्धति अपनाए रखी। जब तक हम शिक्षा में सुधार का विचार नहीं करते तब तक सबके लिए उपलब्ध प्रगति और समस्याओं का निदान नहीं खोज सकते। रा.स्व.संघ राष्ट्र गौरव के लिए लोगों के व्यक्तित्व में आवश्यक गुण भरने का प्रयास करता आ रहा है। संघ से संस्कारित लोगों ने आज समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्य की अमिट छाप छोड़ी है। इस कारण संघ के प्रति श्रद्धा बढ़ती जा रही है। परन्तु इतना विशद् कार्य अकेले संघ के प्रयास से ही सफल नहीं होगा। आम आदमी के मन से स्वार्थ का भाव तिरोहित होना ही पहली और अनिवार्य शर्त है।

अंत मे श्री भागवत ने कहा कि संघ को समझना है तो पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से मत समझिए। इससे जुड़कर देखिए। राष्ट्र जागरण केवल संघ का नहीं, सबका विषय है। हमारा उद्देश्य केवल राष्ट्रोत्थान है और इस हेतु हमें सबका सहयोग चाहिए। स्वत्व के आधार पर अगर कोई काम हो रहा है तो उसमें सबका योगदान जरूरी है। यह कार्य जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी भारत का स्वर्णिम समय आएगा। ❖

आत्मगौरव की खोज में भारतीय युवा

देश के हजारों वर्षों के गौरवपूर्ण इतिहास को समझाना ही युवाओं के लिए आज की सबसे बड़ी जरूरत है।

■ सुनील आंबेकर*

चारों तरफ जश्न मनाया जा रहा था, पटाखे चल रहे थे, मानों दीपावली का त्यौहार हो। मुंबई की सड़कों पर 20–20 क्रिकेट मैच जीतकर आई भारतीय टीम का जोरदार स्वागत हो रहा था और सारा देश अपने टी.वी. के परदे पर उसे दख रहा था। नौजवानों की खुशी इतनी थी कि वह फूले नहीं समा रहे थे। ठीक, ही तो था, आज भारत की जीत जो हुई थी। अपने प्यारे भारत पर गर्व करने का मौका जो मिला था। वैसे ''लगान'' की या ''चक दे इंडिया'' की काल्पनिक जीत से भी वह कितने खुश हुये थे फिर यह तो सच्चाई थी।

युवाओं को मायूसी तो कई बार मिली भी थी। उन्होंने कभी ओलम्पिक की हार देखी थी, तो कभी और कहीं। नई उड़ानों पर वह सोचना चाहते, सपना भी देखते परंतु उन्हें बनी–बनायी रचना से नियति समझकर समझौता करने की सीख दी जाती रही। उन्हें पता था कि सूचना क्रांति में भारत कुछ आगे बढ़ा है या और कुछ बहुत थोड़ा जिस पर वह गौरवान्वित अनुभव कर सके। वह तो चाहता है कि अपने देश के नाम पर सर उठाकर दुनिया में चले। उसे अच्छा नहीं लगता कि हमारा देश किसी भी बात में दुनियां के देशों की कतार में पीछे खड़ा हो। लेकिन उसे तो पता ही नहीं, मेरा भारत कैसा था, कैसा है। वह जानना चाहता है कि वह कौन है। उसके पुरखों ने क्या पराक्रम किये जिन पर गौरव करें?

गुलामी की कहानी, कमजोरी, मजबूती तो उसने खुब सुनी है। आज भी वह कई ऐसे प्रंसगों को अनुभव करता है जो उसे अपमान से लगते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भाषा में कुशल होकर भी जब कहीं केवल अंग्रेजी की कमजोरी से पीछे रहता है, तो स्वाधीन हिन्दुस्तान में उसे असहज, अपमानित सा लगता है। अंग्रेजों के समय तो गरीबी, लाचारी की कई कहानियां उसे पता हैं, परन्तु आज भी अपने देश में लाखों लोग दो वक्त की रोटी के लिए मजबूर स्थिति में देखकर लज्जा होती है। इतिहास की कई घटनायें आज हमें याद हैं। लेकिन कई बातें इस तरह कम करके समझायी जाती हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। युवा तो अपमान के प्रसंग विस्तार से समझना चाहता है ताकि वह स्मृतियां उसे झकझोर कर रख दें, जिससे प्रेरणा पाकर कुछ करने का दृढ़ संकल्प वह कर सके।

अंग्रेजों के द्वारा 1857 के पश्चात दिखायी गई कुटिलता एवं क्रूरता को समझना आवश्यक है। तभी तो हमारे वीरों का महत्त्व ध्यान में आयेगा। मुगलों द्वारा हमारी संस्कृति, देवी–देवताएं एवं महिलाओं के साथ किये गये भयंकर अत्याचार की कहानी सुनकर आज भी जब मन कांप उठता है, तब महाराणा प्रताप, शिवाजी के साथ हिम्मत से जुटे एवं समर्पित भारतीय युवाओं की बलिदान गाथा समझ में आती है।

देश में ऐसे कई प्रसंग आये कि समझने वाले युवाओं को अपनी जवानी पर तरस आया, लेकिन कई युवाओं की अज्ञान वश यह संवेदना ही कमजोर रह गयी।

स्वाधीन भारत में कश्मीर में कई अत्याचारों का सामना करते हुए लाखों लोगों को भागना पड़ा, हजारों बहनों का अपमान हुआ। हम कुछ खास नहीं कर पाये, यह सोचकर ही लज्जा होती है। 1962 में चीन ने आक्रमण किया, हमारे नेताओं की मूर्खता के कारण कई जवान मारे गये व हमारी मातृभूमि का कुछ हिस्सा वह कब्जा कर गये, जो हम अभी तक वापस नहीं ले पाये।

हम समझ नहीं पा रहे हैं, कैसे हमारी आखों के सामने देश बंट गया, लाखों

*लेखक : राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अभाविप

लोग मारे गये, हजारों मां–बहनें प्रताड़ित हुईं, बांग्लादेश व पाकिस्तान में आज भी वहां बसे हिन्दुओं पर अत्याचारों की श्रृंखला जारी है। क्यों भारत–पाक क्रिकेट मैच को युद्ध की तरह देखते हैं लोग? वह जीतकर इतने अपमानों का कुछ कर्जा उतारना चाहते हैं? 1971 की जीत या कारगिल की विजय उसे इस अपमान से कुछ मुक्ति जरूर दिलाती है, इसलिए वह इसे धूमधाम से मनाना चाहता है।

उसे पता है हमें कानून के साथ चलना चाहिए, लेकिन वह कभी–कभी कानून को तोड़ देना चाहता है, जो हमारे समाज के अनुकूल नहीं है। जैसे महात्मा गांधी अंग्रेजों के समय कानून भंग करते थे, वह आज के अंग्रेजियत से भरे कानूनों एवं विदेशियों के प्रतीक ढांचों को समाप्त करना चाहता है। बाबरी ढांचे का समाप्त होना महज एक संयोग या अपघात नहीं था, वह उसकी नियति थी।

उसे याद है कि आज भारत की सीमा के अन्दर कैसे करोड़ों घुसपैठी आते हैं। स्थान–स्थान पर आतंकवादी कैसे विस्फोट करते हैं। कंधार की घटना जिससे हमारे नागरिकों के बदले में हमने खूंखार आतंकवादियों को छोड़ा था या बांग्लादेश की सीमा पर हमारे सीमा सुरक्षा बल (बी. एस.एफ.) के जवानों की हत्या भी उसे याद रखना जरूरी है। उसे पता है कि किसी को जिंदा जलाना ठीक नहीं, परन्तु मिशनरी ग्राहम स्टेन्स के हत्यारों का वह उतना विरोध नहीं कर पाता क्योंकि उसे स्मरण में है, मिशनिरियों की वह कुटिल गतिविधियां। यहां की संस्कृति एवं मिट्टी से भोले–भाले लोगों को तोड़ने का मिशन का सच्चा स्वरूप वह जान जो गया है।

मैं कभी–कभी सोचता हूँ, क्या यह समृद्धि की ललक, नई मुक्त शैलियां यह सिद्ध कराने की मानसिकता तो नहीं कि हम भी कुछ कम नहीं, हम भी मुक्त हैं।

गुलामी की हर जंजीर को तोड़ना, यह युवाओं का संकल्प हो रहा है, इसलिए आत्मगौरव की हर बात वह ढूंढ रहा है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या उससे जुड़े तत्व उसे इसलिए अच्छे लगते हैं कि वह अपनी आत्म गौरव की बातें ढूंढने का उचित माध्यम उसमें पाता है। विद्यार्थी परिषद की गतिविधि में इस पुराने अपमान के बोझ से कुछ मुक्ति का अनुभव मिलता है, स्वाभिमान से जीने का।

भारत के हर अपमान का करारा जबाव देने की इच्छा जागृत हो रही है। संगणक नहीं मिला तो परम संगणक, दूसरी सेनाओं के मुकाबले में मिसाइलों के अनुसंधान, सेटेलाईट की श्रृखंला यह सारे युवाओं के परिश्रम का पश्चिम है।

सड़क योजना में क्रांति लाने वाले अटल जी या वैज्ञानिक अब्दुल कलाम उसे गौरव लाने वाले लगते हैं। कल्पना चावला या सुनीता विलियम्स पर उसे नाज होता है। देश के वामपंथियों ने रोजी–रोटी की बात की लेकिन शांति छीन ली, धर्म छीन लिया, उनकी यूनियनों ने उसे यूनियन का नौकर बना दिया।

कांग्रेस की ढीली ढाली नीति ने उसे स्वराज देने का श्रेय तो लिया परंतु उसके क्रांतिकारी इतिहास को दबा दिया तथा जिसकी परिणति देश के विभाजन में हुई। समझौतावादी नीति ने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की हद कर दी बिल्कुल वैसे, जैसे विभाजन पूर्व की थी। उसने आजादी के 60 वर्ष के अन्दर ही पुनः एक विदेशी नेतृत्व देश को प्रदान किया।

लेकिन देश में एक लहर उठाना जरूरी है जो ऐसे हर अपमान को समाप्त कर देगी। इसलिए देश के हर युवा को देश के आत्मगौरवपूर्ण हजारों वर्षों के इतिहास को समझना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि इतिहास पीकर तृप्त हो जाओ फिर आत्म गौरव के साथ वर्तमान से भविष्य की और बढ़ो। अब बदलना होगा कि हम केवल आईटी सोलुशन्स की कम्पनियां खोलेंगे, अब हमारा नारा 'भारत –सोलुशन्स फॉर ऑल''. उसके लिए तीव्र गति से हमें अपनी अन्दुरूनी समस्याओं पर समाधान ढूंढने पड़ेंगे। बैसाखियों को फैंककर दौड़ना होगा, आगे–आगे निश्चित ही पूरी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए। ❖

प्रयाग में आयोजित एक परिचर्चा में मंच पर उपस्थित गणमान्य वक्ता

राम राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक हैं - अशोक सिंघल

रोहिणी के स्वर्ण जयंती पार्क में रामसेतु रक्षा के लिए आयोजित रैली में उमड़ा जनसैलाब इस बात का प्रतीक था कि भारतीयों में भगवान राम के प्रति कितनी गहरी श्रद्धा है।

रामसेतु के मुद्दे ने समस्त भारतवासियों के सामने एक ज्वलन्त प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या श्रीराम एक ऐतिहासिक महापुरुष हैं या काल्पनिक पात्र ? क्या रामायण काल्पनिक पात्रों पर आधारित महाकाव्य है ? यह प्रश्न उन लोगो ं के द्वारा खड़ा किया गया है, जो अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु राम के अस्तित्व एवं भारत राष्ट्र की प्राचीनता को स्वीकार नहीं करते। स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजों ने तथा बाद में इस देश के कम्युनिस्टों और उनके जैसे नास्तिकों ने इस बात का खुलकर प्रचार किया कि राम कोइ ऐतिहासिक महापुरुष नहीं हैं।

सोनिया जी के आश्रय में चलने वाली भारत की केंद्रीय सरकार ने 10 सितम्बर को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने शपथ पत्र में यह कहा कि राम का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, वे काल्पनिक पात्र हैं। इसलिए न राम ने किसी सेतु का निर्माण किया और न ही राम–रावण का युद्ध हुआ। राम के अस्तित्व को नकारना हिन्दू संस्कृति एवं भारत के अस्तित्व को नकारने के समान है। राम के बिना हम भारत की कल्पना भी नहीं कर सकते। राम के अस्तित्व को नकारने वाले वे लोग हैं जो हमारे धर्म एवं सस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं।

भारत का सौ करोड़ हिन्दू समाज जो युगों–युगों से राम के जीवन्त चरित्र को अपने जीवन का आदर्श मानता रहा है, वह राम को अपना ऐतिहासिक महापुरुष ही नहीं मानता अपितु जहाँ–जहाँ उन्होंने ने वनवास काल में पदयात्रा की उन हजारों स्थानों की स्मृतियों को लाखों वर्षों से आज तक संजोए हुए है। रामायण में जिन तीर्थों का भौगोलिक वर्णन किया गया है वे आज भी यथावत विद्यमान हैं तथा राम की ऐतिहासिकता की पुष्टि करते हैं। आज तक सम्पूर्ण भारत जिन आदतों की रक्षा करते हुए सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बंधा हुआ है, उसका आधार है राम के प्रति भक्ति तथा उनके जीवन को आदर्श के रूप में स्वीकार करना। जिन लोगों ने पंथ बदल लिया है तथा राम की ऐतिहासिकता को नहीं स्वीकार करते और हमारे प्राचीन इतिहास को काल्पनिक बताते हैं, उनसे मेरा कहना है कि पंथ बदलने से हमारे पुरखे नहीं बदल जाते। भगवान राम की ऐतिहासिकता ही हमारे और उनके बीच एकता का सूत्र है। अतः मजहब बदलने के बाद भी सहिष्णुता का परिचय दें और भारत के सत्य इतिहास को स्वीकार करें। किन्तु असहिष्णु आतंकवादी जेहादी, हिंसक चर्च एवं खूनी माओवादी इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नही हैं। यह रामसेतु को नष्ट करने की कल्पना भी उन्हीं लोगों की है जो राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। श्रीराम के इस अवशेष को समाप्त कर वे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि राम कोई ऐतिहासिक महापुरुष नहीं थे। परन्तु भारत की इस पवित्र पावन धरती पर असहिष्णुता कभी टिक नहीं सकी है और न ही कभी टिक सकेगी, यही हमारी विशेषता है।

आज सौ करोड़ हिन्दू समाज और यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण भारत से आए हुए 10 लाख के ऊपर इस विशाल जनसमूह को सशक्त भाषा में उद्घोष करना है कि राम हमारे ऐतिहासिक महापुरुष हैं तथा भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। भूतकाल में भी हिन्दुत्व ही इसकी पहचान था, वर्तमान में भी है और भविश्य में भी रहेगा। इस

नाते इस राष्ट्र के गौरवमयी धरोहर रामसेतु को हम किसी भी परिस्थिति में नष्ट नहीं होने देंगें। रामसेतु रक्षा का यह आन्दोलन तब तक चलेगा जब तक रामसेतु को सरकार के द्वारा ऐतिहासिक धरोहर तथा रामेश्वरम् को पवित्र तीर्थ घोषित नहीं किया जाता।

मेरा, भारत के सत्ताधारियों जिनमें से कुछ यहाँ विद्यमान भी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जहाँ–जहाँ राम गए हैं ऐसे सैंकड़ों स्थान देश में बिखरे पड़े हैं। यदि वे राम को ऐतिहासिक महापुरुष मानते हैं तो उन स्थानों को अतिशीघ्र महिमा मंडित करें। हमारे पौने छः लाख ग्राम हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में ग्रामों से लोग आए हुए हैं। मेरा उनसे कहना है कि हमारे धर्म एवं संस्कृति पर जो आज चारों ओर से आक्रमण हो रहे हैं उससे कोटि–कोटि जन समाज को हम अवगत कराएं। हमें हिन्दू समाज को एक ऐसी महाशक्ति के रूप में खड़ा करना है, जिससे कोई भी सत्ताधारी या अन्य व्यक्ति हमारे मान बिन्दुओं पर प्रहार की चेष्टा न कर सके। मेरा सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध है कि वोट बैंक तथा जाति–क्षेत्र एवं भाषा की राजनीति से ऊपर उठकर रामसेतु की रक्षार्थ आगे आएं तथा श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर के निर्माण में भी सहयोग प्रदान करें।

यहाँ आए हुए समस्त बन्धुओं एवं बहनों से मैं कहना चाहूंगा कि पूज्य सन्तों–महात्माओं के इस सन्देश को जन–जन तक लेकर जाएं कि न केवल यह सेतु ही भगवान राम द्वारा निर्मित है वरन् यह सम्पूर्ण देश ही राम का है। सन्तों का है यह सन्देश, राम का सेतु राम का देश'। जिन्हें इसके विषय में किंचित् मात्र भी सन्देह है तथा जो इसे नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि 'राम हमारे कर्म, हमारे धर्म, हमारी गति हैं, राम हमारी भक्ति, हमारी शक्ति, हमारी मति हैं। ❖

हिमालय बचेगा तो देश बचेगा

विगत 26 दिसम्बर को नई दिल्ली में हिमालय परिवार के तत्वावधान में 'हिमालय सुरक्षित, देश सुरक्षित' विषय पर प्रथम विश्वविद्यालय शिक्षाविद् राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई। देशभर से आए विद्वानों ने संगोष्ठी में हिमालय क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण, अपसंस्कृतिकरण और रक्षा–इन तीन बिन्दुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए। वक्ताओं ने हिमालय को लेकर गंभीर चिन्ता व्यक्त की और कहा कि भारत को बचाना है तो हिमालय को बचाना ही होगा, क्योंकि हिमालय भारत की पहचान है। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष श्री हरवंश कपूर ने की। वक्ता के रूप में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक', हिमालय परिवार के राष्ट्रीय संयोजक श्री इन्द्रेश कुमार, एन.सी.ई.आर.टी. के पूर्व निदेशक श्री जगमोहन सिंह राजपूत, गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. धर्मपाल, स्वामी श्रद्धानन्द कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) के प्राचार्य श्री जे. एल. भट्ट एवं ई.टी.वी. के ब्यूरो प्रमुख श्री एन. के. सिंह उपस्थित थे। संगोष्ठी की भूमिका रखते हुए श्री इन्द्रेश कुमार ने कहा कि बढ़ती चुनौतियों के जगा तो आने वाला करेगा। उन्होंने कहा हिमालय क्षेत्र में अपने भारत–विरोधी तत्व आतंकवाद, अपसंस्कृतिकरण हैं। किन्तु दुर्भाग्य लोग इन की अनदेखी कर रहे

यदि हिमालय क्षेत्र में प्रति देश अभी भी नहीं समय हमें माफ नहीं कि चीन तेजी से पांव पसार रहा है। पूरे हिमालय क्षेत्र में मतान्तरण, घुसपैठ, आदि को बढ़ावा दे रहे यह है कि सत्ता में बैठे भारत–विरोधी तत्वों हैं। इसलिए हिमालय परिवार ने जन–जागरण का अभियान चलाकर देश की जनता को राष्ट्र व हिमालय की रक्षार्थ स्वयं गाण्डीव उठाने का आह्वान किया है।

अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री हरवंश कपूर ने कहा कि हिमालय क्षेत्र में घुसपैठ, आतंकवाद, नक्सली हिंसा बढ़ती ही जा रही है। इन्हें समाप्त करने के लिए उत्तराखंड सरकार को पूरे देश का सहयोग चाहिए। श्री कपूर ने कहा कि हिमालय क्षेत्र में वहां की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए विकास कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने कहा कि हिमालय भारत का माथा है। यदि माथा ठीक नहीं रहेगा तो शरीर भी ठीक नहीं रह सकता। इसलिए हम सब भारतवासियों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि हिमालय को बचाएं। उन्होंने कहा कि हिमालय क्षेत्र से पलायन रोकने के लिए यहां शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार आदि की सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। क्योंकि इन अभावों की आड़ में वहां मतान्तरण और देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। श्री एन.के. सिंह ने आतंकवाद को आज की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि आज आतंकवाद हिमालय क्षेत्र में ही नहीं, पूरे भारत में फैलता जा रहा है। आई.एस.आई. अब भारतीय युवकों को भी अपने जाल में फांस रही है। इसका मुकाबला करना होगा। समापन सत्र पंजाब के तकनीकी शिक्षा मंत्री चौधरी स्वर्णाराम की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए चौधरी स्वर्णाराम ने कहा कि हिमालय क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को दूर करना होगा और देश विरोधी गतिविधियों पर कठोरता से लगाम लगानी पड़ेगी। इनके अलावा कुछ अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय

उड़ीसा में बॉक्साइट खनन से बहुराष्ट्रीय कंपनी को बाहर किया

■ **स्वदेशी संवाद**

उच्चतम न्यायालय ने अपने हाल के निर्णय में ब्रिटेन की बहुराष्ट्रीय कंपनी वेदान्त को उड़ीसा के लांजीगढ़ में बॉक्साइट खनन के कार्य से अलग कर दिया है। वेदान्त अल्यूमिना लिमिटेड नाम की इस कंपनी को उड़ीसा के लांजीगढ में 4000 करोड़ रुपए के बॉक्साइट जैसे महत्त्वपूर्ण खनिज के खनन करने का आदेश मिला था। उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि राष्ट्रीय संपदा किसी ऐसी कंपनी को नहीं सौंपा जा सकती है जिसमें विश्वसनीयता का अभाव हो।

ज्ञातव्य हो कि वेदान्त अन्यूमिना लिमिटेड कंपनी के पिछले आचरण को देखते हुए देश के पर्यावरणविदों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। पर्यावरणविदों का आरोप था कि कंपनी द्वारा बेतहाशा बॉक्साइट की खुदाई से उड़ीसा के नियमगिरी पहाड़ का पर्यावरण बिगड़ सकता है। पर्यावरणवादियों का आरोप है कि जमीन अधिग्रहण जबरन हुआ है और परियोजना क्षेत्र में अवास्थित अत्यंत पिछड़ी जनजातियों, डोंगरिया, कोंड, कुटिया कोंड, झरनिया कोंड जनजातियों का भारी मात्रा में विस्थापन होगा। इस परियोजना से यहां की 300 वनस्पति प्रजातियों एवं कई वन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इससे पर्यावरण का अप्रत्याशित नुकसान भी होगा।

दरअसल नार्वे सरकार ने ब्रिटेन की इस कंपनी को अपने यहां विभिन्न गलत आरोपों के आधार पर काली सूची में डाल रखा है। इस कंपनी पर आरोप है कि वह गलत श्रम मापदंड, वित्तीय अनियमितता आदि व्यवहार को अपनाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने नार्वे सरकार के इस निर्णय को आधार बनाकर भारत में उड़ीसा के कालाहांडी जिले के लांजीगढ़ में उसके पारिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया।

उड़ीसा में वेदान्त समूह की दो कंपनी को संयुक्त रूप से बॉक्साइट खनन का कार्य मिला था। दूसरी कंपनी स्टर्लाइट इडंस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड है। इन कंपनियों के लिए उड़ीसा राज्य खनन निगम ने सभी प्रकार की आपत्तियों के निवारण का कार्य किया था। उस समय केन्द्रीय विशेषाधिकार प्राप्त समिति ने परियोजना से जुड़े कई मुद्दों पर आपत्ति उठायी।

वेदान्त को यह परियोजना नहीं मिलने के बाद इसी समूह की दूसरी कंपनी स्टालाईट को यह कार्य मिला हुआ है। लेकिन न्यायालय ने अपने निर्णय में इसके उपर भी कई प्रकार के प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है। मसलन

- कार्यरत कंपनी को 55 करोड़ रुपए जंगलों को लगाने एवं उसके संरक्षण के लिए देना होगा।
- 52.5 करोड़ रुपए स्थानीय जंगल में उपलब्ध वन्यजीवन की रक्षा हेतु देने होंगे।
- 12.5 करोड़ रुपए जनजातीय विकास के मद में देना होगा।
- लांजीगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र के विकास हेतु उड़ीसा सरकार एवं उड़ीसा खनन निगम को मिलाकर विशेष कार्ययोजना बनानी होगी।
- इस कार्ययोजना के लिए हर वर्ष कंपनी को कर पूर्व लाभ में से 5 प्रतिशत की राशि भुगतान करना होगा।
- स्थानीय आबादी में से उचित लोगों को स्थायी रोजगार देना होगा।

उपर्युक्त बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन एवं न्यायाधीश अरिजीत पसायत और एस एच कपाड़िया की पीठ ने कहा कि परियोजना में कार्यरत स्वर्लाइट कंपनी यदि इन मुद्दों पर न्यायालय में सहमति का हलफनामा दायर करती है तभी जाकर उसे बॉक्साइट खनन का आदेश दिया जा सकता है।

राज्य सरकार को लताड़ लगाते हुए पीठ ने कहा कि उड़ीसा सरकार ने परियोजना पर अमल करते समय नियमों की जानबूझकर अवहेलना की और अक्षय विकास की मान्यताओं को ठुकरा दिया। जबकि अक्षय विकास की अवधारणा देश समाज एवं पर्यावरणवादियों के लिए आवश्यक है न्यायालय के इस निर्णय का पर्यावरणवादियों ने स्वागत किया है।

दूसरी ओर स्टर्लाइट कंपनी के अधिकारियों ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि स्थानीय विकास हेतु यदि कंपनी को अपने लाभ का हिस्सा भी देना पड़े तो यह सामान्य बात है और हर कंपनी इसके लिए तैयार रहती है।

ज्ञातव्य हो कि भारत के कुल बॉक्साइट भंडार का 69.7 प्रतिशत भंडार उड़ीसा के तीन प्रमुख जिला – कोरापट, बोलनगीर एवं कालाहांडी (के बी के) में अवस्थित है। बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका उपयोग अल्युमिनियम बनाने में होता है। ❖

विश्व अर्थव्यवस्था में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी

विश्व के 50 प्रतिशत सकल उत्पाद में भारत, चीन, अमरीका, जापान व जर्मनी की हिस्सेदारी है। विश्व बैंक की एक रपट में क्रय शक्ति के आधार पर यह आंकलन किया गया है। विश्व बैंक द्वारा जारी इस रपट मे कहा गया है कि वर्ष 2005 के दौरान विश्व अर्थव्यवस्था में 55 मिलियन डॉलर के माल व सेवाओं का उत्पादन किया गया था जिसमें से 40 प्रतिशत उत्पादन विकासशील देशों से प्राप्त हुआ था। अमरीका आज भी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसकी विश्व अर्थव्यवस्था में 23 प्रतिशत हिस्सेदारी है, चीन की कुल हिस्सेदारी बढ़कर 10 प्रतिशत, जापान की 7 प्रतिशत, जर्मनी की 5 प्रतिशत तथा भारत की हिस्सेदारी 4 प्रतिशत है। इन पांचों देशों की सामूहिक हिस्सेदारी 49 प्रतिशत से अधिक है। यह जानकारी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर उपलब्ध की गई है। इन सभी अर्थव्यवस्थाओं के उत्पादन में किसी तरह का बदलाव नहीं आया है। परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार विश्व का सकल उत्पादन अमरीकी डॉलर आधारित उत्पाद से कहीं ज्यादा है क्योंकि विनिमय दर आमतौर पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील देशों की क्रयशक्ति का कमजोर आंकलन करती है। उदाहरण के तौर पर परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर वर्ष 2005 में भारत की हिस्सेदारी विश्व अर्थव्यवस्था में 4 प्रतिशत के लगभग थी लेकिन बाजार आधारित विनिमय दर के आधार पर यह दो प्रतिशत के लगभग थी। चीन की हिस्सेदारी भी परचेजिंग पावर पैरिटी की दृष्टि से बढ़कर 10 प्रतिशत हो गयी है। जबकि बाजार आधारित विनिमय दर के आधार पर अमरीका की हिस्सेदारी 29 प्रतिशत के लगभग है लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर अमरीका की हिस्सेदारी केवल 23 प्रतिशत के लगभग है, इसी तरह जापान की हिस्सेदारी भी 10 प्रतिशत से घटकर 7 प्रतिशत तथा जर्मनी की हिस्सेदारी 6 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत रह गई है।

रपट का आंकलन है कि दोनों एशियाई अर्थव्यवस्थाओं का आकार पूर्व आंकलन से कम है लेकिन चीन आज भी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है जहां अब विश्व का 9 प्रतिशत उत्पादन हो रहा है। भारत पांचवें स्थान पर है जहां विश्व का 4 प्रतिशत उत्पादन हो रहा है। चीन के लिए पूर्व में यह अनुमान लगाया गया था कि उसकी विश्व अर्थव्यवस्था में 14 प्रतिशत हिस्सेदारी है जबकि भारत के लिए 6 प्रतिशत हिस्सेदारी का अनुमान लगाया गया था। एशिया की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में भारत व चीन की हिस्सेदारी दो तिहाई के लगभग हो गई है। विश्व बैंक ने अपनी रपट में कहा है कि वर्तमान नवीनतम आंकलन अधिक विश्वसनीय है जबकि पूर्व में किये गये आंकलन अनुमानित आधार पर किये जाते थे। विश्व की कुल 12 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जिनकी वैश्विक अर्थव्यवस्था में दो तिहाई हिस्सेदारी है, पांच अर्थव्यवस्थायें मध्यम व कम आय वाली हैं, इनमें चीन, भारत, रूस, ब्राजील तथा मेक्सिको शामिल हैं।

सबसे आगे हिन्दुस्तानी

अपनी परंपरा और प्राचीन संस्कृति को भुला देने से भारत भले ही विश्व के तमाम देशों से अनेक मामलों में पीछे खिसक रहा है, और अपनी पहचान खोता जा रहा है लेकिन वर्ष 2007 में राजनीति, व्यापार एवं विज्ञान सहित कई मामलों में भारतीयों ने विदेशों में अपना परचम लहराकर यह साबित कर दिया है कि हिन्दुस्तानी आज भी सबसे आगे हैं। नोबल पुरस्कार से लेकर विदेशी कंपनियों की कमान संभालने अथवा राजनीति व उद्योग जगत में भारतीयों ने पिछले वर्ष कई नए मुकाम हासिल किए हैं। इस वर्ष शीर्ष पर पहुंचने वालों में आर.के. पचौरी, कमलेश शर्मा, इन्द्रानूयी, अरूण सरीन, विक्रम पंडित और सुनीता विलियम्स जैसे कई भारतीय या भारतीय मूल के लोग शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन पर काम करने वाले आर.के. पचौरी ने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया है। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में छह महीने बिताकर विश्व रिकार्ड कायम किया है, जबकि सुनीता विलियम्स से पूर्व कल्पना चावला भी भारत का नाम रोशन कर चुकी हैं। राष्ट्रमंडल महासचिव पद के लिए चुनाव में विदेशियों को पछाड़कर कमलेश शर्मा ने भारत के तिरंगे की शान को बढ़ाया है। अमरीका के लुइसियाना प्रांत में गवर्नर का चुनाव जीतकर भारतीय मूल के बॉबी जिंदल ने भी एक नया इतिहास रचा है। साल के अंतिम मास में अमरीका के सबसे बड़े वित्तीय समूह सिटी ग्रुप की कमान भारतीय मूल के विक्रम पंडित को सौंपी गई है। खेल जगत में प्रसिद्ध शंतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आंनद ने मैक्सिको में विश्व चैम्पियन का ताज पहन व दक्षिण अफ्रीका में ट्वंटी–20 क्रिकेट टूर्नामेंट में महेन्द्र सिंह धोनी की टीम ने भारत की बादशाहत को कायम रखा। इसके अलावा सिनेमा व्यापार व अन्य कारपोरेट जगत में कई भारत की हस्तियां दुनिया के शीर्ष पदों पर पहुंचीं।

ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने को मछुआरे लामबंद

ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से निपटने के लिए मछुआरे भी लामबंद हो रहे हैं। इसी के तहत मछुआरों ने फैसला किया है कि वे कुछ ऐसे समुद्री जीवों का शिकार नहीं करेंगे जो समुद्र के माहौल को अनुकूल बनाए रखने में मददगार हैं। इसकी शुरूआत क्लाउनफिश से हुई है जो डिज्नी की फिल्म 'फाइंडिंग नेमों की स्टार थी। यह फिल्म बच्चों में काफी लोकप्रिय हुई थी। मछुआरों ने तय किया है कि अब न तो वे क्लाउनफिश को पकड़ेंगे और न ही एनीमोंस का शिकार करेंगे। मछुआरों का ऐसा मानना है कि उनके इस फैसले से ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र में पैदा हुई ब्लीचिंग से बर्बाद हो चुके ग्रेट वैरियर रीफ कोरल रीफ, (प्रवाल भित्ति) बचे रह जाएंगे। कोरल रीफ भी समुद्र के वातावरण को अनुकूल बनाए रखने में मददगार साबित होती है। इसे नुकसान पहुंचाने से क्लाउनफिश का घर उजड़ रहा है। जो अंततः पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुंचाएगा।

भष्टाचार की शिकार रोजगार गारंटी योजना

गरीबों तथा बेरोजगार युवकों की हालत को सुधारने के लिए बनाई गई रोजगार गारंटी योजना भ्रष्टाचार की गिरफ्त में दम तोड़ रही है। जिन लोगों के लिए यह योजना शुरू की गई, वे आज भी इसके फायदे से वंचित हैं जबकि इसका फायदा उठा रहे हैं वे लोग जिनके पेट पहले से भरे हैं। राजधानी स्थित पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा केन्द्र ने उड़ीसा के ग्रामीण इलाकों के अध्ययन के बाद तथ्य प्रस्तुत कर रोजगार गारंटी

योजना पर ही प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। सरकारी दावों के मुताबिक वर्ष 2006–07 में उड़ीसा राज्य के लक्षित 13 लाख 94 हजार 159 परिवारों में उन सभी को इस योजना के अंतर्गत रोजगार मुहैया कराया गया। जबकि इसी राज्य के 100 गांवों में किए गए सर्वेक्षण पर अगर विश्वास करें तो सरकारी दावे सच्चाई से कोसों दूर हैं। सर्वेक्षण के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि यह सरकारी योजना भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है क्योंकि गरीबों के लिए आवंटित सात सौ तैंतीस करोड़ रुपये में से पांच सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम सरकारी अधिकारियों ने हड़प ली। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके जॉब कार्ड पर तीन सौ से ज्यादा दिन रोजगार मिलने की बात दर्ज है लेकिन हकीकत यह है कि मजदूरों को 20 या 21 दिन ही काम मिला। उड़ीसा के भुखमरी प्रभावित इलाकों में लोगों को इस योजना के तहत सिर्फ दिखावे के लिए ही रोजगार मिला है। (विस्तृत रपट के लिए स्वदेशी पत्रिका के नवम्बर 07 का अंक देखें)

मजहब के आधार पर बजट आवंटन

राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की बैठक में मजहब के आधार पर बजट आवंटन की सरकारी कोशिशों पर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने विरोध व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए अलग से बजट आवंटन को सभी मुख्यमंत्रियों ने वोट बैंक की राजनीति के तहत की जा रही कोशिश बताते हुए विरोध का ऐलान किया है। विगत वर्ष भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक बताकर धर्म और जाति के आधार पर समाज को बांटने का प्रयास किया था, उसी प्रकार से एक बार फिर उन्होंने 11वीं पंचवर्षीय योजना में सांप्रदायिक आधार पर केन्द्रीय बजट में मुसलमानों को रिझाने के प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व केन्द्र सरकार के सभी प्रमुख मंत्रियों की उपस्थिति में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी और म.प्र. के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदि ने बजट को सांप्रदायिक बजट की संज्ञा देते हुए स्पष्ट किया कि जरूरतमंदों के बजाय धर्म के आधार पर बजट का आवंटन सामाजिक ताने–बाने को ध्वस्त करेगा तथा इस तरह का भेदभाव देश के लोगों को विकास के पथ पर एक साथ जाने से रोकेगा। पत्रकारों से बातचीत में श्री मोदी ने सांप्रदायिक आधार पर बजट के आवंटन को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने धर्म के आधार पर 15 फीसदी बजटिंग का विरोध करते हुए कहा कि गरीबी या बीमारी का किसी जाति, धर्म या संप्रदाय से कोई लेना–देना नहीं होता, गरीबी की कोई जाति या मजहब नहीं होता, इसके लिए केवल आर्थिक स्थिति ही एकमात्र मानदंड होना चाहिए। छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने गरीबी को इस देश की सबसे गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि इसे सांप्रदायिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। इनके अलावा राजस्थान की मुख्यमंत्री वंसुधरा राजे और उत्तराखंड के भुवन चंद्र खंडूरी आदि सभी ने इस मौके पर बिना भेदभाव के समाज के सभी तबकों को आर्थिक लाभ पहुंचाने की अपील की।

पुरस्कार का मोहताज नहीं साहित्यकार

साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार अमर कांत का मानना है कि 'साहित्यकार किसी पुरस्कार का मोहताज नहीं होता, और न ही साहित्यकार पुरस्कार पाने के लिए लिखता है। यह एक अच्छी सोच है तथा शिक्षित समाज के लिए एक प्रेरणादायक संदेश भी है। इसके साथ ही वे कहते हैं कि हां, इतना जरूर है कि इससे साहित्य साधना में तल्लीन लोगों को थोड़ा प्रोत्साहन जरूर मिलता है।

किसानों के प्रति सरकार लापरवाह

यूएनपीए ने यूपीए सरकार पर किसानों की पीड़ा को नजरअंदाज करने व लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर विरोध अभियान छेड़ने की जो चेतावनी दी है निश्चित ही एक साहसिक कदम है, बशर्ते कि वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पर दबाव बनाए। यूएनपीए की ओर से देश के किसानों के मुद्दों और उनके सामने मौजूद चुनौतियों पर आयोजित सम्मेलन में क्षेत्रीय दलों के इस संगठन ने इच्छा व्यक्त की है कि सरकार एस ए स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे तभी किसानों की हालत में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का यह कहना सही है कि देश में किसानों की हालत दयनीय है, और उनकी समस्याओं पर सरकार गौर नहीं कर रही। इनेलो प्रमुख व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने यह आलोचना भी सही है कि कांग्रेस ने 50 साल के शासन में किसानों को नजरअंदाज किया है। चौटाला ने सरकार पर यह आरोप लगाया है कि जब देश की 70 फीसद आबादी कृषि पर निर्भर है इसके बावजूद सरकार कृषि और किसान को लेकर लापरवाह है। इस मौके पर राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष एम.एस. स्वामीनाथन ने सभी नेताओं को दलगत राजनीति से उपर उठकर किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावकारी उपाय करने के आग्रह के साथ यह भी चेताया कि संदेश साफ है कि यदि कृषि के साथ गलत होगा तो कुछ भी सही नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा कि असली किसान वे हैं जो खेत जोतते हैं और हम सभी को उनके कल्याण के लिए काम करना चाहिए।

11वीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं की अनदेखी

तेज विकास के दावे के साथ तैयार की गई 11वीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के प्रति अनदेखी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। महिला संगठनों ने 11वीं पंचवर्षीय योजना बजट में महिलाओं के लिए समुचित प्रावधान नहीं किए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। महिला संगठनों का आरोप है कि देश की 50 फीसदी आबादी (महिलाओं) के बारे में बजट का प्रावधान करते समय महिला संगठनों की राय नहीं ली जाती और बजट के प्रावधान पर मुहर लगा दी जाती है। जबकि महिलाओं की क्या जरूरते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं आदि बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। गिल्ड ऑफ सर्विस की अध्यक्ष डॉ मोहिनी गिरी और वूमंस पॉलिटिकल वाच की वीना नायर ने बाकायदा प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर सरकार से जानना चाहा कि छत्तीस लाख 44 हजार 147 करोड़ का बजट तो पेश कर दिया जो पिछले बजट का दोगुना है लेकिन यह कहाँ जाएगा, नीतियां क्या होगी उस संबंध में कोई बात नहीं की गई। डॉ. गिरी का कहना है कि योजना में केवल चार लक्ष्य तय किए गए हैं क्या यह महिलाओं के समग्र विकास के लिए पर्याप्त हैं। आने वाले समय में सात करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा करने के दावे तो किए गए हैं परन्तु इसका फायदा लेने के लिए लड़कियों के कौशल विकास पर क्या कुछ होगा यह स्पष्ट नहीं किया गया। महिला संगठनों का कहना है कि महिलाओं की आबादी का 42 फीसद हिस्सा 18 साल से कम उम्र की लड़कियां है, उनकी कोई बात ही नहीं की गई कि उनका विकास कैसे होगा। आबादी के साठ साल बाद भी 19 करोड़ 10 लाख महिलाएं निरक्षर हैं जो लड़कियां पढ़ भी रही हैं, उनमें से केवल तीन फीसदी ही स्नातक की पढ़ाई कर पाती हैं, 70 फीसदी तो माध्यमिक शिक्षा के दौरान ही स्कूल छोड़ देती हैं।

हिन्दी के साथ हो रहे भेदभाव पर चिंता प्रकट करते हुए अमरकांत ने कहा कि साहित्य संघर्ष एवं विचारों का रास्ता है और एक साहित्यकार इन्ही रास्तों पर चलकर अपनी दिशा तय करता है। उन्होंने कहा कि साहित्यकार जो भी लिखता है समाज, देश व वर्तमान परिस्थितियों के बहुत करीब होता है। वे कहते हैं कि साहित्य एक ऐसा कर्म होता है जो निःस्वार्थ भावना से लिखा जाता है। साहित्यकार अमर कांत हिन्दी के साथ हो रहे भेदभाव पर खासे चिंतित हैं और हिन्दी की वर्तमान स्थिति से थोड़ा व्यथित भी। उन्होंने यह कहकर कि हिन्दी के उत्थान के लिए लम्बे–चौड़े वायदे तो जरूर किए जाते हैं, लेकिन पूरे नहीं किए जाते, हिन्दी भाषा की दुहाई देने वाले राजनेताओं व समाजसेवियों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने बिना हिचक कहा कि इतना ही नहीं हिन्दी में काम करने वाले के साथ भेदभाव भी किया जाता है।

विज्ञान शिक्षा के लिए निवेश की जरूरत

भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने ठीक ही कहा है कि विज्ञान शिक्षा के लिए अधिक निवेश की जरूरत है तभी प्रतिस्पर्धा के इस दौर में भारत आर्थक विकास के क्षेत्र में विश्व के साथ मुकाबला कर सकता है। आंध्र विश्वविद्यालय में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करते समय प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रतिस्पर्द्धी विश्व में आर्थिक विकास के लिए अच्छे विज्ञान शिक्षकों की एक बड़ी फौज की आज सबसे बड़ी जरूरत है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने वर्ष 2008 को विज्ञान शिक्षा में फिर से नई जान डालने के वर्ष के रूप में अपनाने का भी आह्वान किया। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि केन्द्र सरकार राज्यों और विश्वविद्यालयों के साथ विज्ञान शिक्षा में नई क्रांति लाने को तैयार है, इसके लिए हमें सकारात्मक सोच अपनाने तथा नीतियों में सुधार और सांस्थानिक बदलाव लाने की भी जरूरत है। प्रधानमंत्री ने बताया कि परमाणु विज्ञान एवं अंतरिक्ष विज्ञान जैसे रणनीतिक नजरिए से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए जाऐंगे, ताकि प्लस टू स्तर पर ही विद्यार्थियों को इसके प्रति आकर्षित किया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि 'ज्ञान, विशेषकर वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय ज्ञान दिनोंदिन अधिक तेजी से बढ़ रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि किसी देश की ताकत और उसकी समृद्धि इस बात से तय होगी कि वे ज्ञान को कितना हासिल कर पाते हैं। प्रधानमंत्री ने सबसे अहम बात जो कही वह यह कि हमें टैक्नोलॉजी के इस्तेमाल में पश्चिम की नकल नहीं करनी, हमें ऐसी टैक्नोलॉजी चाहिए जो कम पानी, कम उर्जा खर्च करे।

आत्महत्याओं के लिए याद किया जाएगा 2007

विकास के तमाम दावों के विपरीत अंग्रेजी वर्ष 2007 किसानों की आत्महत्याओं के लिए सदैव याद किया जाएगा। महाराष्ट्र में कपास की पैदावार के लिए मशहूर विदर्भ में वर्ष 2007 में 211 किसानों की आत्महत्याओं ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा विदर्भ को दी गई राहत पर पानी फेर दिया है। एक गैर सरकारी संगठन विदर्भ जनआंदोलन समिति के मुताबिक मार्च में सबसे ज्यादा 112 किसानों ने आत्महत्याएं की थीं, जबकि सितम्बर में 112 किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। सर्वेक्षण के अनुसार जून के महीने में किसानों की आत्महत्याओं के 82 मामले दर्ज हुए जबकि जुलाई में 75 मामलों का खुलासा हुआ। समिति का दावा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा जुलाई 2006 में विदर्भ के लिए 3750 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा किए जाने के बाद यहां के पिछले इलाकों में आत्महत्याओं की घटनाओं में कमी नहीं रही।

संगठन ने दावा किया है कि एक जनवरी से 31 दिसम्बर 2007 के दौरान विदर्भ के 11 जिलों में यवतमल में सबसे ज्यादा 332 मामले और अमरावती में 210 मामले सामने आए। वहीं वाशिम में 162, बुल्ढाणा में 142, अकोला में 114, तथा वर्धा में 110 किसानों ने आत्महत्याएं कीं।

विदेशी कंपनियों के विरोध में प्रदर्शन

स्वदेशी जागरण मंच होशियार (पंजाब) की और से परचून व्यापार में विदेशी व सरमायेदार कम्पनियों के प्रवेश के विरोध में विशाल रोष प्रदर्शन किया गया। रोष प्रदर्शन का नेतृत्व अश्वनी जैन व जिला संहसंयोजाक सन्दीप जोशी ने किया। इस रोष प्रदर्शन में फल विक्रेता, बर्तन विक्रेता, छोटे–छोटे व्यापारी व रेहड़ी यूनियन आदि के सदस्यों ने भाग लिया।

इस अवसर पर पंजाब के सयोजक (स्वदेशी जागरण मंच) श्री कृष्ण शर्मा ने कहा इन विदेशी व बड़ी कम्पनियों के खुदरा व छोटे उद्योगों में आ जाने से खुदरा व्यापारियों को बहुत नुकसान होगा व छोटे व्यापारियों का व्यापार ठप हो जायेगा लेकिन इस सब को सरकार प्रोत्साहन दे रही है। आज हजारों की तादाद में विदेशी कम्पनियां दाखिल हो चुकी हैं। भारत जब गुलाम हुआ था तो सिर्फ एक दो विदेशी कम्पनियों के कारण हो गया था। परन्तु अब जबकि हजारों विदेशी कम्पनियां भारत के व्यापार क्षेत्र में दाखिल हो चुकी हैं, इस की कल्पना सहज ही की जा सकती है कि आने वाला समय भारत व भारत के छोटे व्यापारियों के लिये कितना भयानक होगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार योजनाबद्ध तरीके से खुदरा व्यापार में देशी एवं विदेशी कंपनियों को बढ़ावा दे रही है। सरकार यह सभी निर्णय डब्ल्यूटीओ के दबाव में कर रही है। स्वदेशी जागरण मंच सरकार के इस निर्णय के खिलाफ आंदोलन तेज करेगा।

भारत–चीन व्यापार का दायरा : एक झलक

44 साल के बाद नाथूला फिर खुला। इस सिल्करूट के खुलने से भारत–चीन फिर से कारोबार कर सकेंगे।

कहां है दर्रा

- चीन की सीमा पर सिक्किम की चुंबी घाटी पर
- 4,545 मीटर ऊंचाई
- 550 किमी कोलकाता से दूरी
- 460 किमी दूरी तिब्बत की राजधानी ल्हासा से

शुरूआत

- पहले 5 साल के लिये खुलेगा
- आरंभ में 1 जून से 30 सितंबर तक हर साल यह मार्ग खोलने का निर्णय लिया गया था। अब इसे बढ़ाकर 1 मई से 30 नवम्बर कर दिया गया है।
- सोमवार से गुरूवार ही खुलेगा
- समय : सुबह 7.30 से दोपहर 3.30 तक

तब

- 19वीं सदी में दोनों देशों के बीच कारोबार।
- 1,000 घोड़े और टट्टू के साथ 700 लोगों की आवाजाही।
- भारत : कपड़े, तंबाकू, पेट्रोल, घड़ियां और टूटी–फूटी कारें।
- चीन : कॉटन, पशु उत्पाद और याक की पूंछें।

अब

- 44 चीजों के व्यापार पर राजी
- 29 चीजों का निर्यात भारत करेगा
- 15 चीजों का निर्यात चीन करेगा

भारत का निर्यात

कृषि उत्पाद, कंबल, तांबे का सामान, कपड़ा, साइकिल, कॉफी, चाय, चावल, आटा, मेवे, सूखी और ताजी सब्जियां, वनस्पति तेल, गुड़ और मिश्री, तंबाकू, सिगरेट, सौंफ, मसाले, जूते, केरोसिन, स्टेशनरी, बर्तन, गेहूं, शराब, दूध के उत्पाद, डिब्बाबंद खाना, जड़ी–बूटियां, ताड़ का तेल, बाजरा और हार्डवेयर।

चीन का निर्यात

भेड़ और बकरी की खाल, ऊन, कच्चा रेशम, याक की पूंछ, याक बाल, चीनी मिट्टी, बोरेक्स, मक्खन, नमक, कश्मीरी बकरी, घोड़े, भेड़ और बकरी।

उम्मीदों का कारोबार

- 2010 तक 353 करोड़ रुपये
- 2015 तक 450 करोड़
- 2020 तक 574 करोड़

आर्थिक संकेतक : उपयोगी आंकड़े

संकेतक : वार्षिक	इकाईयां	2000 - 01	2001 - 02	2002-03	2003 - 04	2004 - 05	2005 - 06	2006 - 07	2007 - 08 (प्रक्षेपित)
जनसंख्या (1 अक्तूबर तक)	करोड़ में	101.9	103.7	105.5	107.3	109.1	110.7	112.2	
जीडीपी वर्तमान बाजार मूल्य पर	करोड़ रुपये	21,02,375	22,81,058	24,58,084	27,65,491	31,26,596	35,67,177	41,25,725	
जीडीपी प्रतिव्यक्ति (वर्तमान मूल्य)	रुपये	20,632	21,976	23,299	25,733	28,684	32,224	36,771	
सकल घरेलू बचत (वर्तमान मूल्य)	जीडीपी प्रति.	23.7	23.5	26.4	29.7	31.1	32.4		
सकल घरेलू पूंजी निर्माण ,,	जीडीपी प्रति.	24.3	22.9	25.2	28.0	31.5	33.8		
सकल राजकोषीय हानि	जीडीपी प्रति.	5.7	6.2	5.9	4.5	4.0	4.1	3.7	

कृषि उत्पादन आम सूचकांक भारत

खाद्यान्न	मिलि.टन.	196.8	212.9	174.8	213.9	198.4	208.6	216.1	217.6
मोटा अनाज	मिलि.टन.	185.7	199.5	163.7	198.3	185.2	195.2	201.9	202.6
चावल	मिलि.टन.	85.0	93.3	71.8	88.5	83.1	91.8	92.8	93.0
गेहूं	मिलि.टन.	69.7	72.8	65.8	72.2	68.6	69.4	74.9	75.0
दालें	मिलि.टन.	11.1	13.4	11.1	14.9	13.1	13.4	14.2	14.6
तिलहन	मिलि.टन.	18.4	20.7	14.8	25.2	24.4	28.0	23.9	27.3
गन्ना	मिलि.टन.	296.0	297.2	287.4	233.9	237.1	281.2	345.3	365.0

विदेश व्यापार

निर्यात	मिली. अम. डॉलर	44,147	43,958	52,823	63,886	83,502	1.03,075	1,26,246	
आयात	मिली. अम. डॉलर	50,056	51,567	61,533	78,203	1,11,472	1,49,144	1,90,438	
विदेशी मुद्रा भंडार (मार्च अंत)^	मिली. अम. डॉलर	39,554	51,049	71 ,890	1,07,448	1,35,571	1,45,108	1,91,924	
भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश(शुद्ध)	मिली. अम. डॉलर	4,031	6,125	5,036	4,322	5,987	7,661	19,442	
भारत में पोर्टफोलियो निवेश (शुद्ध)	मिली. अम. डॉलर	2,760	2,021	9.79	11,356	9,311	12,494	7,004	
रुपया विनिमय दर	रुपये/अम. डॉलर	45.61	47.55	48.30	45.92	44.95	44.28	45.29	

2

स्रोत : योजना, दिसम्बर 07